

सबके लिए आवास HOUSING FOR ALL



वार्षिक रिपोर्ट - 2015 - 16
ANNUAL REPORT - 2015 - 16



राष्ट्रीय
आवास बैंक
NATIONAL
HOUSING BANK

सबके लिए आवास HOUSING FOR ALL

पक्षियों के लिए धरती मां के आंचल में घर होना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि नीले गगन में ऊंची उड़ानें भरना। पक्षियों को समर्पित भाव से अपनी एवं परिवार की सुरक्षा एवं हिफाजत हेतु घोंसले को बनाते हुए देखना अपने आप में एक अच्छी अनुभूति देता है। अपनी हर जरूरत को पूरा करने में पक्षियों द्वारा दिखाया जाने वाला मनोवेग, बुद्धिमत्ता और एकजुटता अद्वितीय होती है।

अब तक रा.आ. बैंक की यात्रा प्रगतिशील एवं महत्वपूर्ण घटनाक्रम से जुड़ी रही है जिसमें एक स्वस्थ, लाभप्रद और सतत् आवास तंत्र हेतु आधारभूत बाजार संरचना के निर्माण के लिए विनियमन एवं पर्यवेक्षण, वित्तपोषण, एवं संवर्धन और विकास में तालमेल के साथ अनुभव और विशेषज्ञता शामिल है।

रा.आ. बैंक आवासीय क्षेत्र में एक अर्थपूर्ण योगदान देने के लिए साझेदारी को प्रोत्साहित करने की दिशा में अग्रसर है।

For birds, having a shelter in the lap of mother earth to come back to is as important as soaring in the blue skies. It is indeed a pleasure to watch the birds as they determinedly build their nests designed for safety and security of their offspring. The passion, intelligence and focus shown by birds in addressing each aspect of their need is unparalleled.

NHB's journey so far has been innovative and eventful, assimilating the experiences and expertise by balancing the functions of regulation & supervision, financing, and promotion & development, to create a market infrastructure for a healthy, profitable and sustainable housing eco-system.

NHB will continue to foster partnerships in order to make a meaningful contribution to the housing sector.



वार्षिक रिपोर्ट

2015–16


(जुलाई, 2015 – जून, 2016)





विषय सूची

अध्याय का नाम	पृष्ठ संख्या
अध्याय 1: भूमिका	9
राष्ट्रीय आवास बैंक का परिचय	10
विज़न	10
मिशन	10
उद्देश्य	10
कार्य	10
अभिशासनिक ढांचा	11
अध्याय 2: निष्पादकता	15
वर्ष 2015-16 की परिचालनात्मक विशेषताएं	16
प्रमुख मैट्रिक्स	17
अध्याय 3: अर्थव्यवस्था और आवास का परिदृश्य	19
वैश्विक आर्थिक परिदृश्य	20
आवास – विश्व	20
भारतीय अर्थव्यवस्था	21
आवास – देशीय	22
अध्याय 4: परिचालन	25
संसाधन संग्रहण	26
पुनर्वित्त	29
प्रत्यक्ष वित्त	35
विनियमन एवं पर्यवेक्षण	36





संवर्धन एवं विकास	38
जोखिम प्रबंधन	44
सूचना प्रौद्योगिकी	45
मानव संसाधन	46
राजभाषा	48
ज्ञान केन्द्र	48
कॉरपोरेट अभिशासन	49
सर्व लेखा परीक्षा	49
क्षेत्रीय कार्यालय और क्षेत्रीय प्रतिनिधि कार्यालयों की भूमिका	49
अध्याय 5: भावी परिदृश्य	51
वार्षिक लेखा 2015 – 2016	55
बॉक्स	
आर्थिक सर्वेक्षण 2015–2016 से उद्धरण	22
आवास और आवास वित्त से संबंधित केन्द्रीय बजट 2016–17 में की गई घोषणाएं	23
संसदीय समिति में उपस्थिति	49

श्रीराम कल्याणरामन

प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Sriram Kalyanaraman

Managing Director & Chief Executive Officer



राष्ट्रीय
आवास बैंक
NATIONAL
HOUSING BANK

पत्र प्रेषण

राआबैंक(एनडी)/एमडी एण्ड सीईओ/9254/2016-17

07 अक्टूबर, 2016

सचिव

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

जीवन दीप भवन, संसद मार्ग

नई दिल्ली-110001

महोदय,

राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 40 की उप धारा (5) के प्रावधान के अनुसार, मैं आपको इस पत्र के साथ राष्ट्रीय आवास बैंक की वर्ष 2015-16 की वार्षिक रिपोर्ट, बैंक के वार्षिक लेखा के साथ अग्रेषित कर रहा हूँ।

भवदीय,

(श्रीराम कल्याणरामन)

संलग्न: यथोपरि

भारतीय रिजर्व बैंक
के संपूर्ण स्वामित्व में

Wholly owned by
Reserve Bank of India

कोर 5-ए, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

दूरभाष (सी.) +91-11-2464 2722 (पीबीएक्स) +91-11-2464 9031-35 फैक्स : +91-11-2464 9030

ई-मेल : sriram.kalyanaraman@nhb.org.in

Core 5-A, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi-110003

Phone : (D) +91-11-2464 2722 (PBX) +91-11-2464 9031-35 Fax : +91-11-2464 9030

e-mail : sriram.kalyanaraman@nhb.org.in

“बैंक हिन्दी में पत्राचार का स्वागत करता है”

श्रीराम कल्याणरामन

प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Sriram Kalyanaraman

Managing Director & Chief Executive Officer



राष्ट्रीय
आवास बैंक
NATIONAL
HOUSING BANK

पत्र प्रेषण

राआबैंक(एनडी)/एमडी एण्ड सीईओ/9253/2016-17

07 अक्टूबर, 2016

सचिव

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001

महोदय,

राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 40 की उप धारा (5) के प्रावधान के अनुसार, मैं आपको इस पत्र के साथ राष्ट्रीय आवास बैंक की वर्ष 2015-16 की वार्षिक रिपोर्ट, बैंक के वार्षिक लेखा के साथ अग्रेषित कर रहा हूँ।

भवदीय,

(श्रीराम कल्याणरामन)

संलग्न: यथोपरि

भारतीय रिजर्व बैंक
के संपूर्ण स्वामित्व में

Wholly owned by
Reserve Bank of India

कोर 5-ए, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

दूरभाष (सी.) +91-11-2464 2722 (पीबीएक्स) +91-11-2464 9031-35 फ़ैक्स : +91-11-2464 9030

ई-मेल : sriram.kalyanaraman@nhb.org.in

Core 5-A, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi-110003

Phone : (D) +91-11-2464 2722 (PBX) +91-11-2464 9031-35 Fax : +91-11-2464 9030

e-mail : sriram.kalyanaraman@nhb.org.in

बैंक हिन्दी में पत्राचार का स्वागत करता है

श्रीराम कल्याणरामन

प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Sriram Kalyanaraman

Managing Director & Chief Executive Officer



**राष्ट्रीय
आवास बैंक
NATIONAL
HOUSING BANK**

पत्र प्रेषण

राआबैंक(एनडी)/एमडी एण्ड सीईओ/9252/2016-17

07 अक्टूबर, 2016

गवर्नर

भारतीय रिजर्व बैंक

केन्द्रीय कार्यालय, 18वां तल,

शहीद भगत सिंह रोड

मुंबई - 400023

महोदय,

राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 40 की उप धारा (5) के प्रावधान के अनुसार, मैं आपको इस पत्र के साथ राष्ट्रीय आवास बैंक की वर्ष 2015-16 की वार्षिक रिपोर्ट, बैंक के वार्षिक लेखा के साथ अग्रेषित कर रहा हूँ।

भवदीय,

(श्रीराम कल्याणरामन)

संलग्न: यथोपरि

भारतीय रिजर्व बैंक
के संपूर्ण स्वामित्व में

Wholly owned by
Reserve Bank of India

कोर 5-ए, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

दूरभाष (सी.) +91-11-2464 2722 (पीबीएक्स) +91-11-2464 9031-35 फ़ैक्स : +91-11-2464 9030

ई-मेल : sriram.kalyanaraman@nhb.org.in

Core 5-A, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi-110003

Phone : (D) +91-11-2464 2722 (PBX) +91-11-2464 9031-35 Fax : +91-11-2464 9030

e-mail : sriram.kalyanaraman@nhb.org.in

बैंक हिन्दी में पत्राचार का स्वागत करता है





राष्ट्रीय
आवास बैंक
NATIONAL
HOUSING BANK

1

भूमिका

राष्ट्रीय आवास बैंक का परिचय
अभिशासनिक ढांचा
निदेशक मंडल



राष्ट्रीय आवास बैंक का परिचय

1.1 राष्ट्रीय आवास बैंक (रा. आ. बैंक) एक विकास वित्त संस्थान है जिसकी स्थापना संसद के अधिनियम यथा राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का केंद्रीय अधिनियम सं. 53) के तहत वर्ष 1988 में हुई थी। रा.आ.बैंक आवास वित्त संस्थानों का संवर्धन करने और ऐसे अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता तथा अन्य सहायता प्रदान करने के लिये एक प्रमुख एजेंसी के रूप में कार्य करता है। रा. आ. बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्ण स्वामित्वाधीन में है। रा. आ. बैंक के संस्थागत और बाजारोन्मुख बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में बहुमुखी प्रयास के कारण आवास सेक्टर का विकास एवं स्थायित्व हुआ है। रा.आ.बैंक संस्थागत ढांचे और बाजारोन्मुख ढांचे को विकसित करते हुए देश में आवास वित्त प्रणाली को मजबूत करने और स्थायित्व प्रदान करने के प्रति वचनबद्ध है।

1.2 विजन

आवास वित्त बाजार में सुस्थिरता के साथ समेकित विस्तार को बढ़ावा देना

1.3 मिशन

निम्न एवं साधारण आय वर्ग को केन्द्र में रखते हुए जनसंख्या के सभी वर्गों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु बाजार की क्षमताओं का उपयोग एवं उन्नयन

1.4 उद्देश्य

रा. आ. बैंक की स्थापना अन्य कार्यों के साथ-साथ निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये की गई है –

- जनता के सभी वर्गों के लिये एक सुदृढ़, स्वस्थ, समावेशी, और किफायती आवास वित्त प्रणाली को विकसित करना और आवास वित्त प्रणाली को समग्र राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली से सम्बद्ध करना;
- समर्पित आवास वित्त संस्थानों के नेटवर्क को विकसित करना ताकि वे समाज के विभिन्न क्षेत्रों और वर्गों की पर्याप्त रूप से सेवा कर सकें;
- आवास के विकास हेतु वित्त पोषण एवं अन्य संसाधनों को सुगम बनाना तथा ऋण एवं वहनीयता की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए संस्थानों हेतु फ्रेमवर्क निर्मित करना;
- राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के तहत दिए गए अधिदेश के आधार पर आवास वित्त कंपनियों की गतिविधियों को विनियमित एवं पर्यवेक्षित करना;
- जनसंख्या के विभिन्न वर्गों की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए आवास वित्त में नए उत्पाद नवोन्मेषित एवं विकसित करना;
- घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ साझेदारी एवं सहभागिता के द्वारा ऊर्जा दक्ष एवं सुगठित कार्यविधियों के उपयोग से पर्यावरण अनुकूल आवास के माध्यम से सतत पर्यावास एवं आवास

वित्त प्रणाली के विकास हेतु उपयुक्त वातावरण तैयार करना।

1.5 कार्य

1.5.1

रा.आ. बैंक अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये तीन प्रमुख कार्यों यथा विनियमन एवं पर्यवेक्षण, वित्त पोषण तथा संवर्धन और विकास, के तहत विभिन्न प्रकार के प्रकार्य करता है। आवास वित्त कंपनियों के एक विनियामक के तौर पर, रा.आ.बैंक को भारत में आवास वित्त के कारोबार को आरंभ करने एवं जारी रखने हेतु आवास वित्त कंपनियों को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्थलीय एवं स्थलेतर निगरानी, बाजार आसूचना एवं अन्य विनियामकों के साथ समन्वय के माध्यम से राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा आ.वि.कं. का पर्यवेक्षण किया जाता है। वित्त पोषण के मोर्चे पर, रा.आ.बैंक आवास वित्त कंपनियों एवं बैंकों सहित प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों को उनके द्वारा वैयक्तिकों को दिए जाने वाले आवास ऋणों हेतु पुनर्वित्त सहायता प्रदान करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में उधारकर्ताओं, अल्प आय एवं अनौपचारिक आय उधारकर्ताओं एवं प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों जैसे लक्षित वर्गों को दिए गए आवास ऋणों हेतु रियायती दरों पर पुनर्वित्त प्रदान किया गया है। रा.आ.बैंक सार्वजनिक एजेंसियों एवं सार्वजनिक निजी साझेदारी इकाइयों को भी परियोजना वित्त सहायता प्रदान करता है। रा.आ.बैंक की संवर्द्धन एवं विकास गतिविधियों का लक्ष्य आवास वित्त क्षेत्र के परिचालन परिवेश को मजबूत करने के साथ-साथ नए उत्पाद एवं बाजार अवसरचना को विकसित करना है। इस क्षेत्र के कार्मिकों हेतु प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के प्रक्रियाओं को सरल करने के उद्देश्य के साथ-साथ इसका उद्देश्य बेहतर सूचना प्रसार भी है। रा.आ.बैंक ने केन्द्र व कुछ राज्यों की आवास एवं पर्यावास नीतियों के निर्माण में सहयोग प्रदान किया है और लक्षित वर्गों को आवास हेतु सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में भूमिका निभा रहा है।

1.5.2

रा.आ.बैंक 'ऋण सहबद्ध सब्सिडी योजना' (सीएलएसएस) के लिये केन्द्रीय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है, यह प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास (शहरी) योजना दिशा-निर्देश का दूसरा आधार स्तंभ है।



1.6 अभिशासनिक ढांचा

1.6.1 बोर्ड की संरचना

रा. आ. बैंक के कारोबारी मामलों का सामान्य पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं प्रबंधन एक निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है जो सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए कारोबारी सिद्धान्तों के अनुसार कार्य करता है। इस निदेशक मंडल का गठन राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है। रा. आ. बैंक के निदेशक मंडल के गठन में वर्ष 2015-16 के दौरान निम्नलिखित परिवर्तन हुए :


- श्री श्रीराम कल्याणरामन ने 13-07-2015 से राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया। इससे पूर्व श्री मोहम्मद मुस्तफा, भा.प्र.से. ने अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के तौर पर बोर्ड की अध्यक्षता की थी;
- श्री जी.एम. राव, निदेशक, केन्द्रीय बोर्ड, भारतीय रिजर्व बैंक, 23-09-2015 से निदेशक के रूप में पदमुक्त हो गये;
- श्री राजीव सदानन्दन, भा.प्र.से, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण आवास, ग्रामीण विकास विभाग, को सुश्री विजया श्रीवास्तव, भा.प्र.से., के स्थान पर 07-08-2015 से निदेशक नियुक्त किया गया। यद्यपि, श्री सदानन्दन 07-05-2016 से निदेशक के रूप में पदमुक्त हो गये;
- श्री राजीव रंजन मिश्रा, भा.प्र.से, संयुक्त सचिव, भारत

सरकार, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, को श्री संजीव कुमार के स्थान पर 15-03-2016 से निदेशक नियुक्त किया गया;

- श्री पंकज जैन, भा.प्र.से, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, को श्री आलोक टंडन के स्थान पर 10-06-2016 से निदेशक नियुक्त किया गया।

1.6.2 बोर्ड द्वारा गठित समितियां

बोर्ड ने चार समितियों का गठन किया है, यथा (क) निदेशकों की कार्यपालक समिति (ख) बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (ग) निदेशकों की परिलब्धियां समिति और (घ) बोर्ड की मानव संसाधन समिति, जिससे रा. आ. बैंक के कार्यकलापों पर बेहतर ढंग से ध्यान दिया जा सके। इसके अतिरिक्त, समिति के आदेशों की समीक्षा करने के लिए निदेशकों की समीक्षा समिति का भी गठन किया गया है ताकि जानबूझ कर चूक करने वालों की पहचान की जा सके। इन चारों समितियों के कार्यों की स्पष्ट व्याख्या की गई है और इन समितियों को बोर्ड द्वारा कुछ शक्तियां प्रदान की गई हैं। बोर्ड/समितियों की बैठकें नियमित अंतराल पर आयोजित की जाती हैं। वर्ष 2015-16 के दौरान, बोर्ड, कार्यपालक समिति और लेखा परीक्षा समिति की चार-चार बैठकें आयोजित की गईं और परिलब्धियां समिति की एक बैठक सम्पन्न हुई।





1.6.3 निदेशक मंडल

यथा 22-08-2016 को, अधिनियम की धारा 6(1) (क) के तहत भारत सरकार द्वारा नियुक्त रा. आ. बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के अतिरिक्त, बोर्ड में पांच अन्य निदेशक थे, गठन निम्नानुसार है :

- भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशकों में से एक निदेशक, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 6(1)(घ) के तहत नामित किया जाता है।
- केन्द्र सरकार के अधिकारियों में से दो निदेशक, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 6(1)(ड) के तहत नियुक्त किया जाता है।
- राज्य सरकार के अधिकारियों में से दो निदेशक, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 6(1)(च) के तहत नियुक्त किया जाता है।

यथा 22-08-2016 को समितियों का गठन निम्नानुसार रहा :

बोर्ड की कार्यपालक समिति

(i) श्री श्रीराम कल्याणरामन
अध्यक्ष

(ii) श्री पंकज जैन, भा.प्र.से.
सदस्य

(iii) श्री राजीव रंजन मिश्रा, भा.प्र.से.
सदस्य

(iv) श्री मलय श्रीवास्तव, भा.प्र.से.
सदस्य

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति

(i) श्री पंकज जैन, भा.प्र.से.
अध्यक्ष

(ii) डॉ. उर्जित आर. पटेल,
सदस्य

(iii) श्री राजीव रंजन मिश्रा, भा.प्र.से.
सदस्य

(iv) श्री मलय श्रीवास्तव, भा.प्र.से.
सदस्य

बोर्ड की मानव संसाधन समिति

(i) श्री श्रीराम कल्याणरामन,
अध्यक्ष

(ii) श्री राजीव रंजन मिश्रा, भा.प्र.से.
सदस्य

(iii) श्री मलय श्रीवास्तव, भा.प्र.से.
सदस्य



निदेशक मंडल



श्री श्रीराम कल्याणरामन



डॉ. उर्जित आर. पटेल



श्री पंकज जैन




श्री राजीव रंजन मिश्रा




श्री सदाकांत



श्री मलय श्रीवास्तव





संवर्धन एवं विकास

लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उपलब्ध संसाधनों के इष्टतम प्रयोग हेतु सफल रणनीति के लिए निश्चय एवं दृढ़ता की आवश्यकता है। रा.आ.बैंक ने दो आयामी कार्यनीति लागू की है जिसके तहत एक ओर एक स्थिर अनुकूल आवास वित्त बाजार की स्थापना के लिए नेटवर्किंग द्वारा मौजूदा प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों को प्रोत्साहन तथा दूसरी ओर विशेषीकृत आवास वित्त संस्थान के निर्माण हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।

2

निष्पादकता

वर्ष 2015 - 16 हेतु परिचालनात्मक विशेषताएं
प्रमुख मैट्रिक्स



2.1 वर्ष 2015-16 की परिचालनात्मक विशेषताएं

शेयर पूंजी में बढ़ोत्तरी

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उनके पहले के 450 करोड़ रुपए इक्विटी योगदान के अतिरिक्त वर्ष 2015-16 के दौरान 1000 करोड़ की शेयर पूंजी योगदान के साथ, यथा 30-06-2016 को इक्विटी शेयर पूंजी 1,450 करोड़ रु. थी।

बकाया उधार

50,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया और यथा 30-06-2016 को यह 50,674 करोड़ रुपए पर पहुंच गया।

बकाया ऋण एवं अग्रिम

50,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया और यथा 30-06-2016 को 53,573 करोड़ रुपए पर पहुंच गया।

कुल आस्तियां

यथा 30-06-2016 को 59,262 करोड़ रुपए हो गई।

विनियमन

यथा 30 जून 2016 को रा. आ. बैंक में 75 पंजीकृत आवास वित्त कंपनियां हैं। वर्ष के दौरान, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29क के तहत 11 आवास वित्त कंपनियों को पंजीकरण प्रमाण पत्र दिये गये।

रा.आ.बैंक ने सभी निर्देशों को पहली बार समेकित कर आवास वित्त कंपनियों को निर्देशों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों आदि पर एक मास्टर परिपत्र जारी किया।

उपभोक्ता संरक्षण

1380 शिकायत का समाधान किया गया जोकि रा.आ.बैंक द्वारा प्राप्त कुल शिकायतों का लगभग 93 प्रतिशत है, इनका समाधान कर दिया गया है जबकि शेष शिकायतें शीघ्र समाधान एवं अंतिम निपटान हेतु नियमित निगरानी में हैं। शिकायतें शिकायत पंजीकरण एवं सूचना डाटाबेस सिस्टम (ग्रिड्स) जोकि एक 24 x 7 ऑनलाइन डाटाबेस सिस्टम है, के माध्यम से पंजीकृत की जा रही हैं जो आ.वि.कं. के ग्राहकों को शिकायत भेजने एवं शिकायत के समाधान की स्थिति पता करने की सुविधा प्रदान करता है।

केंद्रीय नोडल एजेंसी

प्रधानमंत्री आवास योजना "सबके लिए आवास (शहरी)" दिशानिर्देशों के दूसरे आधार स्तंभ के अंतर्गत ऋण सहबद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के कार्यान्वयन हेतु एक नोडल एजेंसी के रूप में रा.आ.बैंक ने 145 प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यथा 30-06-2016 के अनुसार, 57 प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों को 119.53 करोड़ रु. की ब्याज सब्सिडी संवितरित की है जिससे 7,062 परिवार लाभान्वित हुए हैं।

अनुसंधान अध्ययन

वर्ष के दौरान पांच अनुसंधान अध्ययन शुरू किए गए : 'रा.आ.बैंक रेजीडेक्स', लैंड पूलिंग के विशेष संदर्भ में 'भूमि

अधिग्रहण अधिनियम का प्रभाव' तथा 'नए एवं मौजूदा आवास में संपत्ति बीमा', 'भारतीय आवास वित्त क्षेत्र तथा भारतीय अर्थव्यवस्था में आवास वित्त कंपनियों के योगदान पर एक दृष्टिकोण', '2012 एवं 2014 के दौरान राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ पंजीकृत आवास वित्त कंपनियों का वित्तीय निष्पादन'। तीन अध्ययन, अर्थात् 'रा.आ.बैंक रेजीडेक्स', 'भारतीय आवास वित्त क्षेत्र तथा भारतीय अर्थव्यवस्था में आवास वित्त कंपनियों के योगदान पर एक दृष्टिकोण', '2012 एवं 2014 के दौरान राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ पंजीकृत आवास वित्त कंपनियों का वित्तीय निष्पादन' वर्ष के दौरान पूर्ण हो गए थे।

अभिशासन

वर्ष के दौरान रा.आ.बैंक सात संसदीय समितियों के समक्ष उपस्थित हुआ।

डिजिटल इंडिया पहल

ऋण सहबद्ध सब्सिडी योजना के अंतर्गत ब्याज सब्सिडी क्लेम हेतु लगने वाले समय को घटाने एवं ऋण सहबद्ध सब्सिडी योजना के लिए रा.आ.बैंक द्वारा दावे दर्ज करने हेतु प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों के लिए एक 24 x 7 ऑन-लाइन पोर्टल विकसित एवं कार्यान्वित किया गया है।

आ.वि.कं. द्वारा विवरणियां, डाटा एवं सूचना की प्रस्तुति की प्रक्रिया को तेज करने एवं इसकी वर्तमान स्थिति का पता लगाने में सक्षम बनाने हेतु एक अन्य 24 x 7 पोर्टल, ऑन-लाइन रिपोर्टिंग एवं प्रबंधन सूचना प्रणाली (ओआरएमआईएस) विकसित एवं कार्यान्वित किया गया है। रा.आ. बैंक ने पणधारकों की सुविधा के लिये एक मोबाइल एप 'एनएचबी' विविध सेवाओं के साथ तैयार किया है।

पुरस्कार और सम्मान


रा.आ. बैंक के 'शिकायत पंजीकरण एवं सूचना डाटाबेस सिस्टम (ग्रिड्स) पोर्टल को प्रतिष्ठित पुरस्कार 'फिन्नोविटी 2016' से नवाजा गया, जो बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं एवं बीमा (बीएफएसआई) सेक्टर में नवोन्मेष को सम्मान और पुरस्कृत करता है।

प्रक्रिया समय को घटाने हेतु एवं ब्याज सब्सिडी प्रक्रिया को तेज करने हेतु 24 x 7 ऑनलाइन पोर्टल को वित्तीय समावेशन हेतु स्काॅच पुरस्कार 2016 प्राप्त हुआ है।


रा.आ. बैंक की गृह पत्रिका 'आवास भारती' को वर्ष 2014-15 के लिये भारतीय रिजर्व बैंक से प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ गया। इसी पत्रिका को दिल्ली नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा भी इसी वर्ष के लिये प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ।

2.2 प्रमुख मैट्रिक्स


तुलन पत्र मैट्रिक्स




लाभ एवं हानि मैट्रिक्स



दक्षता मैट्रिक्स





विनियमन एवं पर्यवेक्षण

विजन एक सफल नेतृत्व की विशेषता है और यह हमेशा वृहद तथा केंद्रित होना चाहिए।

रा.आ.बैंक का विजन है कि एक मजबूत एवं सतत् आवास व्यवस्था का निर्माण किया जाए और समग्र वित्तीय तंत्र में उपयुक्त विनियमन एवं पर्यवेक्षण ढांचे के माध्यम से आवास वित्त कंपनियों का मार्गदर्शन किया जाए।

3

अर्थव्यवस्था और आवास का परिदृश्य

वैश्विक आर्थिक परिदृश्य
आवास - विश्व
भारतीय अर्थव्यवस्था
आवास - देशीय



3.1 वैश्विक आर्थिक परिदृश्य

3.1.1 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा प्रकाशित 'वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक' के अनुसार वैश्विक उत्पादन में 2015 में 3.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में 1.9 प्रतिशत और 4.0 प्रतिशत शुद्ध नए बाजार व विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में दर्ज की गई। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का मत है कि वैश्विक वृद्धि वर्ष 2016 में 3.2 प्रतिशत पर सामान्य रहेगी जो 2017 में बढ़ कर 3.5 प्रतिशत हो जाएगी। 2015 की तुलना में प्रस्तावित वृद्धि दर सामान्य रहने के बावजूद भी, नए बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की 2016 में वैश्विक वृद्धि में अधिकतम हिस्सेदारी होगी। यह प्रस्तावित वृद्धि विभिन्न कारकों के योगदान को दर्शाती है जैसे तेल निर्यातक देशों की कमजोरी, चीन में कुछ मंदी और गैर-तेल मर्दों के निर्यातकों के कारोबार में मंदी जिससे मूल्यों में और गिरावट होगी। तेल आयातक नए बाजारों की अर्थव्यवस्थाओं को व्यापार शर्तों से लाभ, कड़ी वित्तीय शर्तों के होने और बाह्य मांग कम होने, व्यापार की अनुकूल शर्तों के होने से उनकी घरेलू मांग और वृद्धि पर प्रभाव पड़ा। अधिकांशतः तेल की कम होती कीमतों और अनुकूल मौद्रिक नीतियों के कारण विकसित अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि में मामूली उछाल आया है।

3.1.2 2017 के बाद वैश्विक अनुमानित वृद्धि होगी जो वर्ष 2021 के अंत तक लगभग 4 प्रतिशत से कुछ कम होगी जो नए बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में और

अधिक वृद्धि होगी। ये मत अनेक अनुमानों/संभावनाओं पर आधारित हैं जिनमें भारी गिरावट का जोखिम है। इन अनुमानों में विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में जो अभी दबाव में हैं, क्रमशः हालातों में सुधार, चीन की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दरों के अनुसार सफल पुनर्संतुलन, वस्तु निर्यातकों की गतिविधियों में तेजी और अन्य नए बाजारों तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि शामिल है। चीन और भारत जैसे तेजी से बढ़ते देशों के वैश्विक प्रभाव में क्रमिक वृद्धि वैश्विक वृद्धि में भी भूमिका निभा रहे हैं। इस वर्ष चीन में मंदी के साथ 6.5 प्रतिशत और 2017 में 6.2 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है। अन्य स्थानों और नए एवं विकासशील एशिया में स्थिति बेहतर रहेगी। अक्टूबर के पूर्वानुमान के अनुसार भारत में 2016-17 में 7.5 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है। निजी खपत के कारण यह वृद्धि होगी जिसे तेल की कम कीमतों से लाभ हुआ और ऊंचे मूल्य प्राप्त हुए। औद्योगिक कार्यों में तेजी के कारण, निजी निवेश में बढ़ोत्तरी होने से वृद्धि दर में और मजबूती आएगी। एशियन-5 अर्थव्यवस्थाओं में (इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम), 2016 में मलेशिया और वियतनाम में (क्रमशः 4.4 प्रतिशत और 6.3 प्रतिशत तक) वृद्धि संभावित है किंतु इंडोनेशिया, फिलीपींस और थाईलैंड में (क्रमशः 4.9 प्रतिशत, 6.0 प्रतिशत और 3.0 प्रतिशत तक) मामूली वृद्धि का अनुमान है। एशियन-5 में 2017 में वृद्धि दर और बढ़ने का अनुमान है। तदुपरांत, घरेलू मांग बढ़ने और निर्यात में वृद्धि की संभावना है।

3.2 आवास – विश्व

3.2.1 पिछले कुछ वर्षों की मंदी के बाद वैश्विक स्तर पर आवास सेक्टर में कुछ सुधार नजर आ रहा है। फिच रेटिंग्स द्वारा ग्लोबल हाउसिंग एंड मॉर्टगेज आउटलुक, 2016 के अनुसार, अधिकांश देशों में (रिपोर्ट में 22 देशों को शामिल किया गया) आवास सेक्टर में स्थायी/सकारात्मक प्रवृत्ति देखी गई है। कम मॉर्टगेज दरें, जीडीपी और रोजगारों में वृद्धि से अधिकांश देशों के आवास एवं मॉर्टगेज बाजार को

सहायता मिलेगी। उन्नत आउटलुक वाले सभी देश यूरोप में हैं जहां यूरोजोन बाजार अभी चल रहा है। दरों में वृद्धि के बावजूद भी, अमरीका में निष्पादकता में कोई बड़ी गिरावट की आशंका नहीं है क्योंकि वहां अधिकांशतः मॉर्टगेज स्थिर दरों पर हैं। ऊंची दरों से इंग्लैंड जो यूरो पूल में नहीं है, अधिक संवेदनशील होगा। एपीएसी में, सिंगापुर पर उच्च दरों का अधिक प्रभाव पड़ेगा। दरों में वृद्धि से दक्षिण अफ्रीका पर भी




भारी प्रभाव होगा। अमरीका में गृह स्वामित्व इस समय 25 वर्षों में सबसे कम है और अधिकतर प्रमुख मॉर्टगेज बाजारों में गिरावट की स्थिति बनी रहेगी। क्षमता में बाधाएं, मॉर्टगेज की उपलब्धता और उपभोक्ता प्राथमिकताएं, इन सभी का प्रभाव गृह स्वामित्व आंकड़ों पर पड़ता है हालांकि बेहतर वित्त उपलब्धता से इसमें कमी आएगी। यह पाया गया है कि वैश्विक

आवास मंहगा है और जो मंहगा ही होता जा रहा है। अधिकांश देशों में जहां घरों के मूल्य आय की तुलना में पहले ही बढ़े हुए हैं और इस वर्ष किराया दरों में भी वृद्धि देखी गई, यद्यपि फ्रांस और बेल्जियम में कीमतें कम होंगी। जहां ऐसा होता है वहां दरों में वृद्धि के साथ मूल्यों में धीमी बढ़ोत्तरी होती है व सामर्थ्यता पर भी प्रभाव पड़ता है।

3.3 भारतीय अर्थव्यवस्था

3.3.1 भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक तेजी से वृद्धि दर्ज की गई है और जो दीर्घकालीन वृद्धि के लिये सर्वाधिक सुरक्षित है, इसका कारण व्यक्ति आर्थिक परिदृश्य में वृद्धि होना है। इस स्थिति में अर्थव्यवस्था में वृद्धि होने और निवेश की क्षमता होती है। राजकोषीय अनुशासन के मार्ग पर बढ़ते रहने की सरकार की वचनबद्धता के साथ, राजस्व घाटे के होते हुए और सब्सिडी को औचित्यपूर्ण करते हुए, भी सकल स्थिर पूंजी निर्माण की जरूरत को अग्रसर करना है। भारत के बाह्य सेक्टर के संकेतक अपेक्षाकृत मजबूत स्थिति दर्शाते हैं। हालांकि, भारत के तेल आयात में पिछले वर्षों में वृद्धि के कारण वस्तुओं के

साइकल रिवर्सल के जोखिम के लिये सतर्क रहना ठीक रहेगा। इस वर्ष मानसून के सामान्य रहने की संभावना से 2016-17 में कृषि क्षेत्र में वृद्धि होगी, बशर्ते सभी क्षेत्रों में सामान्य बारिश हो। व्यापक राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर इसके वृहत प्रभाव को देखते हुए, खाद्य पदार्थों के मूल्यों को कम करने और समग्र ग्रामीण समस्याओं को दूर करने के लिये सुसंगत नीति उपायों की जरूरत है। जबकि कारपोरेट सेक्टर में कुछ दबाव ने 2015-16 में सुधार के संकेत दर्शाए हैं, फिर भी कम मांग और कमजोर ऋण भुगतान क्षमता के बने रहने का जोखिम बना रहेगा है।





बॉक्स -1

आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 से उद्धरण

- मंदीग्रस्त वैश्विक परिदृश्य में भारत स्थायित्व के लिये श्रेष्ठ
- 2015-16 में जीडीपी वृद्धि दर 7 प्रतिशत से 7.75 प्रतिशत के बीच रहना
- मुद्रा स्फीति दर 4.5 से 5 प्रतिशत के बीच
- मौजूदा लेखागत घाटा जीडीपी का लगभग 1-1.5 प्रतिशत
- 3.9 प्रतिशत राजकोषीय घाटे का लक्ष्य इस वर्ष प्राप्य, आगामी वर्ष चुनौतीपूर्ण होगा
- निम्न मुद्रास्फीति काबू में, मूल्य स्थायित्व बढ़ा
- चुनौतीपूर्ण बाह्य परिदृश्य जिसका असर आर्थिक नीतियों पर पड़ सकता है
- सब्सिडी बिल अगले वर्ष जीडीपी के 2 प्रतिशत से नीचे
- घरेलू मांग में वृद्धि का सुझाव क्योंकि विदेशी पूंजी आने की संभावना
- हाल के सुधारों के कारण औद्योगिक, बुनियादी ढांचे, कॉरपोरेट सेक्टरों में बेहतर निष्पादकता देखी गई
- स्वास्थ्य, शिक्षा में अधिक निवेश, कृषि पर विशेष बल
- सरकारी कर आय में बजटीय अनुमान से अधिक आय
- निर्यात में मंदी रहेगी, अगले वित्त वर्ष में तेजी
- भारत को व्यापार में संरक्षण के उपायों पर रोक लगानी चाहिए
- खाद क्षेत्र के सुधार के लिये सुझाव
- कर दायरे को, आय आर्जन करने वाले व्यक्तियों के 5.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत से अधिक करने का प्रस्ताव है।
- 2015-16 के दौरान सेवा सेक्टर में 9.2 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई
- इस वित्त वर्ष में वृद्धि 7.6 प्रतिशत, यदि निर्यात में तेज वृद्धि हो तो दीर्घकालीन क्षमता 8-10 प्रतिशत

3.4 आवास – देशीय

भू-संपदा एवं आवास क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में, 2014-15 में भारत के सकल वर्धित मूल्य का 8 प्रतिशत है और 9.1 प्रतिशत बढ़ा है। वर्ष 2011-12 से यह सेक्टर 8.1 प्रतिशत की सीएजीआर पर बढ़ा है। हालांकि इस सेक्टर में बिक्री में मंदी देखी गई है जिसके परिणामस्वरूप बिना बिके आवास इकाईयों की सूची में वृद्धि हुई है।

केंद्रीय बजट 2016-17 में की गई घोषणाएं और सबके लिए आवास मिशन 2022 के तहत आवास हेतु बहु-आयामी जोर ने इस सेक्टर पर अपेक्षित प्रभाव डालना शुरू किया है, खासतौर पर किफायती क्षेत्र में। इसके अतिरिक्त परिकल्पना है कि ये पहल देश में आवास की कमी को पूरा करने और सबके लिए आवास के उद्देश्य को प्राप्त करने में लंबे समय तक योगदान देंगी।


स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16



बॉक्स – 2

आवास और आवास वित्त से संबंधित केन्द्रीय बजट 2016-17 में की गई घोषणाएं

- चार मेट्रो शहरों में 30 वर्ग मीटर तक के फ्लैटों की आवास परियोजना से उद्यम को होने वाले लाभ से 100 प्रतिशत छूट और अन्य शहरों में 60 वर्ग मीटर के लिए छूट, जो जून 2016 से मार्च 2019 के दौरान अनुमोदित हुए हों और जो अनुमोदन की तारीख से तीन वर्ष में पूरे हो गये हों।
- वर्ष 2016-17 के दौरान संस्वीकृत 35 लाख रुपये तक ऋणों पर (मकान की कीमत 50 लाख रुपये से अधिक न हो) 50,000 हजार रुपये वार्षिक अतिरिक्त ब्याज पर प्रथम आवास क्रेताओं को छूट।
- बशर्ते पूरा आयकर प्रतिभूतिकरण न्यासों को जाए तथा आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) के न्यास भी शामिल हैं, जिसके अनुसार न्यास के बजाय निवेशकों की आय पर कर लगेगा, हालांकि, न्यास स्रोत पर कर कटौती के लिये उत्तरदायी होगा।
- केन्द्र या राज्य सरकार की तथा सरकार-निजी सहयोग के साथ किसी योजना के तहत 60 वर्ग मीटर तक के आवास निर्माण पर सेवा कर से छूट।
- उत्पाद कर से छूट में बढ़ोत्तरी जो वर्तमान में निर्माण स्थल पर उपलब्ध कंकरीट मिक्स मैन्यूफैक्चर पर उपलब्ध है अब रेडी मिक्स कंकरीट को भी प्रदान की जायेगी।
- रिट्स और इनविट्स जिनकी निर्धारित शेयरधारिता है, के एसपीवी की आय से किये गये किसी संवितरण पर लाभांश संवितरण कर नहीं लगेगा।
- राष्ट्रीय भूमि रिकार्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत, 1 अप्रैल, 2016 से लागू डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत केन्द्र की एक योजना के तहत एक समेकित भूमि सूचना प्रबंधन सिस्टम का निर्माण करना।





वित्तपोषण

वृहद व गहन प्रभाव हेतु सुबोध एवं अनुकूलनशील पहुंच जरूरी है।

रा.आ.बैंक ऋणदाता संस्थानों द्वारा दीर्घकालिक संसाधनों के संग्रहण को समर्थ बनाने हेतु बहु-प्रकार्य दृष्टिकोण को अपनाता है और सामर्थ्यता बढ़ाने के लिए पुनर्वित्त एवं प्रत्यक्ष वित्त भी प्रदान करता है।

4

परिचालन

संसाधन संग्रहण
पुनर्वित्त, प्रत्यक्ष वित्त
विनियमन एवं पर्यवेक्षण
संवर्धन एवं विकास
जोखिम प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी
मानव संसाधन, राजभाषा
ज्ञान केंद्र, कॉरपोरेट अभिशासन
सर्व लेखा परीक्षा
क्षेत्रीय कार्यालय एवं क्षेत्रीय
प्रतिनिधि कार्यालयों की भूमिका



4.1 संसाधन संग्रहण


4.1.1 संग्रहित निवल संसाधन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, रा.आ. बैंक को भा.रि. बैंक से रा.आ. बैंक में किए गए इक्विटी निवेश के जरिए 1,000 करोड़ रुपये की पूंजी प्राप्त हुई। रा.आ. बैंक ने अल्पावधि और दीर्घावधि दोनों प्रकार के संसाधन भी जुटाए हैं। अल्पावधि संसाधनों में शामिल हैं वाणिज्यिक प्रलेख जारी करना और बैंकों से अल्पकालिक ऋण। दीर्घावधि उधारों में

शामिल है ग्रामीण आवास निधि (आरएचएफ) के तहत बैंकों से निक्षेपों की प्राप्ति, बॉण्ड्स/डिबेंचर्स, विदेशी उधार, सुनिधि और सुवृद्धि सावधि जमा योजनाओं से जनता से जमा राशि की प्राप्ति। वर्ष 2015-16 हेतु निवल वृद्धिशील उधार 12,718 करोड़ रुपए था। नीचे दी गई तालिका एवं चार्ट वर्ष के दौरान जुटाए गए निवल संसाधनों को दर्शाते हैं।

संसाधन	राशि (रु. करोड़ में)
सावधि ऋण	3,345
जमा पर ऋण	1,181
बॉण्ड्स एवं डिबेंचर्स	3,850
ग्रामीण आवास निधि (आरएचएफ)	4,000
जनता से जमा (सुनिधि और सुवृद्धि)	53
विदेशी उधार	289
कुल	12,718

वर्ष 2015-16 के दौरान जुटाए गए निवल संसाधन (रुपये करोड़ में)






यथा 30-06-2016 को बकाया उधार

नीचे दी गई तालिका एवं चार्ट यथा 30-06-2016 को 50,674 करोड़ रुपये के बकाया उधार को दर्शाते हैं।

लिखत	राशि (₹ करोड़ में)
सार्वजनिक जमा राशि (सुनिधि और सुवृद्धि)	254
सीबीएलओ	2,586
बॉण्ड्स एवं डिबेंचर्स	10,533
जमा पर ऋण	1,181
सावधि ऋण	3,945
भा.रि.बैंक से उधार	8
विदेशी उधार	1,149
ग्रामीण आवास निधि	25,018
शहरी आवास निधि	6,000
कुल	50,674

यथा 30-06-2016 को बकाया संसाधन (रुपये करोड़ में)





बॉण्ड्स एवं डिबेंचर्स

वर्ष के दौरान 3,850 करोड़ रुपये के कर योग्य बॉण्ड्स जारी किए गए थे। इस अवधि के दौरान जारी किए गए बॉण्ड्स का विवरण यथा निम्नानुसार दिया गया है:

जारी करने की तिथि	राशि (करोड़ रुपये)	कूपन दर	अवधि
08-03-16	1000	8.24%	366 दिनों के बाद पुट/ कॉल ऑप्शन के साथ 3 वर्ष
21-03-16	1850	7.92%	
20-04-16	1000	7.56%	

यथा 30-06-2016 को, कर मुक्त बॉण्ड्स के तहत बॉण्ड और डिबेंचर्स के अंतर्गत बकाया राशि 4,640 करोड़ रुपये की बकाया राशि सहित 10,533 करोड़ रुपए थी।

सार्वजनिक जमा राशि

वर्ष के दौरान जनता से 53 करोड़ रुपये की राशि को जुटाया गया जिनमें "सुनिधि" नाम की नियमित जमा योजना और "सुवृद्धि" नाम की पांच वर्ष की सावधि जमा योजनाएं हैं। सुवृद्धि को आयकर अधिनियम, 1961 की

धारा 80G के तहत अधिसूचित किया है। ये दोनों योजनाएं भा.रि.बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार हैं और यथा 30-06-2016 को दोनों योजनाओं के तहत बकाया शेष 254 करोड़ रुपये था।

विदेशी उधार

अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी) से उधार

जुलाई, 2011 में दोनों देशों के बीच सहमति से हुई भारत-यूके द्विपक्षीय विकास सहयोग की साझेदारी के तहत, रा.आ. बैंक ने देश के आठ निम्न आय वाले राज्यों में एक परियोजना शीर्षकित "तीव्र और सतत आर्थिक विकास हेतु किफायती आवास बाजार निर्मित करने" में अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी), ब्रिटेन सरकार के साथ

सहभागिता की है। इस परियोजना के तहत डीएफआईडी £50 मिलियन की कुल सहायता प्रदान कर रहा है। इसमें से वर्ष के दौरान £10 मिलियन (99 करोड़ रुपए) आहरित किये गये। यथा 30-06-2016 को डीएफआईडी से बकाया उधार £29 मिलियन (पुनर्मूल्यांकन के बाद 264 करोड़ रुपए था), जो हैज किया गया था।

विश्व बैंक से उधार

रा.आ. बैंक ने एसडीआर 66.1 मिलियन (यूएसडी 100 मिलियन के समान) की निम्न आय आवास वित्त परियोजना हेतु दिनांक 04-10-2013 को भारत सरकार के साथ सहायक ऋण करार के बाद दिनांक 14-08-2013 को विश्व बैंक के साथ एक करार किया था। इस ऋण व्यवस्था के तहत विश्व बैंक भारत सरकार को संवितरण करता है और बदले में भारत सरकार रा.आ. बैंक को रुपए के समतुल्य ऋण राशि देती है। रा.आ. बैंक को दी गई ऋण राशि का रा.आ.बैंक द्वारा देय तिथियों पर पूर्ण भुगतान विनिमय दर भिन्नता के साथ पूर्णतः किया गया।

बैंक ने इस कार्यक्रम के तहत भारत सरकार के माध्यम से विश्व बैंक को अपना दावा प्रस्तुत किया है और तदनुसार, विश्व बैंक ने भारत सरकार को 213 करोड़ रुपए (एसडीआर 22.96 मिलियन/यूएसडी 32.87 मिलियन के बराबर) की राशि तक के पात्र दावे निर्माचित किए हैं और रा.आ. बैंक ने यूएसडी 32.87 मिलियन राशि हैज की है। जिसमें से बैंक ने दिनांक 31-03-2016 को 190 करोड़ रुपए प्राप्त किए हैं और शेष राशि भारत सरकार से प्राप्त होनी है। दिनांक 30-06-2016 को बकाया ऋण 217 करोड़ रुपए था (पुनर्मूल्यांकन के पश्चात)।



अन्य पहलें

निम्न लागत किफायती आवास हेतु बाह्य वाणिज्यिक उधार

भा.रि. बैंक के दिनांक 01-07-2015 के मुख्य परिपत्र द्वारा निम्न लागत किफायती आवास परियोजनाओं के लिए अनुमोदन मार्ग के तहत अनुमेय अंतिम प्रयोग के रूप में बाह्य वाणिज्यिक उधार स्वीकृत किया है। बाह्य वाणिज्यिक उधार का लाभ विकासकों/भवन निर्माताओं द्वारा निम्न लागत किफायती आवास परियोजनाओं हेतु उठाया जा सकता है। आ.वि.कंपनी/रा.आ. बैंक भी निम्न लागत किफायती आवास इकाईयों के संभावित स्वामियों के वित्त पोषण के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार का लाभ उठा सकते हैं।

रा.आ. बैंक को निम्न लागत किफायती आवास परियोजनाओं के रूप में परियोजना की पात्रता को निर्धारित करने के लिए और संतुष्टि होने पर अनुमोदन मार्ग के तहत विचारार्थ हेतु भा.रि. बैंक को आवेदन अग्रेषित करने हेतु एक नोडल एजेंसी के तौर पर नामित किया गया है। वर्ष के दौरान रा.आ.बैंक ने भा.रि.बैंक को कुल यूएसडी 2050 मिलियन के आ.वि. कंपनियों से प्राप्त 6 प्रस्ताव अग्रेषित किए।

4.2 पुनर्वित्त

4.2.1 पुनर्वित्त संवितरण

आवास वित्त कंपनियों एवं अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बीच करीब-करीब बराबर हिस्से के साथ 21,590 करोड़ रु. का कुल पुनर्वित्त संवितरण किया गया। पुनर्वित्त ग्राहक सूची में छः नये प्राथमिक ऋणदाता संस्थान (3 एससीबी एवं 3 आ.वि.कं.) जुड़े हैं।



विभिन्न श्रेणियों के तहत संस्वीकृति एवं संवितरण का विवरण नीचे दी गई तालिकाओं एवं चार्ट में दर्शाया गया है:

पुनर्वित्त संवितरण – संस्थान-वार

(करोड़ रुपये में)

संस्थान	2013-14	2014-15	2015-16
आवास वित्त कंपनियां	9,633	7,390	10,852
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	7,943	14,114	10,275
अन्य	280.00	343.00	463.00
कुल	17,856	21,847	21,590

पुनर्वित्त संवितरण – संस्थान-वार (करोड़ रुपये में)





वार्षिक रिपोर्ट 2015-16

वर्ष 2015-16 के दौरान किया गया पुनर्वित्त संवितरण – योजना-वार

(करोड़ रुपये में)


संस्थान	नियमित	ग्रामीण आवास निधि*	शहरी आवास निधि^	शहरी-अल्प लागत आवास	कुल
आवास वित्त कंपनियां	7,549	2,943	94	266	10,852
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	8,580	439	1,256	0	10,275
अन्य	60	370	33	0	463
कुल	16,189	3,752	1,383	266	21,590

*जम्मू एवं कश्मीर बाढ़ राहत के तहत संवितरित 7.50 करोड़ रुपये सहित

^जम्मू कश्मीर बाढ़ राहत के तहत संवितरित 28.50 करोड़ रुपये एवं तमिलनाडु बाढ़ राहत के तहत 44.07 करोड़ रुपये सहित

वर्ष 2015-16 के दौरान किया गया संवितरण – योजना-वार

(करोड़ रुपये में)




पुनर्वित्त संवितरण – ऋण राशि-वार

वैयक्तिक ऋण राशि	2015-16	
	राशि (करोड़ रुपये में)	कुल का प्रतिशत
2 लाख रुपये तक	167	1
2 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक	1,265	6
5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक	3,943	18
10 लाख रुपये से 15 लाख रुपये तक	2,627	12
15 लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक	2,691	13
25 लाख रुपये से अधिक	10,680	49
संभावित (प्रोस्पेक्टिव)	217	1
कुल	21,590	100



वैयक्तिक राशि-वार पुनर्वित्त (कुल का प्रतिशत)



नई योजनाओं के तहत संवितरण

निम्न आय परिवार हेतु विशेष शहरी आवास पुनर्वित्त योजना (डब्ल्यूबी-यूएलआईएच) (राष्ट्रीय आवास बैंक-विश्व बैंक शहरी निम्न आय आवास परियोजना के तहत प्रारंभ पुनर्वित्त योजना)

भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए) के साथ एक करार संपन्न किया है जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ भारत सरकार को 100 मिलियन अमरीकी डॉलर के समतुल्य ऋण उपलब्ध करायेगा। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ ने ऐसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ भी करार संपन्न किया है जिसमें अनौपचारिक वर्गों तथा 3 लाख रुपये तक कि वार्षिक आय वाले परिवारों को आवास ऋण के संबंध में पुनर्वित्त प्रदान करना शामिल है। राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों को उनके उन आवास ऋणों के संबंध में पुनर्वित्त उपलब्ध कराया जाता है जो या तो वित्तपोषित संपत्ति की संपादिक के माध्यम से प्रतिभूतिकृत हैं अथवा वैकल्पिक तौर पर प्रतिभूतिकृत हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों को उनके शहरी क्षेत्रों में उन आवास ऋणों के संबंध में पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध करायी जाती है जो निम्न आय वाले परिवारों को निम्नलिखित

उद्देश्यों के लिए या तो सीधे (प्रत्यक्ष) या सदस्य वित्त संस्थान (आवास ऋणों के मूल्यांकन एवं अनुवर्ती कार्रवाई के लिए समुचित प्रणाली एवं प्रक्रिया के साथ-साथ इन ऋणों के लिए संबंधित प्राथमिक ऋणदाता संस्थान के पास प्रशिक्षित कर्मचारियों की उपलब्धता जैसे मध्यस्थों के माध्यम से प्रदान किये गये हैं:

- नई आवास इकाइयों का निर्माण/खरीद
- मौजूदा आवास इकाइयों की खरीद
- मौजूदा आवास इकाइयों की मरम्मत/नवीकरण/विस्तार/उन्नयन

वर्ष 2015-16 के दौरान डब्ल्यूबी-एलआईएच के तहत विभिन्न प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों को 265.81 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की गयी थी। 9,357 आवास इकाइयों के निर्माण/उन्नयन कराने के लिए डब्ल्यूबी-एलआईएच के तहत 335.03 करोड़ रुपये का संचयी संवितरण किया गया।

जम्मू एवं कश्मीर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष पुनर्वित्त योजना


वर्ष 2014 में मूसलाधार बारिश एवं भीषण बाढ़ के कारण जम्मू एवं कश्मीर का बहुत बड़ा हिस्सा प्रभावित हुआ था जिसके कारण बहुत बड़ी आबादी विस्थापित हुई एवं संपत्ति का भारी नुकसान हुआ। राष्ट्रीय आवास बैंक ने जम्मू एवं कश्मीर के लोगों की नई आवास इकाइयों के निर्माण एवं मौजूदा आवास इकाइयों की मरम्मत, नवीकरण एवं उन्नयन करने में सहायता करने के लिए रियायती दरों पर आवास वित्त के प्रवाह में सुधार लाने के उद्देश्य के साथ जम्मू एवं कश्मीर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष पुनर्वित्त योजना

की शुरुआत की। राष्ट्रीय आवास बैंक इस योजना के तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) एवं आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) को पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध कराता है। वर्ष 2015-16 के दौरान 700 आवास इकाइयों के निर्माण/नवीकरण करने में सहायता करने के लिए जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड को 36 करोड़ रुपये संवितरित किये गये।

तमिलनाडु के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए पुनर्वित्त सहायता

भीषण बाढ़ से प्रभावित तमिलनाडु के नागरिकों को रियायती दरों पर आवास वित्त के प्रवाह में सुधार लाने एवं मौजूदा आवास इकाइयों की मरम्मत, नवीकरण एवं उन्नयन में सहायता करने के उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय आवास बैंक ने तमिलनाडु के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए

पुनर्वित्त सहायता की शुरुआत की थी। यह सहायता दिनांक 30-06-2016 तक उपलब्ध थी। इस सहायता के अंतर्गत 1,077 आवास इकाइयों के निर्माण/नवीकरण करने के लिए दिनांक 30.06.2016 तक 44.07 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की गयी थी।






4.2.2 संचयी संवितरण

निम्नलिखित विवरणों के साथ दिनांक 30.06.2016 तक 1,63,922 करोड़ रुपये का संचयी संवितरण किया गया:

संस्थान	राशि (करोड़ रुपये में)	कुल प्रतिशत
आवास वित्त कंपनियां	69,811	43
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	89,357	54
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1,736	1
सहकारी क्षेत्र एवं अन्य	3,018	2
कुल	1,63,922	100

संचयी संवितरण (करोड़ रुपये में)



4.2.3 पुनर्वित्त बकाया

यथा 30-06-2016 को बकाया पुनर्वित्त का आंकड़ा 50,000 करोड़ को पार कर 53,064 करोड़ रुपए पहुंच गया है जिसमें 29,735 करोड़ रुपए के साथ सबसे अधिक

हिस्सेदारी आवास वित्त कंपनियों की है। बकाया का विस्तृत ब्यौरा नीचे तालिका एवं चार्ट में दर्शाया गया है:


तालिका: दिनांक 30-06-2016 को पुनर्वित्त बकाया – संस्थान-वार

(करोड़ रुपये में)

संस्थान	30-06-2014	30-06-2015	30-06-2016
आवास वित्त कंपनियां	22,086	24,300	29,735
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	16,224	18,575	22,045
अन्य	1,128	1,156	1,284
कुल	39,438	44,031	53,064



पुनर्वित्त बकाया (करोड़ रु. में)



ग्रामीण आवास निधि

माननीय वित्त मंत्री ने वर्ष 2008-09 के अपने केंद्रीय बजट भाषण में प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों को ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित वर्गों को प्रतिस्पर्धी दरों पर आवास वित्त प्रदान करने में निधि तक पहुंच बढ़ाने में समर्थ बनाने के लिए ग्रामीण आवास निधि (आरएचएफ) स्थापित करने की घोषणा की। इस निधि की मूल निधि में वे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) अंशदान देते हैं जो पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान अपने प्राथमिक क्षेत्र के लक्ष्य पूरा करने में असमर्थ रहे। प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा दिये जाने वाले अंशदान की मात्रा एवं लागू ब्याज दर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित होती हैं जो संबंधित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में गिरावट पर निर्भर करती है। ग्रामीण आवास निधि के तहत कमजोर वर्ग के अंतर्गत आने वाले लोगों द्वारा शुरू किए गये ग्रामीण आवास हेतु ऋण देने वाले प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों को पुनर्वित्त प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत पात्र आवास ऋण

प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों द्वारा (i) 2 लाख रुपये तक की आय वाली ग्रामीण आबादी, (ii) 5 एकड़ एवं उससे कम भूमि जोत वाले छोटे व सीमांत किसान, भूमिहीन श्रमिक, काश्तकार, बंटाईदार, (iii) महिलाएं, (iv) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) एवं विभेदक ब्याज दर (डीआरआई) के तहत पात्र ऋण अर्थात् गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) अथवा गरीबी रेखा के ऊपर सीमांत रूप से वर्गीकृत, (v) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं (vi) अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति यथा भारत सरकार समय-समय पर अधिसूचित करे, को संवितरित 15 लाख रुपये तक के प्रत्यक्ष आवास ऋण हैं। इसके अतिरिक्त अंतिम उधारकर्ताओं को न्यूनतम ब्याज दर का अभीष्ट लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए आगे उधार देने के दर की अधिकतम सीमा तय की गयी है। ग्रामीण आवास निधि के तहत इसकी स्थापना से दिनांक 30-06-2016 तक 24,927.43 करोड़ रुपये का संचयी संवितरण किया गया।

तालिका: ग्रामीण आवास निधि का आबंटन एवं इसकी उपयोगिता – संस्थान-वार (करोड़ रुपये में)


वर्ष	आबंटन	उपयोगिता				कुल
		आवास वित्त कंपनियां	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	अन्य	
2008-09	1,778	1,544	0	202	15	1,761
2009-10	2,000	1,795	0	185	36	2,016
2010-11	2,000	1,688	182	134	--	2,004
2011-12	3,000	2,126	721	143	13	3,003
2012-13	4,000	1,940	1,802	285	--	4,027
2013-14	6,000	2,681	3,225	94	--	6,000
2014-15	8,000	1,746	398	220	--	2,364
2015-16	--	2,943	439	370	--	3,752
कुल	26,778	16,463	6,767	1,633	64	24,927





वार्षिक रिपोर्ट 2015-16

ग्रामीण आवास निधि संवितरण (करोड़ रुपये में)



ग्रामीण आवास निधि के तहत इसके अस्तित्व के आठ वर्षों के दौरान वित्त पोषित इकाइयों की संख्या नीचे दी गई तालिका में दर्शायी गयी है:

तालिका: ग्रामीण आवास निधि के तहत वित्तपोषित इकाइयां – वर्ष-वार

वर्ष	इकाइयों की संख्या
2008-09	95,577
2009-10	70,995
2010-11	42,859
2011-12	1,26,795
2012-13	3,56,480
2013-14	5,83,508
2014-15	2,26,715
2015-16	59,143
कुल	15,62,072

शहरी आवास निधि (यूएचएफ)

इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों द्वारा शहरी क्षेत्रों में आवास इकाइयों के निर्माण/खरीद, आवास इकाइयों की मरम्मत/नवीकरण/उन्नयन एवं वृद्धिशील आवास के लिए प्रदान किये गये आवास ऋणों के संबंध में पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत पात्र ऋण राशि आवास इकाइयों के लिए दिनांक 01 अप्रैल, 2013 को अथवा उसके पश्चात संवितरित 10 लाख रुपये तक

का ऋण है जिसका कारपेट एरिया 60 वर्गमीटर से अधिक न हो एवं आवास इकाइयों की लागत 16 लाख रुपये से अधिक न हो। इस योजना के तहत लक्षित लाभार्थी शहरी क्षेत्रों के वे उधारकर्ता हैं जिनकी कुल पारिवारिक आय 4,00,000/- रुपये प्रति वर्ष से अधिक न हो। शहरी आवास निधि के तहत दिनांक 30-06-2016 तक 5,956.43 करोड़ रुपये का संचयी संवितरण किया गया।

वर्ष	आबंटन	उपयोगिता			
		आवास वित्त कंपनियां	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	कुल
2013-14	2000	148	1852	000	2000
2014-15	4000	883	1661	30	2574
2015-16		94	1256	33	1383
कुल	6000	1125	4769	63	5957


शहरी आवास निधि के तहत इसके अस्तित्व से विगत दो वर्षों के दौरान वित्त पोषित इकाइयों की संख्या निम्नलिखित तालिका में दर्शायी गयी है:

तालिका: शहरी आवास निधि के तहत वित्तपोषित इकाइयां – वर्ष-वार

वर्ष	इकाइयों की संख्या
2013-14	45,660
2014-15	99,049
2015-16	28,251
कुल	1,72,934



ग्रामीण आवास निधि संवितरण (करोड़ रुपये में)



4.3 प्रत्यक्ष वित्त

4.3.1 राष्ट्रीय आवास बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 14(खक) की शर्तों के अनुसार अपनी परियोजना वित्त योजनाओं के अंतर्गत राज्य आवास बोर्ड, राज्य मलिन बस्ती सुधार बोर्ड/प्राधिकरण, विकास प्राधिकरण, नगर निगम, शहरी स्थानीय निकाय इत्यादि जैसी विभिन्न सार्वजनिक एजेंसियों को रिहायशी आवास के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। राष्ट्रीय आवास बैंक का प्रयास समाज के कमजोर वर्गों की आवास की मांग पर विशेष बल देने के साथ आपूर्ति पक्ष में हस्तक्षेप करते हुए देश में समग्र आवास स्टाक बढ़ाना है। यह वित्तीय सहायता राष्ट्रीय आवास बैंक की परियोजना वित्त नीति के अनुसार एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप वाणिज्यिक रूप से व्यावहारिक परियोजनाओं को प्रदान की जाती है।

4.3.2 राष्ट्रीय आवास बैंक ने छत्तीसगढ़ सरकार की किफायती आवास योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय वर्ग (एलआईजी) के 14,552 प्लेटों के निर्माण में मदद करते हुए 250 करोड़ रुपये की राशि की दो आवासीय परियोजनाओं के लिए परियोजना वित्त संस्वीकृत किया एवं हरियाणा में गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों के 7,602


प्लेटों के निर्माण के लिए 97 करोड़ रुपये संवितरित किये।

4.3.3 हाउसिंग माइक्रो फाइनेंस के तहत राष्ट्रीय आवास बैंक का ध्यान सतत मानव निवास विकसित करने पर केंद्रित है जो पर्यावरण अनुकूल, किफायती एवं अधिक लाभकारी हो। विगत वर्षों में राष्ट्रीय आवास बैंक ने 11 राज्यों में फैले 31 माइक्रो फाइनेंस संस्थानों को 40,210 शहरी एवं ग्रामीण आवास/सेनीटेशन इकाइयों का वित्तपोषण करते हुए 102 करोड़ रुपये संस्वीकृत किये जिसके लाभार्थियों में किसान, छोटे व्यापारी, कारीगर, डेयरी कामगार एवं अन्य निम्न आय वाले परिवार शामिल हैं। इसमें 90 प्रतिशत से अधिक लाभार्थी महिलाएं थीं।

4.3.4 संचयी निष्पादकता (परियोजना पुनर्वित्त को छोड़कर): यथा 30 जून, 2016 को रा.आ.बैंक ने 9,590 करोड़ रुपये की परियोजना लागत एवं 5,522 करोड़ रुपये के ऋण घटक के साथ कुल 448 परियोजनाओं का वित्तपोषित किया है। यथा 30 जून, 2016 को संचयी परियोजना वित्त संवितरण 2,331 करोड़ रुपये रहा। राष्ट्रीय आवास बैंक के परियोजना वित्त संवितरण की प्रवृत्ति निम्नलिखित तालिका में दर्शायी गयी है:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	संवितरण	संचयी संवितरण
2005-06	365	1,023
2006-07	172	1,195
2007-08	449	1,644
2008-09	35	1,679
2009-10	52	1,731
2010-11	312	2,043
2011-12	64	2,107
2012-13	93	2,200
2013-14	34	2,234
2014-15	-	2,234
2015-16	97	2,331





4.4 विनियमन एवं पर्यवेक्षण

4.4.1 राष्ट्रीय आवास बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के प्रावधानों के अनुसार सार्वजनिक हित में आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) का विनियमन एवं पर्यवेक्षण करता है। दिनांक 30 जून, 2016 को राष्ट्रीय आवास बैंक से पंजीकृत आवास वित्त कंपनियों की कुल संख्या 75 रही जिसमें से 18 आवास वित्त कंपनियों को सार्वजनिक जमाएं स्वीकार करने की अनुमति के साथ पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) प्रदान किए गये एवं शेष 57 आवास वित्त कंपनियों को सार्वजनिक जमाएं स्वीकार करने की अनुमति के बिना पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किये गये। 18 आवास वित्त कंपनियां जिन्हें सार्वजनिक जमाएं स्वीकार करने की अनुमति के साथ पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है, में से 6 कंपनियों को कोई भी सार्वजनिक जमाएं स्वीकार करने से पूर्व राष्ट्रीय आवास बैंक से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त आवास वित्त कंपनियों की सूची को अद्यतित कर लिया गया है जो राष्ट्रीय आवास बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

4.4.2 राष्ट्रीय आवास बैंक के विनियमन एवं पर्यवेक्षण का उद्देश्य किसी भी आवास वित्त कंपनी द्वारा जमाकर्ताओं के हितों के विपरीत किये जाने वाले कार्यों को रोकना एवं यह देश के आवास वित्त क्षेत्र के परिचालन एवं विकास के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। विनियमन के तहत राष्ट्रीय आवास बैंक ने आवास वित्त कंपनियों एवं उनके लेखा परीक्षकों को समय-समय पर आर्स्टि देयता प्रबंधन प्रणाली, "अपने ग्राहक को जानिए" (केवाईसी) एवं धन शोधन निवारण (एएमएल), उचित आचार संहिता इत्यादि पर निर्देश, दिशानिर्देश जारी किये हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक आवास वित्त कंपनियों की सुरक्षा एवं सुदृढ़ता सुनिश्चित करने के लिए अपने पर्यवेक्षी तंत्र के माध्यम से आवास वित्त कंपनियों का स्थलीय निरीक्षण एवं स्थलेत्तर निगरानी भी करता है।

4.4.3 पणधारकों को महत्व देते हुए आवास वित्त कंपनियों के ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए शिकायत निवारण प्रकोष्ठ भी स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय आवास बैंक ने आवास वित्त कंपनियों के ग्राहकों को अपनी शिकायतों का ऑनलाइन पंजीकरण करने एवं उनकी स्थिति जानने के लिए शिकायत पंजीकरण एवं सूचना डाटाबेस प्रणाली (ग्रिड्स) लागू की है। रा.आ.बैंक प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत विभाग (डीएपीआरजी) के केंद्रीकृत शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली का सदस्य संगठन है जिसका लक्ष्य नागरिकों को उनकी शिकायतों के समाधान हेतु एक मंच प्रदान करना है। रा.आ.बैंक से संबंधित भुगतान गेटवे पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की नियमित तौर पर निगरानी और त्वरित निपटान किया जाता है। वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान रा.आ.बैंक को आ.वि.कं. के विरुद्ध कुल 1,482 शिकायतें प्राप्त हुईं जिसमें से 1,380 का समाधान कर दिया गया और शेष के शीघ्र निपटान हेतु नियमित निगरानी की जा रही है।

4.4.4 भारतीय रिजर्व बैंक/सदस्य बैंकों के साथ भारतीय बैंक संघ के द्वारा साझा की जा रही सूचना के

अनुसरण में सभी आ.वि.कं. को सतर्कता सूचना जारी करने हेतु रा.आ.बैंक द्वारा एक पहल की गई थी। आ.वि.कं. को तिमाही आधार पर रा.आ.बैंक को धोखाधड़ी लेन-देनों पर सूचना प्रस्तुत करना अपेक्षित है। धोखा-धड़ी की प्रणाली एवं इसके कारकों सहित आ.वि.कं. से प्राप्त जानकारी सभी आ. वि.कं. के साथ साझा की जाती है। आवास वित्त में धोखाधड़ी को रोकने के लिए रा.आ.बैंक सतर्कता सूचना के माध्यम से आ.वि.कं. को मॉर्टगेज से संबंधित धोखाधड़ियों पर सूचना प्रसारित करता है एवं बाजार प्रतिक्रिया हेतु अन्य विनियमकों के साथ विचार-विमर्श भी करता है। सतर्कता सूचियां विभिन्न ऋणदाता संस्थानों को सही प्रकार से व्यवसायिक परिचालन में मदद करती हैं, इसका मुख्य उद्देश्य आवास क्षेत्र में धोखाधड़ी से बचाव करना है। वर्ष 2015-16 में कुल 129 धोखाधड़ी लेनदेनों के लिए रा.आ.बैंक द्वारा 3 सतर्कता सूचना जारी की गई।

4.4.5 आवास वित्त कंपनियों को प्रदान किये गये पंजीकरण प्रमाणपत्र का पंजीकरण/निरस्तीकरण

राष्ट्रीय आवास बैंक ने वर्ष 2015-16 के दौरान 11 आवास वित्त कंपनियों यथा फुलर्टन इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड • बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड • केप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड • हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड • खुश हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड • निवारा होम फाइनेंस लिमिटेड • सुप्रीम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड • लोढ़ा हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड • आईकेएफ हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड • फाइव स्टार हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड एवं वेस्ट एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को आवास वित्त संस्थान के तौर पर कारोबार प्रारंभ करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) प्रदान किया।

निरस्तीकरण

वर्ष 2015-16 के दौरान राष्ट्रीय आवास बैंक ने केरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया।

4.4.6 आवास वित्त कंपनियों का पर्यवेक्षण

राष्ट्रीय आवास बैंक स्थलीय निरीक्षणों, बाजार आसूचना एवं स्थलेत्तर निगरानी तंत्र के माध्यम से आवधिक विवरणियों/सूचना एवं उनके सत्यापन करते हुए आवास वित्त कंपनियों के क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करता है।

स्थलीय निरीक्षण

वर्ष 2015-16 के दौरान राष्ट्रीय आवास बैंक ने 54 आवास वित्त कंपनियों का निरीक्षण किया जिसमें 12 कंपनियां थीं जिसने राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29क के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन किया था। शेष 42 निरीक्षण राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के विभिन्न विनियामक प्रावधानों एवं इसके आधार पर राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों, दिशानिर्देशों, परिपत्रों इत्यादि के साथ पंजीकृत आवास वित्त कंपनियों के अनुपालन के लिए किया गया।



स्थलेत्तर निगरानी

आवास वित्त कंपनियों द्वारा जमा आवधिक विवरणियों जिसमें निर्देशों में निर्दिष्ट तिमाही, छमाही एवं वार्षिक विवरणी शामिल हैं, उनकी निगरानी व जांच की गई।

ऑनलाइन रिपोर्टिंग एवं प्रबंधन सूचना प्रणाली (ओआरएमआईएस)

राष्ट्रीय आवास बैंक ने डिजिटलीकरण के उद्देश्य के साथ वर्ष 2015-16 में आवास वित्त कंपनियों को विवरणियां,

डेटा एवं सूचना प्रस्तुत करने के लिए एक त्वरित तंत्र की सुविधा प्रदान करते हुए 24x7 ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रणाली का शुभारंभ किया। आवास वित्त कंपनियों उनके द्वारा प्रस्तुत विवरणियों, डेटा एवं सूचना की स्थिति देख सकते हैं। इस प्रणाली में विवरणियां, डेटा एवं सूचना प्रस्तुत न करने पर एक स्वचालित अनुस्मारक का प्रावधान है। आवास वित्त कंपनी के अधिकारियों एवं लेखा परीक्षकों द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अनुसार सूचना की प्रमाणिकता प्रदान करते हैं।

4.4.7 जारी अधिसूचनाएं, परिपत्र एवं सतर्कता सूचना

आवास वित्त कंपनी (रा.आ.बैंक) निर्देश, 2010 पर अधिसूचनाएं

- एनएचबी.एचएफसी.निर्देश.16/एमडीएंडसीईओ/2015 दिनांक 14 सितंबर, 2015 के माध्यम से अनुसूची- I में वार्षिक विवरणी के भाग 1 (ग), भाग 4.1 (घ) एवं (ड) में "तेलंगाना" समाविष्ट किया गया है एवं
- एनएचबी.एचएफसी.निर्देश.17/एमडीएंडसीईओ/2015 दिनांक 9 अक्टूबर, 2015 के माध्यम से अनुच्छेद 27क के उप अनुच्छेद (1) का खंड (क) एवं (ख) निम्नलिखित प्रतिस्थापित करते हुए संशोधित किया गया है
 - 90 प्रतिशत से अधिक एलटीवी अनुपात के साथ 30 लाख रुपये तक एवं
 - 80 प्रतिशत से अधिक एलटीवी अनुपात के साथ 30 लाख रुपये से अधिक एवं 75 लाख रुपये तक

इसके फलस्वरूप आवास ऋण की राशि, एलटीवी अनुपात एवं तुलन पत्र की जोखिम भारित मर्दे प्राप्त करते हुए जोखिम भार के प्रतिशत में परिवर्तन करते अनुच्छेद 30 में भी संशोधन किया गया है एवं यह बदलाव अनुसूची II में छमाही विवरणी में किया गया।

आवास वित्त कंपनियों द्वारा जारी निजी नियोजन आधार पर अपरिवर्तनीय डिबेंचर के निर्गमन हेतु (रा.आ.बैंक) निर्देश, 2014 पर अधिसूचनाएं

निर्देश के अनुच्छेद 5 अर्थात "आवास वित्त कंपनी के पास वित्तीय दायित्वों के समय पर ऋण शोधन के संबंध में सुरक्षा की पर्याप्त सीमा की न्यूनतम ऋण पात्रता मूल्यांकन होना चाहिए" में "आवास वित्त कंपनी के पास वित्तीय दायित्वों के समय पर ऋणशोधन के संबंध में सुरक्षा की औसत सीमा की न्यूनतम ऋण पात्रता मूल्यांकन होना चाहिए" प्रतिस्थापित करते हुए संशोधन किया गया देखें एनएचबी.एचएफसी. एनसीडी-निर्देश.3/एमडीएंडसीईओ/2016 दिनांक 9 फरवरी, 2016


वर्ष 2015-16 के दौरान राष्ट्रीय आवास बैंक ने पहली बार निर्देश, अधिसूचना एवं परिपत्र इत्यादि के स्वरूप में आवास वित्त कंपनियों को जारी सभी अनुदेशों को समेकित किया एवं निम्नलिखित मास्टर परिपत्र जारी किए:

- मास्टर परिपत्र – आवास वित्त कंपनी (राष्ट्रीय आवास बैंक) निर्देश, 2010,
- मास्टर परिपत्र – आवास वित्त कंपनियों द्वारा जारी निजी नियोजन आधार पर अपरिवर्तनीय डिबेंचर के निर्गमन हेतु (रा.आ.बैंक) निर्देश, 2014,
- मास्टर परिपत्र – उचित व्यवहार संहिता, एवं
- मास्टर परिपत्र – सभी आवास वित्त कंपनियों को विविध निर्देश

आवास वित्त कंपनियों द्वारा दृष्टि बाधित व्यक्तियों को ऋण सुविधा पर एनएचबी(एनडी)/डीआरएस/नीति परिपत्र सं. 73/2015-16 दिनांक 03-12-2015: आवास वित्त कंपनियों को यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया है कि विकलांगता के आधार पर नेत्रहीन व्यक्तियों को ऋण सुविधा सहित उनके द्वारा पेश उत्पाद, सेवा, सुविधा इत्यादि प्रदान करने में कोई भेदभाव न किया जाए और तदनुसार दिशानिर्देश जारी किए गए। आवास वित्त कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने विभिन्न उत्पाद/सेवा प्राप्त करने में नेत्रहीन व्यक्तियों की हर संभव सहायता प्रदान करने में अपने शाखाओं/कार्यालयों को भी सूचित करें।

इरादतन चूककर्ताओं पर दिशानिर्देशों पर एनएचबी(एनडी)/डीआरएस/नीति परिपत्र सं. 74/2015-16 दिनांक 31-12-2015: पुरी समिति की रिपोर्ट की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय आवास बैंक ने सभी ऋण सूचना कंपनियों (सीआईसी) को आवास वित्त कंपनियों द्वारा इरादतन चूककर्ताओं पर जानकारी की रिपोर्टिंग करने का तंत्र स्थापित करने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किये हैं। तदनुसार राष्ट्रीय आवास बैंक ने आवास वित्त कंपनियों को सूचित किया है कि वे उक्त दिशानिर्देशों के अनुदेशों/निर्देशों का पूर्णतः पालन करें।

ऋण सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता एवं सीआईसी को डेटा के प्रस्तुतीकरण पर एनएचबी(एनडी)/डीआरएस/विविध परिपत्र सं. 15/2015-16 दिनांक 17-07-2015: अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण ऋण सूचना की समस्या से निपटने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक ने सभी आवास वित्त कंपनियों को सभी सीआईसी का सदस्य बनना अनिवार्य





कर दिया है। इसके अतिरिक्त आवास वित्त कंपनियां निदेश पत्र एनएचबी(एनडी)डीआरएस/7151/2015-16 दिनांक 17-07-2015 के अनुसार यथोचित रूप से सदस्यता एवं वार्षिक शुल्क भी कम कर सकते हैं।

आवास वित्त कंपनियों द्वारा विकलांग लोगों को ऋण सुविधा पर एनएचबी(एनडी)/डीआरएस/विविध परिपत्र सं. 16/2015-16 दिनांक 03-12-2015:

4.4.8 अन्य नियामक प्राधिकरणों के साथ समन्वय

राष्ट्रीय आवास बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय समन्वय समिति (एसएलसीसी) में भागीदारी करते हुए एवं राज्य पुलिस विभाग, राज्य सरकार के मंत्रालयों/विभाग के माध्यम से, आर्थिक अपराध शाखा,

आवास वित्त कंपनियों को सूचित किया गया है कि वे विकलांगता के आधार पर विकलांग आवेदकों को ऋण सुविधा सहित उत्पाद, सेवा, सुविधा इत्यादि प्रदान करने में कोई भेदभाव न करे। आवास वित्त कंपनियों ने निर्देश दिया गया है कि वे अपने विभिन्न उत्पाद/सेवा प्राप्त करने में ऐसे व्यक्तियों की हर संभव सहायता प्रदान करने में अपने शाखाओं/कार्यालयों को भी सूचित करें।

कंपनी रजिस्ट्रार, कंपनी लॉ बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान इत्यादि में भाग लेकर अन्य नियामक प्राधिकरणों के साथ निरंतर समन्वय कर रहा है।

4.4.9 अपने ग्राहक को जानिए एवं धन शोधन निवारक गतिविधियां

धन शोधन निवारक अधिनियम, 2002 एवं आवास वित्त कंपनियों के लिए अपने ग्राहक को जानिए एवं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग उपायों पर दिशानिर्देश के अनुपालन के संबंध में आवास वित्त कंपनियों के प्रधान अधिकारियों की बैठक: आवास वित्त कंपनियों के वित्तीय आसूचना इकाई - भारत को नकदी लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर) एवं संदेहास्पद लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) के तौर पर बड़ी नकदी व संदेहास्पद लेन-देनों की सूचना देने के साथ

धन शोधन निवारक अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत कुछ दायित्व होते हैं। पीएमएलए की गतिविधियों के बारे में आवास वित्त कंपनियों को संवेदनशील बनाने एवं अपने ग्राहक को जानिए दिशानिर्देश/धन शोधन उपाय पर उनकी अनुपालन की समीक्षा करने के लिए बैंक ने दिनांक 22 जनवरी, 2016 को दिल्ली में आवास वित्त कंपनियों के प्रधान अधिकारियों के साथ वित्तीय आसूचना इकाई-भारत की इंटरफेस बैठक आयोजित की।

4.5 संवर्धन एवं विकास

4.5.1 इक्विटी सहभागिता

राष्ट्रीय आवास बैंक ने निम्नलिखित आवास वित्त कंपनियों/संस्थानों को इक्विटी सहभागिता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की है:

- सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड (सीबीएचएफएल) राष्ट्रीय आवास बैंक से पंजीकृत एक आवास वित्त कंपनी है। यह सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की सहायक कंपनी है। राष्ट्रीय आवास बैंक की सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड में वर्ष 1991 से 16 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। यथा 30-06-2016 के अनुसार सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड की इक्विटी शेयर पूंजी में राष्ट्रीय आवास बैंक का कुल निवेश 5.10 करोड़ रुपये था।
- महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एमआरएफएल) राष्ट्रीय आवास बैंक से पंजीकृत एक आवास वित्त कंपनी है। यह महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लि. की सहायक कंपनी है। राष्ट्रीय आवास बैंक की महिंद्रा

रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में वर्ष 2008 से 12.50 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। यथा 30-06-2016 के अनुसार महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की इक्विटी शेयर पूंजी में राष्ट्रीय आवास बैंक का कुल निवेश 16.96 करोड़ रुपये था।

- सेवा गृह ऋण लिमिटेड (एसजीआरएल) राष्ट्रीय आवास बैंक से पंजीकृत एक आवास वित्त कंपनी है। कंपनी का प्रमुख प्रवर्तक सेवा है जो निर्धन, स्वरोजगारयुक्त महिला कामगारों का संगठन है। राष्ट्रीय आवास बैंक की सेवा गृह ऋण लिमिटेड में वर्ष 2014 से 7.41 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। यथा 30-06-2016 के अनुसार सेवा गृह ऋण लिमिटेड की इक्विटी शेयर पूंजी में राष्ट्रीय आवास बैंक का कुल निवेश 1 करोड़ रुपये था।
- भारतीय प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति स्वत्व की केंद्रीय रजिस्ट्री (सरसाई) कंपनी अधिनियम



की धारा 25 के तहत लाइसेंसीकृत कंपनी है। भारतीय प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति स्वत्व की केंद्रीय रजिस्ट्री का उद्देश्य प्रतिभूतिकरण के लेन-देनों का पंजीकरण, वित्तीय आस्तियों का पुनर्गठन एवं संपत्ति पर प्रतिभूति हित का सृजन के प्रयोजन के लिए पंजीकरण प्रणाली का अनुरक्षण एवं संचालन करना है जैसा कि वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) में अपेक्षित है। यथा 30-06-2016 के अनुसार भारतीय प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति स्वत्व की केंद्रीय रजिस्ट्री की इक्विटी शेयर पूंजी में राष्ट्रीय आवास बैंक का कुल निवेश 2.44 करोड़ रुपये है।

- राष्ट्रीय आवास बैंक, जेनवर्थ फाइनेंशियल मॉरिशस

4.5.2 विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों में सहभागिता

1. शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/ निम्न आय वर्ग (एलआईजी) द्वारा आवास ऋणों की सामर्थ्यता में सुधार लाने के लिए आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 26-12-2008 को **शहरी गरीब आवास हेतु ब्याज सब्सिडी योजना (ईशप)** की शुरुआत की। इस योजना के तहत प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों (पीएलआई) द्वारा ईडब्ल्यूएस/एलआईजी लाभार्थियों को प्रदान किए गये 1.00 लाख रुपये तक ऋणों पर ऋण की संपूर्ण अवधि (15-20 वर्ष) के लिए 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज सब्सिडी प्रदान की गई थी। ईडब्ल्यूएस वैयक्तिकों के लिए अधिकतम ऋण राशि 1.00 लाख रुपये जबकि एलआईजी श्रेणी के लिए अधिकतम ऋण राशि 1.60 लाख रुपये थी। यह ब्याज सब्सिडी एनपीवी एवं प्रारंभिक आधार पर प्रदान की गई थी। यह योजना प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों यथा बैंक एवं आवास वित्त कंपनियों के माध्यम से कार्यान्वित की गयी थी। इस योजना में इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पात्र लाभार्थियों का अभिज्ञान एवं चयन

होल्टिडिंग्स लिमिटेड (जेनवर्थ), एशियाई विकास बैंक (एडीबी) एवं अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) ने एकसाथ मिलकर भारत में पहली बंधक गारंटी कंपनी – इंडिया मोर्टगेज गारंटी कॉर्पोरेशन प्रा. लि. (आईएमजीसी) की स्थापना की है। राष्ट्रीय आवास बैंक की इंडिया मोर्टगेज गारंटी कॉर्पोरेशन प्रा. लि. में 38 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ सबसे अधिक हिस्सेदारी है जबकि जेनवर्थ की 36 प्रतिशत की हिस्सेदारी है उसके बाद एडीबी एवं आईएफसी की कंपनी में प्रत्येक की 13 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। बैंक द्वारा किए गए 5.70 करोड़ रु. के अतिरिक्त निवेश के साथ यथा 30-06-2016 के अनुसार इंडिया मोर्टगेज गारंटी कॉर्पोरेशन प्रा. लि. की इक्विटी शेयर पूंजी में राष्ट्रीय आवास बैंक का कुल निवेश 76 करोड़ रुपये है।

को सुविधापरक बनाने के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (एसएलएनए) की नियुक्ति की परिकल्पना की गई थी। राष्ट्रीय आवास बैंक एवं हडको को इस योजना के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) के तौर नामांकित किया गया है। उक्त योजना के लिए नोडल एजेंसी के तौर पर राष्ट्रीय आवास बैंक ने ईशप के प्रभावी कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करते हुए व्यापक प्रचार-प्रसार, संवेदनशील बनाने के कार्यक्रम एवं विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वयन करते हुए जागरूकता लाने के विभिन्न उपाय किए। यह योजना दिनांक 30-09-2013 से प्रचलन में नहीं है। परंतु प्रतिबद्ध देयताओं को पूरा किया जा रहा है। दिनांक 30 जून, 2016 तक राष्ट्रीय आवास बैंक ने नोडल एजेंसी के तौर पर इस योजना के तहत 12,302 लाभार्थियों को 12.45 करोड़ रुपये की सब्सिडी की निवल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) संवितरित की। राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा शहरी गरीब आवास हेतु ब्याज सब्सिडी योजना के तहत संवितरित सब्सिडी की स्थिति निम्नलिखित तालिका में दर्शाई गयी है।

	वित्तीय वर्ष							कुल
	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	
राशि करोड़ रुपये में	0.37	3.41	2.89	1.18	0.37	3.66	0.57	12.45
लाभार्थियों की संख्या	531	4,611	2,987	755	294	2828	296	12,302





2. **1 प्रतिशत ब्याज राहत योजना** : दिनांक 01 अक्टूबर, 2009 को प्रारंभ हुई। इस योजना के तहत 10 लाख रुपये तक के सभी वैयक्तिक आवास ऋणों पर 1 प्रतिशत की ब्याज राहत उपलब्ध कराई जाती थी बशर्ते कि इकाई की लागत 20 लाख रुपये से अधिक न हो। वित्तीय वर्ष 2011-12 से योजना 15 लाख रुपये तक के आवास ऋणों के लिए प्रदान की गयी थी जहां आवास की लागत 25 लाख रुपये से अधिक न हो। यह योजना अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं आवास वित्त कंपनियों के माध्यम से कार्यान्वित की गयी

थी। वित्तीय वर्ष 2012-13 से योजना के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक को नोडल एजेंसी के तौर पर नामांकित किया गया था। यह योजना दिनांक 1 अक्टूबर, 2009 से प्रारंभ होकर 31 मार्च, 2013 तक की अवधि के लिए परिचालन में थी और 89 प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों (36 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, 22 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं 31 आवास वित्त कंपनियां) के द्वारा प्रस्तुत दावों के आधार पर 01-04-2012 से लगभग 17 लाख लेनदेन हेतु रा.आ.बैंक द्वारा सब्सिडी संवितरित की गई।

1 प्रतिशत ब्याज राहत योजना के तहत कार्य-निष्पादन

वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च)	भारत सरकार द्वारा आबंटन	रा.आ.बैंक द्वारा सं. वितरित सब्सिडी	भा.रि.बैं. एवं रा.आ.बैंक द्वारा संवितरित सब्सिडी
2009-10	0.0	0.0	0.0
2010-11	38.5	17.3	38.5
2011-12	300.0	165.9	300.0
संवितरण आधारित- उप जोड़ (क)	338.5	183.2	338.5
2012-13	400.0	315.9	315.9
2013-14	80.0	105.0	105.0
2014-15	50.0	78.8	78.8
2015-16	0.0	50.3	50.3
2016.17 (30 जून, 2016 तक)	84.8	42.1	42.1
आबंटन आधारित- उप जोड़ (ख)	614.8	592.1	592.1
जोड़ (क + ख)	953.3	775.3*	930.6*

*सरकारी निधियों पर अर्जित ब्याज एवं प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों से प्राप्त चुकौतियों सहित

3. आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले इडब्ल्यूएस/एलआईजी वर्गों की आवास की मांग को ध्यान में रखते हुए एक अतिरिक्त साधन के रूप में तथा पात्र आवास ऋणों

को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख करते हुए ब्याज राहत योजना को संशोधित इसे राजीव ऋण योजना का नया नाम दिया। राजीव ऋण योजना दिनांक 1 अक्टूबर, 2013 से प्रभावी है। **राजीव ऋण योजना**




के तहत ईडब्ल्यूएस एवं एलआईजी लाभार्थियों के लिए क्रमशः 5 लाख रुपये व 8 लाख रुपये तक की ऋण राशि बढ़ाई गयी। हालांकि लाभार्थियों के दोनों वर्गों के लिए ब्याज सब्सिडी अधिकतम 5 लाख रुपये के लिए उपलब्ध कराई गयी थी। योजना के तहत पात्र ऋणदाता संस्थान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, आवास वित्त कंपनियां एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक थे। योजना के तहत राष्ट्रीय आवास बैंक एवं हडको दो नोडल एजेंसियां थीं। वित्तीय संस्थानों से आवास ऋण प्राप्त करने वाले पात्र उधारकर्ताओं को 15-20 वर्षों की ऋण अवधि के लिए तिमाही आधार पर 5 प्रतिशत (500 बीपीएस) की ब्याज सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती थी। उधारकर्ताओं की आय की आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य स्तरीय नोडल एजेंसियों द्वारा प्रमाणित किया जाना था। राजीव ऋण योजना के तहत राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों (पीएलआई) द्वारा 28 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए थे। दिनांक 30 जून, 2016 तक 4 प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों के माध्यम से 229 लाभार्थियों को 6.86 लाख रुपये के सब्सिडी दावे संवितरित किये गये थे। आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. एफ सं. 14013/9/2014-एच/एफटीएस-11839 दिनांक 16-04-2015 के अनुसार राजीव ऋण योजना अब प्रचलन में नहीं है।

4. घरेलू संदर्भ में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के विचार के साथ नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (जेएनएनएसएम) के तहत **घरों में सौर जल तापन एवं सौर प्रकाश प्रणालियों के अधिष्ठापन हेतु पूंजीगत सब्सिडी योजना** कार्यान्वित की। इस योजना का उद्देश्य सौर प्रणालियों की खरीद एवं अधिष्ठापन के लिए पूंजीगत सब्सिडी के स्वरूप में उपयुक्त प्रयास करते हुए घरों में सौर जल तापक एवं सौर प्रकाश प्रणालियों के उपयोग को लोकप्रिय बनाना है। राष्ट्रीय आवास बैंक को पूंजीगत ब्याज योजना व्यवस्थित करने एवं निगरानी करने की

नोडल एजेंसी के तौर पर नामांकित किया गया है। यह योजना दिनांक 01-04-2014 से शुरु की गयी एवं दिनांक 01-04-2014 को अथवा उसके पश्चात संवितरित ऋण, योजना के तहत कवर किये जाने के लिए पात्र हैं। यह योजना दिनांक 31-12-2015 अथवा ऐसी अवधि तक वैध रहेगी, जिसकी भारत सरकार अनुमति दे। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से राष्ट्रीय आवास बैंक को 52.35 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा दिनांक 1 अक्टूबर, 2014 से सौर तापक प्रणालियों के लिए पूंजीगत सब्सिडी योजना बंद कर दी गयी। हालांकि सौर गृह प्रकाश प्रणाली के लिए सब्सिडी उन्हीं नियम व शर्तों पर जारी है जो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा मूल रूप से संस्वीकृत थी। सौर गृह प्रकाश के मामले में सब्सिडी की राशि 300 वाट तक की क्षमतायुक्त इकाइयों के लिए बेंचमार्क लागत का 40 प्रतिशत एवं 300 वाट से 1000 वाट की इकाइयों के लिए बेंचमार्क लागत के 30 प्रतिशत तक सीमित है। ये बेंचमार्क समय-समय पर नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा निर्धारित किये जाते हैं। योजना में भाग लेने वाले पात्र संस्थानों में आवास वित्त कंपनियां (एचएफसी), अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी), अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी), शीर्ष सहकारी आवास वित्त समितियां (एसीएचएफएस) एवं कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (एआरडीबी) शामिल हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक ने योजना के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के 1 बैंक, निजी क्षेत्र के 1 बैंक, 3 आवास वित्त कंपनियां एवं 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित 7 संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। दिनांक 30 जून, 2016 तक राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा योजना के तहत 18,737 लाभार्थियों के लिए दो बैंकों, एक आवास वित्त कंपनी एवं दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 30.13 करोड़ रुपये संवितरित किये।

5. **निम्न आय आवास हेतु ऋण जोखिम गारंटी निधि** न्यास भारत सरकार ने लक्षित वर्गों (ईडब्ल्यूएस/एलआईजी उधारकर्ताओं) की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए





शहरी क्षेत्रों में आवास के संस्थागत ऋण का बेहतर प्रवाह सुनिश्चित करने के उद्देश्य के साथ दिनांक 1 मई, 2012 को निम्न आय आवास हेतु ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास की स्थापना की थी। इस न्यास का प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाता है। निम्न आय आवास हेतु ऋण जोखिम गारंटी निधि योजना ऋणदाता संस्थानों (दिनांक 01 अक्टूबर, 2014 से प्रभावी) द्वारा संस्वीकृत व संवितरित 8 लाख रुपये तक के सभी आवास ऋणों के लिए गारंटी प्रदान करती है यह गारंटी कवर 5 लाख तक रुपये के लिए ही सीमित है। इससे पूर्व शहरी क्षेत्रों में ईडब्ल्यूएस/एलआईजी वर्गों के नये उधारकर्ताओं को घरों के उन्नयन, निर्माण, अभिग्रहण एवं 430 वर्ग फीट (40 वर्गमी) तक की आकार की नई अथवा पुरानी आवास इकाईयों की खरीद के लिए बिना किसी संपार्श्विक प्रतिभूति एवं/अथवा तृतीय पक्ष की गारंटी के 5 लाख रुपये तक के सभी आवास ऋण पात्र थे। इस योजना के तहत गारंटी कवर की सीमा 2 लाख रुपये तक की संस्वीकृत आवास ऋण राशि का 90 प्रतिशत एवं 2 लाख रुपये से अधिक संस्वीकृत ऋण राशि का 85 प्रतिशत है। प्रमुख बैंक एवं आवास वित्त कंपनियों पहले ही भारत सरकार के इन प्रयासों के कार्यान्वयन के लिए करार संपन्न कर चुके हैं। आज की तारीख तक योजना के तहत न्यास के साथ 62 संस्थानों से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। इस अवधि के दौरान न्यास ने ईडब्ल्यूएस/एलआईजी परिवारों को उपलब्ध कराई गई 53.80 करोड़ की कुल ऋण राशि सहित 14 सदस्य ऋणदाता संस्थानों (एमएलआई) के 1922 ऋण खातों के संबंध में गारंटी कवर जारी किया है। इन सदस्य ऋणदाता संस्थानों (एमएलआई) में 9 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, 4 आवास वित्त कंपनियां एवं 1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल हैं।

6. “2022 तक सबके लिए आवास” मिशन के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)

25 जून, 2015 को “2022 तक सबके लिए आवास” व्यापक मिशन के साथ भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ किया।

- “सबके लिए आवास” मिशन का उद्देश्य 2022 तक सभी पात्र परिवारों/लाभार्थियों को आवास प्रदान करने हेतु राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसियों को केंद्रीय सहायता प्रदान करना एवं निम्नलिखित चार कार्यक्रम शीर्षों के माध्यम से स्लम निवासियों सहित शहरी गरीब की आवास जरूरत को पूरा करना है।
- भूमि का संसाधन के रूप में उपयोग करते हुए निजी प्रवर्तकों की भागीदारी से स्लम वासियों का पुनर्वास।
- ऋण सहबद्ध सब्सिडी के माध्यम से कमजोर वर्ग के लिए किफायती आवास को प्रोत्साहन।
- सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के साथ भागीदारी के माध्यम से किफायती घरों का निर्माण।
- लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए सब्सिडी।

यह मिशन अपने सभी घटकों के साथ 17 जून, 2015 से प्रभावी है और 31 मार्च, 2022 तक कार्यान्वित रहेगा।

ऋण सहबद्ध सब्सिडी के माध्यम से कमजोर वर्ग के लिए किफायती आवास का संवर्धन प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत चार कार्यक्षेत्रों में से एक है जिससे प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों यथा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, आवास वित्त कंपनियों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं सहकारी बैंकों के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के सीएलएसएस कार्यक्षेत्र का कार्यान्वयन करने करने के लिए आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय (महुपा), भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक को केंद्रीय नोडल एजेंसी के तौर पर अभिज्ञात किया गया है। सीएलएसएस कार्यक्षेत्र सबके लिए आवास मिशन के महत्वपूर्ण घटकों में से एक है एवं केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह योजना दिनांक 17-06-2015 से 31-03-2022 तक प्रभावी है। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों से निर्धारित प्रारूप के अनुसार लाभार्थियों पर मास्टर डेटा एकत्रित किया जाना



आवश्यक है। मास्टर डेटा में उधारकर्ताओं का विशिष्ट पहचान पत्र, विशिष्ट पहचान पत्रों के साथ आश्रित वयस्क पारिवारिक सदस्य, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसांख्यिकीय विवरण जैसे जाति व धर्म, वार्षिक पारिवारिक आय, संपत्ति की जगह का कोड एवं ऋण का विवरण शामिल है। राष्ट्रीय आवास बैंक ने प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों द्वारा दावे दर्ज करने के लिए एक अंतरिम सॉफ्टवेयर साधन विकसित किया है। यह प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों के लिए उपयोगकर्ता नाम एवं पासवर्ड के माध्यम से पहुंच प्रदान कराने वाला सब्सिडी दावे प्रस्तुत करने का एक ऑनलाइन पोर्टल है। दिनांक 30 जून, 2016 तक 68 आवास वित्त कंपनियों, 25 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, 9 निजी क्षेत्र के बैंकों, 29 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं 14 सहकारी बैंकों को मिलाकर 145 प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों ने सीएनए के तौर पर राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये। राष्ट्रीय आवास बैंक ने 7062 परिवारों को लाभान्वित करते हुए 57 प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों को 119.53 करोड़ रुपये का संवितरण किया। वित्तीय वर्ष (जुलाई-जून) के दौरान राष्ट्रीय आवास बैंक ने प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों को योजना के कार्यान्वयन में संवेदनशील बनाने के लिए 12 क्षेत्रीय कार्यशालाएं गुवाहाटी, चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु, रायपुर, भोपाल, हैदराबाद, लखनऊ, पटना, श्रीनगर, तिरुवंतपुरम एवं रांची में आयोजित की गयी थी। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य एसएलएनए एवं प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों के अधिकारियों के प्रश्नों के समाधान हेतु उनसे विचार-विमर्श करना है।


4.5.3 शोध अध्ययन –

शोध पहलों के एक भाग के तौर पर रा.आ. बैंक ने आवास एवं आवास वित्त बाजार के विकास हेतु प्रतिष्ठित शोध संस्थानों के सहयोग में ठोस आधार पर कई प्रकार के शोध अध्ययन किए हैं। इन शोध अध्ययनों ने आवास और आवास वित्त क्षेत्र के संपूर्ण विकास के लिए नए उत्पादों को विकसित करने और नीतियों और निर्देशों पर नए सिरे से बल देने में सहयोग दिया है। वर्ष के दौरान रा.आ. बैंक ने निम्नलिखित पांच अध्ययन किए हैं—

- रा.आ.बैंक रेजीडेंक्स पर अध्ययन – 'नए आधार वर्ष का आवेदन और रा.आ. बैंक रेजीडेंक्स में संशोधित विभाजन और उसका पुष्टिकरण तथा अखिल भारतीय रिहायशी मूल्य सूचकांक हेतु कार्य-पद्धति की तैयारी' यह अध्ययन पूरा हो गया है।
- लैंड पूलिंग के विशेष संदर्भ में 'भूमि अधिग्रहण अधिनियम' पर हैदराबाद के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया द्वारा अध्ययन।
- नए एवं मौजूदा आवास में संपत्ति बीमा पर मुंबई के भारतीय बीमा संस्थान द्वारा अध्ययन।
- "आवास वित्त : भारतीय आवास वित्त क्षेत्र का परिदृश्य एवं भारतीय अर्थव्यवस्था में आवास वित्त कम्पनियों के योगदान" पर अध्ययन। यह अध्ययन पूरा हो गया है।
- वर्ष 2012 तथा 2014 के दौरान राष्ट्रीय आवास बैंक में पंजीकृत आवास वित्त कम्पनियों की वित्तीय निष्पादकता पर अध्ययन। यह अध्ययन भी पूरा हो गया है।

4.5.4 एनएचबी-रेजीडेंक्स की समीक्षा एवं सुधार

भौतिक एवं वित्तीय दोनों आस्तियों के सृजन के लिए प्रमुख क्षेत्र के तौर पर आवास एवं भू संपदा की अहमियत एवं समग्र राष्ट्रीय संपदा में इसके योगदान को देखते हुए एक ऐसे तंत्र की स्थापना करने की आवश्यकता महसूस की गयी जो रिहायशी आवास क्षेत्र में कीमतों के उतार-चढ़ाव पर नजर रख सके। राष्ट्रीय आवास बैंक ने वित्त मंत्रालय के आदेश पर राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा सूचकांक तैयार करने की व्यावहारिकता की जांच करने के लिए प्रायोगिक अध्ययन शुरू किया। इस प्रायोगिक अध्ययन में 5 शहर यथा बेंगलुरु, भोपाल, दिल्ली, कोलकाता एवं मुंबई शामिल थे जिसके लिए वर्ष 2001 को आधार वर्ष के तौर पर मानते हुए वर्ष 2005 की अवधि तक सूचकांक तैयार किया गया। प्रायोगिक अध्ययन के परिणामों एवं तकनीकी सलाहकार समूह (टीएजी) की संस्तुतियों के आधार पर राष्ट्रीय आवास बैंक ने जुलाई, 2007 में भारत में आवासीय संपत्तियों की कीमतों पर नजर रखने के लिए रेजीडेंक्स का शुभारंभ किया। एनएचबी रेजीडेंक्स तिमाही आधार पर आवासीय संपत्तियों





की कीमतों में उतार-चढ़ाव पर नजर रखता है। यह वर्ष 2007 से किया जा रहा है। 26 शहरों के लिए जनवरी-मार्च, 2015 की तिमाही का अद्यतन एनएचबी रेजीडेंक्स जारी किया गया जिसमें प्रत्येक शहर के अलग-अलग स्थानों एवं जोनों में आवासीय संपत्तियों की कीमत की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखा गया है एवं भारतीय प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति स्वत्व की केंद्रीय रजिस्ट्री (सरसाई) से प्राप्त लेन-देन के डेटा पर आधारित है।

तत्पश्चात, रेजीडेंक्स को प्रचलित व्यापक आर्थिक परिदृश्य के साथ और अधिक सामयिक एवं आधुनिक बनाने के लिए यह महसूस किया गया कि प्रक्रियाओं एवं कार्य-पद्धति की समीक्षा की जाने की आवश्यकता है और आधार वर्ष एवं विभाजन को संशोधित किए जाने की आवश्यकता है। इस मामले को रेजीडेंक्स सलाहाकार समिति (आरएसी) में उठाया गया था और 2012 के आधार वर्ष के साथ दिल्ली, चेन्नै एवं कोलकाता हेतु सूचकांकों की गणना के लिए एक मार्गदर्शी अध्ययन भी आरम्भ किया गया था और रिहायशी विभाजन को अद्यतन किया गया। अध्ययन के निष्कर्षों और आगे की विवेचना के आधार पर आरएसी ने रा.आ.बैंक रेजीडेंक्स के आधार वर्ष हेतु 2012 के कैलेंडर वर्ष के चयन को अनुमोदित किया और इस बात का भी सुझाव दिया कि वह रेजीडेंक्स के आधार वर्ष को बदलने के समनुदेशन का कार्य करने हेतु कुछ प्रख्यात बाहरी एजेंसियों की सेवाओं की सेवाएँ प्राप्त करने और सभी 26 शहरों के रिहायशी विभाजन को नया रूप देने की संभावना तलाशने पर विचार करे। तदनुसार, राष्ट्रीय आवास बैंक अपने एनएचबी रेजीडेंक्स एवं अन्य प्रस्तावित सूचकांकों को नया रूप देने तथा अनुसूचक करने एवं भारतीय रिजर्व बैंक व ग्राहक मूल्य सूचकांक के आवास मूल्य सूचकांक के साथ जोड़ने में राष्ट्रीय आवास बैंक को सहायता सेवा (सपोर्ट सर्विस) उपलब्ध कराने के लिए खुली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से एक पेशेवर संस्था को नियुक्त करने की तलाश में है।

4.5.5 प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण

4.6 जोखिम प्रबंधन

4.6.1 राष्ट्रीय आवास बैंक अपने कारोबारी परिचालनों पर निम्नलिखित जोखिमों का सामना करता है:

- **ऋण जोखिम** – उधारकर्ताओं द्वारा अपनी चुकौती के दायित्वों का निर्वहन करने में असफल रहने से उत्पन्न होने वाला जोखिम जिसके कारण वित्तीय हानि होती है।
- **चलनिधि जोखिम** – निवल वित्तपोषण की अपेक्षाओं को पूरा करने में बैंक की असमर्थता

रा.आ.बैंक कौशल विकास सहभागी पहुंच एवं बाह्य पेशेवरों के माध्यम से आवास वित्त क्षेत्र हेतु वृद्धि के लिए क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण हस्तक्षेप के महत्व में विश्वास रखता है। प्रारम्भ से, रा.आ. बैंक ने अपने संसाधनों का बैंकों, आ.वि.कं. और सहकारी संस्थानों के साथ ऐसे संस्थानों के लिए आवास एवं आवास संबंधी गतिविधियों में आवश्यक डिजाइन एवं संकाय सपोर्ट देने में ऐसे संस्थानों को प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमीनार एवं संगोष्ठियों के आयोजन करने में सामंजस्य किया है। वर्ष 2015-16 में, रा.आ. बैंक ने पूरे भारत भर में ग्यारह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जिनमें विभिन्न प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों से 443 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। क्षमता निर्माण की एक पहल के तौर पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं शहरी सहकारी बैंकों एवं यूसीबीज़ हेतु संस्था विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम को निःशुल्क चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश राज्य में कार्यरत दो आरआरबी के लिए दो अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रम हिंदी में आयोजित किए गए थे।

4.5.6 कॉरपोरेट संचार प्रकोष्ठ (सीसीसी)

पारदर्शिता, समयोचित एवं विश्वसनीय प्रसार के माध्यम से राष्ट्रीय आवास बैंक एवं जनता के बीच उपयोग साझादारी का निर्माण व पोषण करने का प्रयास किया। सभी प्रकार के आंतरिक एवं बाहरी संचार का प्रबंध करने के अतिरिक्त कॉर्पोरेट संचार का उद्देश्य राष्ट्रीय आवास बैंक के ब्रांड की जागरूकता एवं व्यावहारिकता बढ़ाना है। वर्ष 2015-16 में जागरूकता बढ़ाने एवं सभी प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों को संवेदनशील बनाने की दृष्टि से राष्ट्रीय आवास बैंक ने भारत सरकार की योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना-ऋण सहबद्ध सब्सिडी योजना का अभियान शुरू किया। इस दिशा में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सोशल मीडिया में जन जागरूकता अभियान चलाया गया। ब्रांड बनाने की प्रक्रिया के तौर पर राष्ट्रीय आवास बैंक ने आयोजनों को प्रायोजित किया है तथा अब फेसबुक, ट्विटर एवं लिंकडइन जैसे सोशल मीडिया पर मौजूद है।

से उत्पन्न होने वाला जोखिम। यह बाजार के अवरोधों अथवा क्रेडिट रेटिंग में गिरावट के कारण हो सकता है जो अनुपलब्ध होने वाले वित्तपोषण के कुछ स्रोतों के कारण हो सकता है।

- **ब्याज दर जोखिम** – पुनर्मूल्यन निर्धारण एवं/अथवा आस्तियों व देयताओं के बीच परिपक्वता का मिलान न होने से उत्पन्न होने



वाला जोखिम। जो हमारे निवल ब्याज आय गिरावट लाते हैं।

- **परिचालन एवं अन्य जोखिम** – कानूनी जोखिम सहित अनुप्रयुक्त अथवा सफलता आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों, व्यवस्थाओं एवं/ अथवा बाहरी घटनाओं से उत्पन्न होने वाला जोखिम।

4.6.2 उपरोक्त जोखिमों में कमी लाने एवं निगरानी रखने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक की अपनी ऋण जोखिम प्रणाली विद्यमान है। इस प्रयोजन के लिए बैंक ने निम्नलिखित समितियां गठित की हैं:

- **आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एल्को)** जो बैंक के चलनिधि जोखिम एवं ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन पर नजर रखती है।
- **ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी)** जो बैंक के ऋण जोखिम पर नजर रखती है।

- **परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी)** जो बैंक के परिचालन जोखिम पर नजर रखती है।

- **विशेष उल्लेखयुक्त लेखा समिति (एसएमएसी)** जो बैंक के विशेष उल्लेखयुक्त खातों की निगरानी पर नजर रखती है।

4.6.3 उपरोक्त समितियों के अतिरिक्त राष्ट्रीय आवास बैंक में मंडल द्वारा नियुक्त बैंकिंग एवं वित्त से संबंधित मामलों में विशेषज्ञता प्राप्त दो बाहरी सदस्यों की जोखिम प्रबंधन सलाहकार समिति (आरएमएसी) भी है। वर्ष के दौरान समिति ने जोखिम के तीन क्षेत्रों यथा बाजार जोखिम, ऋण जोखिम एवं परिचालन जोखिम से संबंधित राष्ट्रीय आवास बैंक की जोखिम प्रबंधन नीतियों एवं क्रियाकलापों की समीक्षा के लिए चार बार बैठक की।


4.7 सूचना प्रौद्योगिकी

4.7.1 राष्ट्रीय आवास बैंक सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बदलती परिस्थिति के साथ तालमेल बैठाने के लिए लगातार आगे बढ़ रहा है। बदलती गतिशीलता, प्रमुख गतिविधियां और शुरू की गयी परियोजनाओं को पूरा करने हेतु निम्न शामिल हैं :-

- इंटरनेट पर सुविधा के साथ प्रधान कार्यालय के सभी कार्यालयों को एमपीएलएस के माध्यम से वीसी प्रणाली के द्वारा जोड़ा जाना जिसकी सहायता से अधिकारी तथा कोई एमपीएलएस के माध्यम से तीसरी पार्टी वीडियो कॉन्फ्रेंस से इंटरनेट पर किसी अन्य वीडियो कॉन्फ्रेंस प्रणाली/डेस्कटॉप या लेपटॉप/मोबाइल के द्वारा शामिल हो सकती है।
- अधिकारियों विशेषकर महिला अधिकारियों के मध्य सूचना को साझा करने के लिए समर्पित सहभागिता प्रणाली के कार्यान्वयन पर सरकारी दिशानिर्देशों पर आधारित माइक्रोसॉफ्ट आधारित लिंक सिस्टम की स्थापना, यह प्रणाली सीधे अधिकारियों के डेस्कटॉप से तत्काल संदेश भेजने वीडियो आधारित सहभागिता को सुकर बनाती है। इस सेट-अप को इंटरनेट पर भी उपलब्ध कराया गया है जहां एमएस लिंक मोबाइल ऐप के द्वारा अधिकारी दूर पर रहते हुए भी अपने लेपटॉप मोबाइल उपकरणों से तुरंत संपर्क कर सकते हैं।
- एक संपूर्ण आभासी कार्यालय के वातावरण को स्थापित करने के लक्ष्य के लिए वर्जुअल प्राइवेट

नेटवर्क को सक्षम किया है, इस सुविधा ने केवल रा.आ. बैंक द्वारा दिए गए लैपटॉप से इंटरनेट पर फाइल सर्वर एवं विभिन्न पोर्टल सेवाओं अर्थात् कॉरपोरेट ई-मेल, एसएपी (सैप) कर्मचारी पोर्टल, इंटरनेट, शिकायत निवारण नीति, इत्यादि की उपलब्धता को अधिकारियों के लिए सक्षम बनाया है।

- सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, इसके प्रयोग को रा.आ. बैंक के डोमेन सेटअप और दो कारकों के प्रमाणन तंत्र के साथ समन्वित किया गया है जिससे कि केवल वे अधिकारी जिनके पास कार्यालय द्वारा दिया गया सक्रिय डोमेन क्रेडेंशियल्स और द्वितीय प्रमाणन (हार्ड मोबाइल टोकन) हो, वे ही इंटरनेट पर आईटी संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं।
- अपनी वेबसाइट की ग्रहणशीलता को मोबाइल उपकरणों के लिए सक्षम बनाने के साथ-साथ उसे नया रूप देने के उद्देश्य के लिये वेबसाइट को नया रूप देने की प्रक्रिया में है। इसके अतिरिक्त, आवास बाजार, सामाजिक उपस्थिति, इत्यादि से संबंधित सूचना के खंडों के साथ साथ आवास वित्त पर आवास प्रवृत्ति, बाजार समाचार जैसे समर्पित खंडों वाली अतिरिक्त विशेषताओं को वेबसाइट में लाने की योजना है।
- अपने कार्यालयों में आईपी टेलीफोनी प्रणाली स्थापित करना। एक आईपी टेलीफोनी सेटअप में किसी नेटवर्क से जुड़ा कोई आईपी टेलीफोन उपकरण उसी नेटवर्क से जुड़े किसी अन्य उपकरण से संपर्क





कर सकता है भले ही उनका स्थान कोई भी हो। सेटअप होने के बाद, इस प्रकार की टेलीफोनी में मौजूदा नेटवर्क पर होने वाली बातचीत में किसी प्रकार का खर्चा नहीं आता और यह टेलीफोनिक अवसररचना पर आधारित पारंपरिक पीएसटीएन की उपलब्धता पर निर्भरता से मुक्त है। साथ ही, आईपी टेलीफोनी अवसररचना को बाहर काल करने के लिए मौजूदा पीबीएक्स अवसररचना के साथ एकीकृत किया जाएगा।

- अपने मौजूदा नेटवर्क अवसररचना के नवीकृत करना। यह उन्नयन बेहतर प्रबंधन क्षमता, प्रदर्शन, नियंत्रित संचार और मजबूत सुरक्षा के लिए उचित अलगाव और नेटवर्क में प्रतिबंधित एक्सेस को सुनिश्चित करेगा। यह न केवल लैन वातावरण में सुरक्षा और मजबूती को सुनिश्चित करेगा बल्कि बाहरी खतरों अर्थात् नेटवर्क का प्रवेश, इंटरनेट के माध्यम से अनधिकृत एक्सेस, सेवा आक्षेप (डीओएस), बीओटी आक्षेप, इत्यादि के खंडन से भी नेटवर्क की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।
 - नए डाटा सेंटर को नवीनतम सुरक्षा प्रणाली के साथ – अत्याधुनिक तकनीक के आधार पर तैयार करने और आधुनिक डेटा केंद्रों के लिए सही माने जाने वाली अवसररचना के साथ बनाए जाने की योजना है।
- 4.7.2 आईटी समिति – आईटी सुरक्षा मुद्दों पर ध्यान केंद्रित प्रदान करने के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी नीति (आईटीपी) ने एक विस्तृत और व्यापक सूचना सुरक्षा नीति (आईएसपी) सूचना सुरक्षा नीति (आईएसपी) को एक विशिष्ट संरचना जिसे

सूचना सुरक्षा संगठन (आईएसओ) कहा जाता है, के माध्यम से कार्यान्वित और अनुरक्षित किया जाता है। आईएसओ का पहला घटक सूचना सुरक्षा समिति (आईएससी) है जो सूचना प्रौद्योगिकी समिति (आईटीसी) का एक अभिन्न हिस्सा है। आईटीसी की अध्यक्षता राष्ट्रीय आवास बैंक के कार्यपालक निदेशक के द्वारा होती है। इसमें सदस्य के तौर पर आईटी विभाग के प्रमुख सहित नामजद विभागाध्यक्ष शामिल हैं। आईटीसी ने समिति में बाह्य आईटी सुरक्षा विशेषज्ञ, अन्य संगठनों में वरिष्ठ आईटी सुरक्षा पदाधिकारियों को भी मनोनीत किया है। आईटीसी निम्नलिखित उत्तरदायित्वों को पूरा करती है:

- कार्यात्मक सूचना सुरक्षा नीति (आईएसपी) की समीक्षा व अनुमोदन करना और विभिन्न पदाधिकारियों को जिम्मेदारियों को परिभाषित करना;
- सूचना आस्तियों के एक्सपोजर के संबंध में विभिन्न खतरों की प्रकृति के संबंध में होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तनों की पर्यवेक्षित करना;
- सभी प्रकार के सूचना संसाधनों की पहचान करना, वर्गीकृत करना और समय समय पर उनकी महत्वपूर्ण और गोपनीय अपेक्षाओं की समीक्षा करना;
- यह सुनिश्चित करना कि व्यापार की योजना में सूचना सुरक्षा की समस्याओं को उचित रूप से बताया गया हो;
- सुरक्षा की घटनाओं की निगरानी और समीक्षा करना;
- सूचना सुरक्षा में वृद्धि के लिए प्रमुख पहलों को अनुमोदित करना।

4.8 मानव संसाधन

4.8.1 रा.आ. बैंक का लक्ष्य निपुण अधिकारियों की भर्ती और नियुक्ति करना है जो भलीभांति संतुलित और प्रेरित हों। रा.आ. बैंक अपने अधिकारियों के सतत विकास करने के लिये वचनबद्ध है। आंतरिक के साथ – साथ बाह्य प्रशिक्षण कोर्सों और सम्मेलनों तथा गोष्ठियों में भाग लेने के माध्यम से विकास किया जाता है।

भर्ती, पदोन्नति, स्थानान्तरण और त्याग-पत्र

- वर्ष 2015-16 में उच्च कार्यपालक ग्रेड में 1 अधिकारी और कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड में 6 अधिकारियों की भर्ती की गई। इनके अतिरिक्त, प्रबंधक संविदागत आधार पर परामर्शदाता के रूप में भी 6 अधिकारियों की भर्ती की गई।

- अनुसूची के अनुसार विभिन्न स्केलों में पात्र अधिकारियों की पदोन्नति की गई।
- इस वर्ष के दौरान, 35 अधिकारियों को बैंक में नए अतिरिक्त कार्यभार सौंपे गये (अंतरविभागीय स्थानान्तरण के साथ-साथ मुख्य कार्यालय से क्षेत्रीय कार्यालयों में या क्षेत्रीय कार्यालयों से मुख्य कार्यालय में)।
- वर्ष के दौरान कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड के एक अधिकारी ने त्याग-पत्र दिया। यह दर 1 प्रतिशत से भी कम है।

4.8.2 अधिकारियों की दक्षता और निपुणता की वृद्धि के लिये, रा.आ. बैंक ने अपने अधिकारियों को प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा संचालित विभिन्न बाह्य प्रशिक्षण और प्रबंधकीय



विकास कार्यक्रमों में और साथ ही कार्यालयीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिनियुक्त किया।

- 13 अधिकारियों को विभिन्न संस्थानों यथा राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान (एनआईबीएम), सार्वजनिक प्रशासन संस्थान (आईपीए), भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थान (आईआईबीएफ), सतर्कता में समेकन अभिशासन एवं प्रशिक्षण (सीआईजीवीए) आदि कार्यक्रमों में नामित किया गया था।
- 22 अधिकारियों ने सम्मेलनों, गोष्ठियों, कार्यशालाओं और बैठकों में भाग लिया।
- 10 अधिकारियों को विभिन्न देशों में अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में नामित किया गया।
- 4 कार्यालयीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

4.8.3 प्रतिस्पर्धी बाजार में जहां त्याग-पत्र देने वालों की संख्या काफी अधिक है, बैंक में मौजूदा कर्मचारियों की

कल्याण योजनाओं में सुधार से कर्मचारियों का संतोष बढ़ता है और मनोबल ऊंचा होता है। तदनुसार, वर्ष के दौरान, बैंक ने विभिन्न स्टाफ कल्याण योजनाओं की समीक्षा की और उन्हें वर्तमान जरूरतों के अनुरूप बनाया। स्टाफ कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन के अतिरिक्त, मानव संसाधन ने ऐसे अनेक कदम उठाये हैं जिनसे अधिकारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है।

4.8.4 बैंक समय-समय पर प्राप्त सरकारी दिशानिर्देशों का अनुपालन करता है। विदेश यात्रा योजना, एलएफसी योजना आदि के बारे में संशोधित दिशानिर्देश प्राप्त हुए जिनकी अनुपालना की गई। इसके अलावा, अजा, अजजा, तथा अपिव. के समबंध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश जहां की लागू होती है वे सभी रा.आ.बैंक के दिशानिर्देश/नीति से तालमेल होती है। वार्षिक आधार पर, बैंक अपनी वेबसाइट पर अंतिम आरक्षण रोस्टर अपलोड करता है।

यथा 30 जून, 2016 को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व

ग्रुप	कार्मिकों की संख्या			पिछले कैलेण्डर वर्ष के दौरान की गयी नियुक्तियों की संख्या								अन्य उपायों से कुल अनु. जाति./ जनजाति		
	प्रोन्नति			सीधी भर्ती द्वारा										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ग्रुप ए	102	11	03	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	102	11	03	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


टिप्पणी : ऊपर दर्शाए अधिकारियों की प्र.नि. तथा मु.का.अ., का.नि. और मु.स.अ. शामिल नहीं हैं।

4.8.5 रा.आ. बैंक ने एक आरक्षण सेल का गठन किया है जिसमें मुख्य सम्पर्क अधिकारी और सम्पर्क अधिकारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये संपर्क अधिकारी शामिल हैं। बैंक के सम्पर्क अधिकारी मुख्यतः निम्नलिखित के लिये उत्तरदायी होते हैं :

- अधीनस्थ भर्ती प्राधिकारियों द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये रिक्तियों में आरक्षण और उन्हें अनुमत्य अन्य लाभों से संबंधित प्राप्त आदेशों एवं अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्गों की रिपोर्ट-1 और रिपोर्ट-2 (जहां

कहीं लागू है) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय पर प्रस्तुत करने और समीक्षा करने के साथ-साथ उपर्युक्त रिपोर्टों को समेकित करना और समेकित रिपोर्टें निर्दिष्ट फार्मेट पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी को प्रेषित करने को सुनिश्चित करना।

- अनुसूचित जाति हेतु राष्ट्रीय आयोग और अनुसूचित जनजाति हेतु राष्ट्रीय आयोग को आयोग दवारा शिकायतों के निपटान में अपेक्षित सहयोग को सुनिश्चित करना।
- बैंक में तैयार आरक्षण रजिस्टर/रोस्टरों की वार्षिक जांच पड़ताल करके आरक्षण आदेशों के उचित अनुपालन को सुनिश्चित करना।





4.9 राजभाषा

रा.आ. बैंक भारत सरकार की राजभाषा नीति के सफल और प्रभावी कार्यान्वयन हेतु प्रतिबद्ध है तथा रा.आ. बैंक में हिंदी भाषा के प्रगामी प्रयोग के लिए उचित और प्रभावी उपाय किए गए हैं। रा.आ. बैंक हिंदी/द्विभाषी रूप में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में देने, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत प्रलेखों को द्विभाषी जारी करने, रा.आ. बैंक के प्रकाशनों और रिपोर्टों को द्विभाषी प्रकाशित करने आदि से संबंधित प्रावधानों का पालन कर रहा है। रा.आ. बैंक में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए कार्यशालाएं भी नियमित रूप से आयोजित की गई हैं। रा.आ.बैंक के नोटिस बोर्ड पर हिंदी/अंग्रेजी में 'आज का शब्द' लिखा जा रहा है जिसे आंतरिक ईमेल से रा.आ. बैंक के सभी अधिकारियों के पास भी भेजा जाता है। राजभाषा कार्यान्वयन की प्रगति निम्न प्रकार से है:-

- राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का नियमित आयोजन किया गया। बैठकों की अध्यक्षता कार्यपालक निदेशक द्वारा की गई एवं लिए गए निर्णयों पर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी विभागों/अधिकारियों को सूचित किया जाता है।
- राजभाषा कार्यान्वयन नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक अपने क्षेत्रीय प्रतिनिधि कार्यालयों के साथ-साथ प्रधान कार्यालय के विभिन्न अनुभागों का निरीक्षण भी करता रहा है।
- द्विभाषी हिंदी प्रतियोगिता का आयोजन कर हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है एवं 18 अधिकारियों को पुरस्कृत किया गया है अधिकारियों को उनके कार्यालयी कार्य में हिंदी के अधिकतम प्रयोग हेतु पुरस्कृत किया गया।

- कार्यालयी कार्य में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। बैंक की गृह पत्रिका आवाज भारती हेतु लेख दी जाने वाली मानदेय राशि को बढ़ाया गया है।
- दिन-प्रतिदिन के कार्यों में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए प्रति वर्ष 'हिंदी चेतना मास' का आयोजन किया जाता है। पिछले वर्ष 'हिंदी चेतना मास' के दौरान आठ प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं जिनमें काफी अधिक संख्या में अधिकारियों ने भाग लिया। 'हिंदी चेतना मास' के दौरान महिला शक्ति और भाषा में उच्चारण के महत्व पर बल देने वाली एक हिंदी डॉक्यूमेंटरी भी दिखाई गई। विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं/योजनाओं के अंतर्गत 27 अधिकारियों को पुरस्कृत किया गया।
- दिल्ली बैंक नराकास के तत्वावधान में नराकास सदस्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों के लिए एक हिंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया।
- विश्व पर्यावास दिवस के उपलक्ष्य में 'आवास भारती' का विशेषांक प्रकाशित किया गया जिसमें अखिल भारतीय स्तर के बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों ने विशेषरूप से पर्यावास दिवस के विषय पर लेख प्रकाशित किए गए।
- आंतरिक पत्रिका 'आवास भारती' को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2014-15 के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। पत्रिका को दिल्ली नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (टॉलिक) द्वारा भी इसी वर्ष के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया।

4.10 ज्ञान केन्द्र

ज्ञान केन्द्र की स्थापना मुख्य कार्यालय में अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने और सूचना को प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से की गई है। 1989 में ज्ञान केन्द्र की स्थापना के बाद से, इसमें अनेक बदलाव हुए हैं। पहले इसका प्रबंधन मैनुअली किया जाता था जो अब पुस्तकालय आटोमेशन सॉफ्टवेयर लिबसिस द्वारा पूरी तरह आटोमेटेड है। रा.आ. बैंक के ज्ञान केन्द्र ने दर्शाया है कि अवसरों को पाया जा सकता है जिनसे संस्थान को अनुसंधान क्षेत्र में हुए परिवर्तनों के अनुरूप बनाया जा सके और महत्वपूर्ण सूचना/डाटा उपलब्धता से संस्थान को अधिक व्यापक भूमिका निभाने में सहायता मिलती है और फिर अच्छे परिणाम मिलते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी ज्ञान केन्द्र का एक अंतरंग भाग है और इससे अधिक प्रयोक्ताओं को प्रभावी रूप से सूचना प्राप्त होती है और उससे उपयोगी स्थान की बचत होती है। ज्ञान केन्द्र के सभी कार्यों का प्रबंधन पुस्तकालय आटोमेशन सफ्टवेयर LIBSYS द्वारा किया जाता है। ज्ञान

केन्द्र में बड़ी मात्रा में संग्रह विभिन्न फार्मेटों में ई-बुक के रूप में है जैसे पीडीएफ, ईपीयूबी आदि, सीडी-रोम पर और किंडल ई-बुक रीडर। ज्ञान केन्द्र को कुछ बड़े पुस्तकालयों जैसे ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी, भारत पर्यावास केन्द्र आदि की भी सदस्यता प्राप्त है। वर्ष के दौरान, बैंक ने ज्ञान केन्द्र में होने वाले परिवर्तनों के बारे में अधिकारियों को जानकारी हेतु ई-न्यूजलेटर भी शुरू किया है। ज्ञान केन्द्र में 6600 से अधिक पुस्तकों/सजिल्द पत्रिकाओं/ रिपोर्टों और 30 से अधिक सुप्रसिद्ध अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पत्रिकाओं का विशेष संग्रह है जो आवास और आवास वित्त, बैंकिंग, आर्थिक मामलों, सामान्य प्रशासन, कानून, नेतृत्व, संख्यात्मक विधियों, ग्रामीण विकास, माइक्रोफाइनेंस आदि विषयों से संबंधित, अंग्रेजी और हिन्दी में उपलब्ध हैं। यहां पर विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे आरबीआई, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, आवास वित्त अंतर्राष्ट्रीय संघ की विभिन्न रिपोर्टों और प्रकाशनों का संग्रह भी उपलब्ध है।



4.11 कॉरपोरेट अभिशासन

रा.आ. बैंक कॉरपोरेट अभिशासन के क्षेत्र में उत्तम विधियों को अपना कर और जनता तथा पणधारकों की आकांक्षाओं को पूरा करते हुए मूल्यों, सार्वजनिक हित और जबाबदेयता के लिये अपने दृढ़ संकल्प के साथ अपने क्रियाकलापों का संचालन करते हुए कॉरपोरेट अभिशासन को सुनिश्चित करता है। रा.आ. बैंक के कार्यों का प्रबंधन निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ किया जाता है जो उसके पणधारकों के विश्वास को बनाए रखने के लिये महत्वपूर्ण है। तदनुसार, निदेशक मंडल और अन्य निदेशक समितियों की बैठकों के रिकार्ड को डिजीटाइज्ड किया गया है और उसे निरन्तर

अद्यतन किया जाता है ताकि उचित व्यक्तियों को सही समय पर सही जानकारी उपलब्ध हो सके। इसके अतिरिक्त, सभी सांविधिक अपेक्षाओं का रा.आ. बैंक द्वारा अनुपालन पूर्णतया सुनिश्चित किया जाता है। रा.आ. बैंक का प्रयास अपने पणधारकों को अपनी अद्यतन जानकारी के बारे में अपनी प्रभावकारी वेबसाइट के द्वारा सुगमतापूर्वक व शीघ्रता से उपलब्ध कराना होता है। बैंक की गतिविधियों कार्यों, उत्पादों, नई पहलों, संगठन आदि के बारे में पूरी जानकारी रा.आ. बैंक की वेबसाइट पर दी गई है।

4.12 सर्व लेखा परीक्षा

बैंक में जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली को कार्यान्वित किया गया है।

4.13 क्षेत्रीय कार्यालयों और क्षेत्रीय प्रतिनिधि कार्यालयों की भूमिका

क्षेत्रीय कार्यालय (क्षे.का.), मुंबई और विभिन्न स्थानों पर क्षेत्रीय प्रतिनिधि कार्यालयों (क्षे.प्र.का.) बैंक के उद्देश्यों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाते हैं। आरओ और आरआरओ स्थानीय स्तर पर अपने-अपने कार्य क्षेत्रों में सम्पर्क और

सहयोग का कार्य भलीभांति कर रहे हैं। ये वित्त पोषण, संसाधन बढ़ाना, क्षमता निर्माण एवं अन्य कार्यकलापों के संबंध में मुख्य कार्यालय की अपेक्षित सहायता करते हैं।

बॉक्स 3

संसदीय समिति में उपस्थिति

वर्ष के दौरान राष्ट्रीय आवास बैंक निम्नलिखित संसदीय समितियों के समक्ष उपस्थिति हुआ –

- दिनांक 23 से 30 अगस्त, 2015 के दौरान अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद एवं विशाखापत्तनम का अध्ययन दौरा।
- दिनांक 27 से 30 जनवरी, 2016 के दौरान शहरी विकास पर स्थाई समिति का मुंबई एवं त्रिवेंद्रम का अध्ययन दौरा।
- ग्रामीण आवास निधि की जांच के लिए दिनांक 1 से 6 फरवरी, 2016 तक लखनऊ, कानपुर, मुंबई एवं बेंगलुरु में अध्ययन दौरा संचालित करने वाली प्राक्कलन समिति।
- दिनांक 18 मार्च, 2016 को नई दिल्ली में आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड (हडको) की जांच – पणधारको को सम्मन जारी करना
- दिनांक 18 से 25 मई, 2016 के दौरान अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का भोपाल, मुंबई, बेंगलुरु एवं हैदराबाद का अध्ययन दौरा।
- दिनांक 24 मई से 26 मई, 2016 तक श्रीनगर, जिला बारामुला एवं बांदीपुरा में शहरी विकास पर स्थायी समिति का अध्ययन दौरा
- दिनांक 30 जून से 2 जुलाई, 2016 तक मुंबई में प्रतिभूति हित और ऋण कानूनी की वसूली एवं प्रकीर्ण उपबंधों का प्रवर्तन (संशोधन) विधेयक, 2016 पर समिति का अध्ययन दौरा





5

भावी परिदृश्य





5. भावी परिदृश्य

5.1.1 आवास सेक्टर, 250 से अधिक सहायक उद्योगों से सम्बद्धता के कारण, घरेलू अर्थव्यवस्था में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। केन्द्र और राज्य सरकारों की सार्थक नीतियां, सरकारी और निजी क्षेत्रों की भागीदारी, तथा आवास वित्त की सहज उपलब्धता से देश में आवास सेक्टर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया है। केन्द्रीय बजट में आपूर्ति और मांग क्षेत्र में उपलब्ध राजकोषीय रियायतें, फुटकर वित्तीय संस्थानों की बढ़ती रूचि, फुटकर आवास वित्त बाजार में अपेक्षाकृत आस्तियों पर कम दबाव और बाजार में अल्प वंचित वर्गों को आवास वित्त उत्पादों की सहज उपलब्धता से ग्रामीण जनता, निम्न आय अनौपचारिक आय वर्गों आदि में घर खरीदने में बढ़ती संख्या देखी गई है।


5.1.2 शहरीकरण में बढ़ती प्रवृत्ति के कारण देश के स्थानिक, सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य में बड़ा बदलाव आ रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार, देश की लगभग 31 प्रतिशत आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है जिसमें वर्ष 2030 तक 40 प्रतिशत वृद्धि की संभावना है। इसके साथ ही, देश की जीडीपी में शहरी क्षेत्रों का योगदान भी 63 प्रतिशत (जनगणना 2011) से बढ़कर 2030 तक 75 प्रतिशत होने की संभावना है जिसका देश के विकास पैटर्न पर भारी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में उनके बुनियादी ढांचे पर और अधिक दबाव बढ़ेगा। शहरीकरण में तीव्र वृद्धि के कारण नए मकानों और सम्बद्ध सुविधाओं की मांग भी अधिक बढ़ेगी। हालांकि, यह देखा गया है कि भवन निर्माण और आवास वित्त में नवीन तकनीकों के फलस्वरूप आगामी वर्षों में बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। आशा की जाती है कि आवास वित्त इस बदलाव में एक अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, आवास सेक्टर आज जिसका सामना कर रहा है।



5.1.3 पिछले समय में संस्थागत आवास वित्त में वृद्धि आपूर्ति पक्ष कारकों के आधार पर मुख्यता उच्च और मध्य वर्गों के प्रति एकतरफा रही तक ही सीमित रही। इसने निम्न आय और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों

में आवासीय कमी के संचयन को जन्म दिया। यद्यपि, विगत कुछ वर्षों में, विशेष बाजार खंड पर फोकस करने वाली नई जन्मी आवास वित्त कंपनियों का उदगमन सामाजिक-आर्थिक और भौगोलिक विकास से बदल रहा है। अनौपचारिक आय, प्रयोजन-विशिष्ट उत्पादों के मूल्यांकन पर आधारित संबद्ध समुचित सावधानी के विकास ने आवास वित्त सेक्टर को एक उचित स्तर तक लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत सरकार द्वारा अपने मिशन '2022 तक सबके लिये आवास' के तहत शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत सारे लोगों के उनके पक्के घर होने की आवास वित्त जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभा रही है।

5.1.4 अचल संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 जो दिनांक 1 मई, 2016 से प्रचलन में आया और निष्ठा, भरोसा, विश्वसनीय लेनदेन और परियोजनाओं के कुशल और समयबद्ध निष्पादन के माहौल में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और अचल संपदा क्षेत्र के विकास की रक्षा के लिए आवश्यक परिचालन नियमों और संस्थागत अवसरंचना के निर्माण को गति दे रहा है। यह रियल एस्टेट तथा आवास क्षेत्र में लोगों के विश्वास में वृद्धि करेगा और इसे अधिक उपभोक्ता-संगत बनाएगा। इसके अतिरिक्त, मसौदा राष्ट्रीय किराया आवास नीति, 2015 जो एक जीवन्त एवं औपचारिक किराया आवास क्षेत्र को विनियामक तथा कानूनी सुधार, बेहतर निधि प्रवाह, संस्थाओं को निर्माण करने हेतु प्रोत्साहन, प्रबंधन, रख-रखाव तथा किराया आवास स्टॉक के निर्माण के साथ जरूरतमंदों को आवास उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन हेतु हुए अस्तित्व में लाना चाहती है।

5.1.5 उक्त विकास से देश में आवासीय क्षेत्र का भविष्य आशाजनक है जिससे अर्थव्यवस्था के बदलते आकार, लगातार परिवर्तित होते बाजार, बढ़ती महत्वाकांक्षाओं के साथ-साथ केंद्र व राज्य सरकारों के समर्थ नीतियों के मार्गदर्शन में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की उत्साही सहभागिता का मार्ग प्रशस्त होगा।





2015-16

**वार्षिक लेखा
(जुलाई, 2015 से जून, 2016)**



एस. एन. नंदा एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट

सी-43, पंपोश इनक्लेव,
ग्रेटर कैलाश-I, नई दिल्ली-110 048

फोन: +91-11-26227853, 41731475

फैक्स : +91-11-26227853

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,

राष्ट्रीय आवास बैंक के सदस्यगण

1. हमने राष्ट्रीय आवास बैंक (बैंक) से प्राप्त सह वित्तीय विवरणियों का लेखा-परीक्षा किया है, जिसमें 30 जून, 2016 के तुलन-पत्र तथा समाप्त वर्ष के लाभ एवं हानि लेखों एवं नकद प्रवाह विवरणियों और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं अन्य विवरणात्मक सूचना का एक सारांश शामिल हैं।

वित्तीय विवरणों हेतु प्रबंधन का उत्तरदायित्व

2. बैंक का प्रबंधन ऐसे वित्तीय विवरणी को बनाने के लिये उत्तरदायी है जो कि बैंक की वित्तीय स्थिति का सत्य एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण देता हो, बैंक की वित्तीय निष्पादकता तथा नकदी प्रवाह विवरण राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987 तथा राष्ट्रीय आवास बैंक (स्लम सुधार और निम्न लागत आवास निधि), 1993 के प्रावधानों के अनुरूप सामान्य निधि तथा विशेष निधि के लिये तैयार विनियमों, भारत में सामान्यतः स्वीकार की जाने वाली लेखांकन नीतियों, इसके साथ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा लागू लेखांकन मानकों तथा भा.रि.बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार किया जाता है। इस उत्तरदायित्व में बैंक की आस्तियों की सुरक्षा हेतु अधिनियम 1987 के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखा अभिलेखों का रखरखाव और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने व रोकने के लिये उचित लेखांकन नीतियों का चयन व प्रयोज्यताय ऐसे निर्णय व आकलन करना जो जिम्मेदार एवं विवेकपूर्ण होय ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय विवरणों जो वित्तीय विवरणों की तैयारी व प्रस्तुति के संबंध में लेखांकन अभिलेखों की सटीकता व पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावपूर्ण तरीके से परिचालित थे, के डिजाइन, कार्यान्वयन एवं रखरखाव करना और चाहे धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण पर सही व निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हों और महत्वपूर्ण गलत प्रस्तुति से मुक्त हों, भी शामिल हैं।

लेखा-परीक्षक का दायित्व

3. हमारा दायित्व यह है कि अपनी लेखा परीक्षा के आधार इन वित्तीय विवरणियों पर अपनी एक राय प्रकट करें। हम लेखा परीक्षा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा जारी मानकों के अनुसार करते हैं। ये मानक अपेक्षा करते हैं कि हम नैतिक अपेक्षाओं एवं योजना का अनुपालन और लेखा परीक्षा करें एवं उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करें कि वित्तीय विवरणियां वास्तविक अशुद्धि रहित है।
4. लेखा-परीक्षा की निष्पादन प्रक्रिया में वित्तीय विवरणियों में दी गई निधियों एवं विगोपनों के बारे में लेखा-साक्ष्य प्राप्त करना शामिल होता है। प्रक्रिया का चयन लेखा-परीक्षक के निर्णय पर आधारित होता है जिसमें चाहे धोखाधड़ी अथवा त्रुटि से वित्तीय विवरणियों की वास्तविक अशुद्धि के जोखिम का मूल्यांकन भी शामिल होता है। इन जोखिमों का मूल्यांकन करने में, लेखा-परीक्षक बैंक की तैयारी से संदर्भित आंतरिक नियंत्रण तथा लेखा परीक्षा प्रक्रिया डिजायन करने के क्रम में जो कि ऐसी परिस्थितियों में अनुकूल होते हैं, वित्तीय विवरणियों की निष्पक्ष प्रस्तुति को ध्यान में रखता है। लेखा परीक्षण में लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा बैंक प्रबंधन द्वारा तैयार लेखांकन अनुमान की तर्कसंगतता के साथ वित्तीय विवरणियों के संपूर्ण प्रदर्शन का भी मूल्यांकन किया जाता है।
5. हमें विश्वास है कि हमने जो लेखा-परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं वे हमारी लेखा-परीक्षा अभिमत को एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं औचित्यपूर्ण हैं।

अभिमत (राय)

6. हमारे अभिमत (राय) में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें प्राप्त सूचनाओं तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, उक्त



वित्तीय विवरणियां, अधिनियम की जरूरतों तथा उसके तहत निर्मित नियमों के अनुसार सूचनाएं देती हैं तथा आम तौर पर भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुपालन में एक सही और उपयुक्त दृष्टिकोण देती है :

- i) तुलन पत्र के मामले में, 30 जून 2016 के बैंक की विशेष निधि और सामान्य निधि की स्थिति
- ii) लाभ और हानि लेखा के मामलों में, 30 जून 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ
- iii) नकद प्रवाह विवरणी के मामले में, 30 जून 2016 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह


अन्य कानूनी और विनियामक मामलों की रिपोर्ट :

7. तुलन पत्र, लाभ और हानि लेखा तथा नकद प्रवाह विवरणी को अधिनियमों के प्रावधानों तथा उसमें निहित नियमों को संज्ञान में रखते हुये तैयार किया गए हैं।
8. हम प्रतिवेदित करते हैं कि :
 - i) हमारे द्वारा की गयी लेखा परीक्षा हेतु हमने सभी अनिवार्य जानकारीयों एवं स्पष्टीकरण बैंक द्वारा प्राप्त किया है जो कि हमारे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य है तथा ये जानकारीयां संतोषजनक पाई गई हैं।
 - ii) बैंक द्वारा किये गये लेन देन जो कि हमारे संज्ञान में आए पूर्णतः बैंक की शक्तिसीमा में आते हैं।
9. हमारे अभिमत में, तुलन पत्र, लाभ हानि का लेखा और नकदी प्रवाह विवरणी इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा जारी अनिवार्य लेखांकन मानकों का पूर्णतया अनुपालन करते हैं।
10. इसके अलावा, हम यह प्रतिवेदित करते हैं कि :
 - i) इस रिपोर्ट में प्रस्तुत तुलन पत्र लाभ और हानि खाता बही खातों से पूरी तरह से मेल खाते हैं।
 - ii) हमारी अभिमत में, बहियों की जांच में हमने यह पाया है कि कानून द्वारा वांछित उचित लेखा बही बैंको द्वारा रखे गए हैं।

कृते एस एन नन्दा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या: 000685एन

एस एन नन्दा
पार्टनर
सदस्यता सं. 005909

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26 अगस्त, 2016





तुलन-पत्र

पिछला वर्ष ₹ करोड़ में	देयताएं	अनुसूचियां	चालू वर्ष ₹ करोड़ में
450.00	1. पूंजी	I	1,450.00
4,345.59	2. आरक्षित निधियां	II	5,139.56
0.00	3. लाभ और हानि लेखा	III	0.00
8,830.02	4. बांड और डिबेंचर	IV	10,533.79
29,027.55	5. जमा राशियां	V	31,271.13
6,006.96	6. उधार	VI	8,869.33
218.36	7. आस्थगित कर देयता (निवल)		289.35
1,368.62	8. चालू देयताएं और प्रावधान	VII	1,671.29
35.46	9. अन्य देयताएं	VIII	35.46
2.03	10. बैंक और एचएफसी के पास एचएलए जमाराशियां— कोन्ट्रा के अनुसार		2.03
50,284.59	कुल		59,261.94

अमित सिन्हा
सहायक महाप्रबंधक

के. चक्रवर्ती
महाप्रबंधक

आर.एस. गर्ग
कार्यपालक निदेशक

श्रीराम कल्याणरामन
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

निदेशकगण

डॉ. उर्जित आर. पटेल

पंकज जैन

राजीव रंजन मिश्रा

मलय श्रीवास्तव

सदाकांत

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2016




30 जून, 2016 की यथास्थिति

पिछला वर्ष ₹ करोड़ में	परिसंपत्तियां	अनुसूचियां	चालू वर्ष ₹ करोड़ में
1,864.42	1. नकद और बैंक शेष	IX	2,111.05
2,951.00	2. निवेश	X	2,908.83
44,737.27	3. ऋण और अग्रिम	XI	53,572.64
23.19	4. अचल परिसंपत्तियां	XII	29.07
706.68	5. अन्य परिसंपत्तियां	XIII	638.32
2.03	6. बैंक और एचएफसी के पास एचएलए जमाराशियां— कोन्ट्रा के अनुसार		2.03
50,284.59	कुल		59,261.94
32.08	आकस्मिक देयता लेखे का भाग होने वाली टिप्पणियां <i>अनुसूची I से XV तक लेखा का अभिन्न हिस्सा है।</i>	XIV XV	63.63

हमारी सम तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस.एन. नन्दा एण्ड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 000685 एन

(एस.एन. नन्दा)
पार्टनर
सदस्यता संख्या 005909





लाभ और हानि लेखा

पिछला वर्ष ₹ करोड़ में	व्यय		चालू वर्ष ₹ करोड़ में
2,638.75	1. ब्याज		2,846.68
16.46	2. कर्मचारियों का वेतन, भत्ता आदि और सेवांत लाभ		20.73
0.01	3. निदेशक और समिति सदस्यों का शुल्क और व्यय		0.01
0.11	4. लेखापरीक्षा शुल्क		0.10
2.43	5. किराया, कर, विद्युत और बीमा		2.33
0.46	6. डाक शुल्क, तार, टेलेक्स और टेलीफोन		0.50
0.10	7. विधि प्रभार		0.24
	8. लेखन सामग्री, मुद्रण और विज्ञापन आदि		
0.29	(i) लेखन सामग्री और मुद्रण	0.39	
0.46	(ii) विज्ञापन	0.44	0.83
3.59	9. अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास		1.75
7.73	10. दलाली, गारंटी फीस तथा उधारी पर अन्य व्यय		6.86
3.91	11. उधारों पर स्टाम्प शुल्क		2.12
1.15	12. यात्रा व्यय		1.58
12.18	13. अन्य व्यय		15.50
(62.59)	14. विदेशी जमाओं, उधारों एवं वायदा संविदाओं के पुनर्मूल्यांकन पर हानि/(लाभ)		20.15
0.30	15. निवेश पर मूल्यह्रास/परिशोधन		0.41
6.03	16. अनर्जक आस्तियों/पुनःनिर्मित लेखा हेतु प्रावधान		(28.60)
18.10	17. मानक आस्तियों हेतु प्रावधान		35.89
54.50	18. आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (vii)क) (ग) के अधीन डुबंत और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		55.80
0.10	19. धन/संपदा कर		0.00
57.05	20. आस्थगित कर		70.98
358.00	21. आय कर		366.89
746.68	22. तुलन पत्र को अग्रणीत लाभ (संदर्भ अनुसूची III)		791.85
3,865.80	कुल		4,212.60

अमित सिन्हा
सहायक महाप्रबंधक

के. चक्रवर्ती
महाप्रबंधक

आर.एस.गर्ग
कार्यपालक निदेशक

श्रीराम कल्याणरामन
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

निदेशकगण

डॉ. उर्जित आर. पटेल

पंकज जैन

राजीव रंजन मिश्रा

मलय श्रीवास्तव

सदाकांत

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2016




30 जून, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु

पिछला वर्ष ₹ करोड़ में	आय		चालू वर्ष ₹ करोड़ में
3,439.52	1. ब्याज एवं छूट:		
179.91	(i) ऋण और अग्रिम	3,853.97	3,953.44
	(ii) बैंक जमाराशि	99.47	
228.33	2. निवेश से आय		206.74
1.16	3. निवेशों की बिक्री से आय		0.36
9.08	4. म्यूचुअल फंड की खरीद और बिक्री पर लाभ		44.12
0.01	5. अचल संपत्ति की बिक्री/भवन को ढाहने पर लाभ/(हानि)		0.13
7.32	6. अन्य आय		7.01
0.47	7. पुनरांकन के लिए अब प्रावधान अपेक्षित नहीं है		0.80
3,865.80	कुल		4,212.60

हमारी सम तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस.एन. नन्दा एण्ड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 000685 एन

(एस.एन. नन्दा
पार्टनर
सदस्यता संख्या 005909





30 जून, 2016 को तुलनपत्र की अनुसूचियां

अनुसूची-I
पूंजी

पिछला वर्ष ₹ करोड़ में	अनुसूचियां	चालू वर्ष ₹ करोड़ में
450.00	1. प्राधिकृत	1,450.00
450.00	2. निर्गमित और चुकता (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पूर्णतः अभिदत्त)	1,450.00
450.00	कुल	1,450.00

अनुसूची-II

प्रारक्षित निधियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	01-07-2015 के अनुसार शेष	वृद्धियां	कटौतियां	30-06- 2016 के अनुसार शेष
1. प्रारक्षित निधि	3,243.39	586.94	0.00	3,830.33
2. विशेष निधि (गंदी बस्ती विकास और निम्न लागत वाली आवास निधि)	341.29	17.38	0.00	358.67
3. आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1)(viii) के अनुसार विशेष प्रारक्षित निधि	707.63	179.78	0.00	887.41
4. निवेश घट-बढ़ प्रारक्षित निधि	20.08	0.00	0.00	20.08
5. कर्मचारी कल्याण निधि (एसबीएफ)	33.20	10.19#	0.32	43.07
कुल	4345.59	794.29	0.32	5,139.56

बैंक के 2.45 करोड़ रु. के जमा पर अर्जित ब्याज सहित

अनुसूची III

लाभ एवं हानि लेखा

पिछला वर्ष ₹ करोड़ में	अनुसूचियां	चालू वर्ष ₹ करोड़ में
746.68	लाभ और हानि लेखे के अनुसार शेष	791.85
159.50	घटाएं: (क) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1)(viii) के तहत विशेष आरक्षित निधि में अंतरण	179.78
7.30	(ख) कर्मचारी कल्याण निधि में अंतरण	7.75
563.10	(ग) प्रारक्षित निधि में अंतरण	586.94
16.78	(घ) विशेष निधि के लाभ (गंदी बस्ती विकास और निम्न लागत वाली आवास निधि) का विशेष निधि खाते में अंतरण	17.38
0.00		0.00



अनुसूची IV
बॉण्ड और डिबेंचर


पिछला वर्ष ₹ करोड़ में	अनुसूचियां		चालू वर्ष ₹ करोड़ में
837.59	1. जीरो कूपन बॉण्ड		897.38
3,049.40	2. एनएचबी बॉण्ड		4,725.00
4,640.73	3. प्राथमिक क्षेत्र बॉण्ड:		
	(क) कर-मुक्त बॉण्ड	4,640.71	
302.30	(ख) विशेष श्रृंखला बॉण्ड	270.70	4,911.41
8,830.02			10,533.79

अनुसूची V
जमाराशियां

पिछला वर्ष ₹ करोड़ में	अनुसूचियां		चालू वर्ष ₹ करोड़ में
22,778.18	1. ग्रामीण आवास निधि के तहत बैंकों से जमाराशियां		25,016.81
6,000.00	2. शहरी आवास निधि के तहत बैंकों से जमाराशियां		6,000.00
249.37	3. जनता से अन्य जमाराशियां		254.32
29,027.55			31,271.13

अनुसूची VI
उधार

पिछला वर्ष ₹ करोड़ में	अनुसूचियां		चालू वर्ष ₹ करोड़ में
10.52	1. भारतीय रिजर्व बैंक से: ऋण व्यवस्था		7.88
	2. अन्य स्रोतों से:		
	(क) भारत में:		
1,040.00	(i) सावधि जमाराशियों पर उधार	1,181.00	
1,685.00	(ii) सावधि ऋण के माध्यम से उधार	3,945.00	5,126.00
963.15	(ख) भारत के बाहर		1,149.40
2,308.29	3. सीबीएलओ उधार		2,586.05
6,006.96			8,869.33





अनुसूची VII

वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान

पिछला वर्ष ₹ करोड़ में	अनुसूचियां		चालू वर्ष ₹ करोड़ में
	1. देय ब्याज:		
1.48	(क) अदावाकृत ब्याज	1.45	
275.75	(ख) अन्य बांडों और डिबेंचरों पर देय ब्याज	294.93	
410.48	(ग) जमाराशियों पर देय ब्याज	457.16	
0.46	(घ) सीबीएलओ उधार पर देय ब्याज	0.45	
31.31	(ङ) अन्य उधारों पर देय ब्याज	36.30	790.29
	2. सेवानिवृत्ति लाभों के लिए प्रावधान:		
0.86	(क) सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए चिकित्सा व्यय	0.90	
3.24	(ख) अवकाश नकदीकरण	4.25	
2.81	(ग) उपदान	5.04	
1.01	(घ) अवकाश यात्रा रियायत	1.40	
4.46	(ङ) रूग्णता अवकाश	6.19	
0.64	(च) पेंशन	2.89	20.67
	3. अन्य प्रावधान:		
0.00	(क) वायदा विनिमय संविदाओं पर हानि के लिए प्रावधान	6.34	
178.40	(ख) मानक आस्तियों पर आकस्मिक प्रावधान	214.29	
274.87	(ग) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (vii)(ग) के अधीन डुबंत तथा संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान	330.67	
0.00	(घ) पुनः तैयार लेखाओं के मूल्यहास हेतु प्रावधान	0.07	
10.00	(ङ) आकस्मिक व्यय हेतु प्रावधान	10.00	
0.22	(च) एचएलए जमाराशियों के लिए प्रावधान	0.22	
0.10	(छ) अन्य प्रावधान	0.01	561.60
0.75	4. परिशोधन देय लेखा		0.76
4.64	5. पूंजी अभिलाभ बांड अतिदेय लेखा		4.15
1.76	6. जल और सफाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए यूएन-हेबिटेट चक्रण निधि		1.76
43.76	7. 1 प्रतिशत ब्याज राहत योजना के तहत प्राप्त राशि		43.19
1.59	8. शहरी गरीबों के लिए आवास हेतु ब्याज सब्सिडी योजना के तहत प्राप्त राशि		1.15
47.70	9. एमएनआरई सब्सिडी योजना के तहत प्राप्त राशि		25.72
26.94	10. राजीव ऋण योजना के तहत प्राप्त राशि		28.74
1.01	11. गुजरात सरकार सब्सिडी योजना के तहत प्राप्त राशि		1.01
0.00	12. ऋण सहबद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के तहत प्राप्त राशि		132.01
44.38	13. अन्य देयताएं		60.24
1,368.62			1,671.29



अनुसूची VIII

अन्य देयताएं

पिछला वर्ष ₹ करोड़ में	अनुसूचियां	चालू वर्ष ₹ करोड़ में
0.17	1. वर्ष 1991-92 के अर्णित लेन-देन	0.17
35.29	2. अनिर्णित लेन-देनों पर देय ब्याज	35.29
35.46		35.46

अनुसूची IX

नकद और बैंक शेष

पिछला वर्ष ₹ करोड़ में	अनुसूचियां	चालू वर्ष ₹ करोड़ में
@	1. हस्तगत नकद/चेक	@
0.08	2. भारतीय रिजर्व बैंक में चालू खाता	0.03
130.68	3. अन्य बैंकों के पास शेष:	
1,300.03	(क) भारत में	
24.01	(i) चालू खाता	253.09
	(ii) बैंकों के पास सावधि जमा	1,435.04
	(iii) बैंकों के पास सावधि जमा (कर्मचारी कल्याण निधि)	33.43
409.62	(ख) भारत से बाहर	1,721.56
	बैंकों के पास सावधि जमा	389.46
1,864.42		2,111.05

@ ₹0.50 लाख से कम राशि





वार्षिक रिपोर्ट 2015-16

अनुसूची X निवेश

पिछला वर्ष ₹ करोड़ में	अनुसूचियां			चालू वर्ष ₹ करोड़ में
56.15	1. केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियां कीमत पर या बाजार मूल्य पर जो भी कम हो (क) सरकारी प्रतिभूतियां (सीबीएलओ प्रचालन के लिए सीसीआईएल के पास बंधक)			217.04
2,531.00	(ख) राजकोषीय हुंडियां (सीबीएलओ प्रचालन के लिए सीसीआईएल के पास बंधक)			2,585.28
19.52	2. आवास वित्त संस्थानों के स्टॉक, शेयर, बॉण्ड, डिबेंचर और प्रतिभूति			24.51
	3. अन्य संस्थाओं के स्टॉक, शेयर, बॉण्ड, डिबेंचर और प्रतिभूति:			
250.00	(क) चल निधि में निवेश		0.00	
15.00	(ख) गौण बॉण्ड		5.00	
71.30	(ग) अन्य संस्थानों के शेयर		77.00	
0.53	(घ) भवन निर्माण सामग्री कंपनी के शेयर	0.53		
0.53	घटाएं: मूल्यह्रास	0.53	0.00	
8.03	(ङ) एआरडीबी के विशेष ग्रामीण आवास डिबेंचर हेतु सब्सक्रिप्शन		0.00	82.00
2,951.00				2,908.83

अनुसूची XI ऋण और अग्रिम


पिछला वर्ष ₹ करोड़ में	अनुसूचियां			चालू वर्ष ₹ करोड़ में
	I पुनर्वित्त			
24,442.90	1. आवास वित्त संस्थान :			
19.06	(क) आवास वित्त कंपनियां	29,685.48		
	(ख) सहकारी आवास वित्त सोसाइटियां	8.78		29,694.26
	2. अनुसूचित बैंक:			
18,941.09	(क) वाणिज्यिक बैंक	22,467.63		
988.87	(ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1,134.08		
140.32	(ग) शहरी सहकारी बैंक	147.71		23,749.42
	II प्रत्यक्ष ऋण			
284.30	3. आवास बोर्ड, विकास प्राधिकरण आदि			179.69
0.33	4. यून-हेबिटेड के अधीन जल और सफाई परियोजना			0.20
44,816.87	सकल ऋण और अग्रिम			53,623.57
79.60	घटाएं: गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान			50.93
44,737.27	निवल ऋण और अग्रिम			53,572.64



अनुसूची XII
अचल परिसंपत्तियां
(₹ करोड़ में)

विवरण	लागत ब्लॉक			मूल्यहास			निवल ब्लॉक					
	01.07. 2015 की यथास्थिति	वृद्धियां	कटौती	अंतरण	30.06.2016 की यथास्थिति	01.07.2015 की यथास्थिति	वृद्धियां	कटौती	अंतरण	30.06.2016 की यथास्थिति	30.06.2016 की यथास्थिति	30.06.2015 की यथास्थिति
पट्टा भूमि	0.87	5.45	-	-	6.32	0.12	0.01	-	-	0.13	6.19	0.75
परिसर	33.45	1.64	5.45	-	29.64	14.23	0.88	2.76	-	12.35	17.29	19.22
मोटर वाहन	0.84	1.53	0.56	-	1.81	0.81	0.32	0.56	-	0.57	1.24	0.03
फर्नीचर और जुड़नार	2.35	0.17	0.72	-	1.80	1.84	0.11	0.69	-	1.26	0.54	0.51
कार्यालय उपस्कर	2.70	0.13	0.39	-	2.44	2.33	0.26	0.39	-	2.20	0.24	0.37
कम्प्यूटर और माइक्रोप्रोसेसर	12.67	2.25	2.61	@	12.31	11.30	1.68	2.61	@	10.37	1.94	1.37
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	5.65	1.92	-	@	7.57	4.82	1.21	@	@	6.03	1.54	0.83
रिहायशी साज-सज्जा योजना के अधीन परिसंपत्तियां	0.23	0.02	@	-	0.25	0.12	0.04	@	-	0.16	0.09	0.11
कुल	58.76	13.11	9.73	-	62.14	35.57	4.51	7.01	-	33.07	29.07	23.19
पिछला वर्ष	57.12	2.15	0.51	-	58.76	32.44	3.58	0.45	-	35.57	23.19	24.68

@0.50 लाख ₹. से कम राशि





अनुसूची XIII
अन्य परिसंपत्तियां

पिछला वर्ष ₹ करोड़ में	अनुसूचियां		चालू वर्ष ₹ करोड़ में
94.16	1. ब्याज प्राप्तव्यः		
83.70	(क) बैंक जमाराशियां	57.55	146.53
	(ख) निवेश	88.98	
5.79	2. अग्रिम, प्राप्तव्य, अग्रिम कर, और पूर्वदत्त व्ययः		
238.59	(क) कर्मचारी ऋण और अग्रिम	7.43	
0.46	(ख) अग्रिम कर, एफबीटी, टीडीएस आदि	239.81	
0.46	(ग) विविध वसूली योग्य संदिग्ध माने गए घटाएं: प्रावधान	0.46	
4.84	(घ) पूर्वदत्त व्यय	0.46	
13.19	(ङ) प्राप्तव्य ब्याज सहित सीसीआईएल के पास जमा	0.00	
45.30	(च) यूएसएआईडी उधारी के विनिमय हानि	4.88	
68.45	समायोजन हेतु भारत सरकार से प्राप्त व्यय/राशि	13.18	
	(छ) अन्य	50.80	
		26.32	342.42
149.37	3. वर्ष 1991-92 के अनिर्णीत लेन-देन		149.37
3.29	4. वायदा विनिमय संविदा पर आस्थगित छूट		0.00
706.68			638.32

अनुसूची XIV
आकस्मिक देयताएं

पिछला वर्ष ₹ करोड़ में	अनुसूचियां	चालू वर्ष ₹ करोड़ में
31.86	1. वायदा विनिमय संविदा के कारण देयताएं	63.35
0.22	2. कार्यापालक निदेशकों को उनके प्रदर्शन के लिए दिये जाने वाले प्रोत्साहन	0.28
32.08		63.63



अनुसूची XV

30 जून, 2016 को समाप्त वर्ष के लेखाओं के भाग—स्वरूप टिप्पणियां

(क) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. तैयारी का आधार

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परिपारी के तहत, लेखांकन प्रोद्भवन आधार पर तैयार किये जाते हैं, जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो और ये भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत (जीएएपी) के अनुसार हैं, जिसमें लागू सांविधिक प्रावधान, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित विनियामक मानक समाविष्ट हैं।

तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि लेखा राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 और उसके अधीन निर्मित राष्ट्रीय आवास बैंक सामान्य विनियम, 1988 के अनुसार तैयार किये गये हैं।

2. प्राक्कलन उपयोग

वित्तीय विवरणियां तैयार करने के लिए आवश्यक होता है कि प्रबंधन उन प्राक्कलनों और पूर्वानुमानों को तैयार करे जो वित्तीय विवरणियों की तारीख को सूचित परिसंपत्तियों और देयताओं तथा रिपोर्ट की अवधि के दौरान सूचित आय और व्यय को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं। लेखांकन अनुमानों में कोई भी संशोधन संबंधित लेखांकन मानकों की अपेक्षाओं के अनुसार स्वीकार किया जाता है।

3. आय एवं व्यय

3.1. आय एवं व्यय की गणना निम्न के अतिरिक्त प्रोद्भवन आधार पर की जाती है, जिनकी गणना नकद आधार पर की जाती है:


- 3.1.1 ऋण की शर्तों का अनुपालन न करने अथवा ऋण देय राशि की प्राप्ति में विलंब के कारण, ब्याज की सामान्य दर के अतिरिक्त दंड स्वरूप ब्याज के माध्यम से आय।
- 3.1.2 ऋण के पूर्व-भुगतान पर उद्ग्रहण (लेवी)।
- 3.1.3 ब्याज के अस्थिर से स्थिर दर में परिवर्तन और इसके विपरीत क्रम में परिवर्तन के लिए परिवर्तन प्रभार।
- 3.1.4 अनर्जक आस्तियों पर ब्याज।
- 3.1.5 शुल्क आधारित आय जैसे कि ऐसे मामलों में जहां अधिकतम आय 25,000/- रु0 प्रति लेनदेन है, न्यासी शुल्क और गारंटी शुल्क अग्रिम के तौर पर मान्य है।
- 3.1.6 विनियामक अपेक्षाओं अथवा रा.आ.बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन न करने पर रा.आ.बैंक द्वारा लगाया गया जुर्माना।
- 3.1.7 ऋण निरीक्षण प्रभावों के रूप में आवास वित्त कंपनियों/बैंकों से प्राप्त राशि।
- 3.1.8 अन्य विविध प्राप्तियां, जैसे रद्दी माल/पुराने अखबार बेचने से प्राप्तियां, सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत प्राप्तियां आदि।

3.2. जब लाभांश प्राप्त करने का अधिकार सिद्ध हो जाए तो निवेश पर लाभांश का हिसाब दिया जाता है।

3.3. वर्तमान अवधि व्यय हेतु अधिकतम 10,000/- रु0 प्रति लेनदेन पूर्व-प्रदत्त व्यय प्रभारित किया जाता है।

3.4. वर्तमान अवधि व्यय हेतु अधिकतम 10,000/- रु0 प्रति लेनदेन व्यय प्रभारित किया जाता है।

3.5. बांड जारी करने के वर्ष में व्यय के तौर पर बांडों के प्रवर्तन से संबंधित निर्गम व्यय और स्टॉप शुल्क स्वीकार किए जाते हैं।





4. निवेश

वर्तमान विनियामक दिशा निर्देशों के अनुसार निवेशों का वर्णन प्रस्तुत किया जाता है।

4.1 वर्गीकरण

भा.रि.बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार, निवेशों को परिपक्वता के लिए धारित (एचटीएम), बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) और व्यापार के लिए धारित (एचएफटी) में वर्गीकृत किया जाता है। इनमें से प्रत्येक श्रेणी में, निवेशों को आगे निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है:

- (i) सरकारी प्रतिभूति,
- (ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां,
- (iii) शेयर,
- (iv) लाभांश एवं बांड,
- (v) सहायक कंपनियां/संयुक्त उद्यम और
- (vi) अन्य

4.2 वर्गीकरण का आधार :

- 4.2.1. निवेश जिन्हें बैंक परिपक्वता की अवधि तक धारित रखना चाहता है, उन्हें परिपक्वता के लिए धारित के तौर पर वर्गीकृत किया जाता है।
- 4.2.2. निवेश जिन्हें मुख्यतः क्रय की तारीख से 90 दिन के अंतर्गत पुनर्विक्रय हेतु रखा जाता है, उन्हें व्यापार के लिए धारित के तौर पर वर्गीकृत किया जाता है।
- 4.2.3. निवेश, जिन्हें उपरोक्त दो श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किया गया है, वे बिक्री के लिए उपलब्ध के तौर पर वर्गीकृत हैं।
- 4.2.4. किसी भी निवेश को इसके क्रय के समय पर परिपक्वता के लिए धारित, बिक्री के लिए धारित अथवा व्यापार के लिए धारित के तौर पर वर्गीकृत किया जाता है और विनियामक दिशा निर्देशों के अनुरूप इन श्रेणियों में अनुवर्ती परिवर्तन किया जाता है।

4.3 मूल्यांकन

- 4.3.1. निवेश की अधिग्रहण लागत निर्धारित करने में :
 - क) अभिदानों पर प्राप्त दलाली/कमीशन लागत से काटा जाता है।
 - ख) निवेश अधिग्रहण के संबंध में अदा किए गए दलाली, कमीशन, प्रतिभूति लेनदेन कर, आदि का व्यय अग्रिम (अपफ्रंट) किया गया है और उन्हें लागत से पृथक रखा जाता है।
 - ग) ऋण लिखतों पर प्राप्त/प्रदत्त खंडित अवधि ब्याज को ब्याज व्यय/आय के तौर पर माना जाता है और लागत/बिक्री प्रतिफल से पृथक रखा जाता है।
 - घ) एएफएस और एचएफटी श्रेणी के अंतर्गत निवेश हेतु लागत भारत औसत लागत पद्धति पर निर्धारित की जाती है और एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत निवेश हेतु एफआईएफओ आधार (प्रथम प्रवेश प्रथम निर्गम) पर लागत निर्धारित की जाती है।
- 4.3.2. प्रतिभूति का एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में अंतरण, अंतरण की तारीख पर अधिग्रहण लागत / बही मूल्य / बाजार मूल्य का कम से कम लेखाबद्ध किया जाता है, और इस अंतरण पर मूल्याहान, यदि कोई हो, पूरी तरह प्रदान किया जाता है।
- 4.3.3. राजकोष बिल और वाणिज्यिक कागजातों की रख-रखाव लागत का मूल्य आंका जाता है।
- 4.3.4. परिपक्वता श्रेणी के लिए धारित :

'परिपक्वता के लिए धारित' श्रेणी के लिए अधीन निवेशों को अधिग्रहण की लागत पर माना जाता है, जब तक कि यह अंकित मूल्य से अधिक नहीं हो, जिस मामले में सतत लाभ के आधार पर शेष



परिपक्वता की अवधि पर प्रीमियम परिशोधित किया जाता है। प्रीमियम का ऐसा परिशोधन आय के प्रति “निवेश-पर-निवेश” शीर्ष के अंतर्गत समायोजित किया जाता है। सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और संबद्ध कंपनियों में निवेश का मूल्य ऐतिहासिक लागत पर आंका जाता है। प्रत्येक निवेश के लिए व्यक्तिगत रूप से, अस्थायी के अतिरिक्त, ह्रास हेतु व्यवस्था की जाती है।

4.3.5. बिक्री के लिए उपलब्ध और व्यापार के लिए धारित श्रेणियां:

एएफएस और एचएफटी श्रेणियों के तहत धारित निवेश व्यक्तिगत तौर पर बाजार मूल्य अथवा भा.रि.बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार निर्धारित उचित मूल्य पर पुनर्मूल्यांकित किए जाते हैं, और प्रत्येक श्रेणी के लिए प्रत्येक वर्ग के केवल निवल मूल्यह्रास के लिए व्यवस्था की जाती है और निवल मूल्य-वृद्धि पर ध्यान नहीं दिया जाता है। मूल्यह्रास हेतु व्यवस्था पर बाजार मूल्य को बही में अंकित करने के बाद, वैयक्तिक प्रतिभूतियों का बही मूल्य अपरिवर्तनीय रहता है।


4.3.6. किसी आस्ति पुनर्निर्माण कम्पनी (एआरसी) द्वारा जारी प्रतिभूति की पावतियों (एसआर) का मूल्य गैर-एसएलआर लिखतों के लिए लागू दिशा निर्देशों के अनुसार आंका जाता है। तदनुसार, ऐसे मामलों में जहां एआरसी द्वारा जारी प्रतिभूति पावतियां, संबद्ध योजना में लिखतों हेतु निर्दिष्ट वित्तीय आस्तियों की वास्तविक वसूली तक सीमित हैं, ऐसे निवेशों के मूल्यांकन हेतु एआरसी से प्राप्त किए गए निवल आस्ति मूल्य की गणना की जाती है।

5. ऋण/अग्रिम और उस पर प्रावधान

- 5.1 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देशों के आधार पर ऋण और अग्रिम निष्पादक और गैर निष्पादक के तौर पर वर्गीकृत किये जाते हैं।
- 5.2 अनर्जक आस्तियां (एनपीए) भा.रि.बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देशों के आधार अवमानक, संदिग्ध और नष्ट आस्ति के तौर पर वर्गीकृत की जाती हैं।
- 5.3 एनपीए हेतु प्रावधान भा.रि.बैंक द्वारा निर्धारित वर्तमान दिशा निर्देशों के अनुसार किए जाते हैं।
- 5.4 एनपीए की बिक्री की गणना भा.रि.बैंक द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार की जाती है। यदि बिक्री का मूल्य निवल बही मूल्य (एनबीवी) से कम है, कमी लाभ एवं हानि खाते में नामे की जाती है, और यदि बिक्री का मूल्य एनबीवी के मूल्य से अधिक है, तो अतिरिक्त प्रावधान सुरक्षित रखा जाता है और अन्य वित्तीय आस्तियों की बिक्री पर हानि/कमी को पूरा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।
- 5.5 पुनर्निर्मित/पुनर्निर्धारित आस्तियों के मामले में, भा.रि.बैंक द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार प्रावधान बनाए जाते हैं।
- 5.6 यदि ऋण खाते एनपीए के तौर पर वर्गीकृत किए जाते हैं, तो यदि यह भा.रि.बैंक द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों की पुष्टि करें, यह अर्जक आस्ति के तौर पर पुनः वर्गीकृत किया जा सकता है।
- 5.7 पूर्व के वर्षों में बट्टे खाते के ऋण के प्रति वसूली गई राशि प्राप्ति के वर्ष में राजस्व के तौर पर स्वीकार की जाती है।
- 5.8 एनपीए पर विशिष्ट प्रावधान के अतिरिक्त, मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान भी बनाए जाते हैं। इन प्रावधानों को तुलन पत्र में ‘अन्य देयतायें और प्रावधान’ के तौर पर दर्शाया जाता है और उन पर निवल एनपीए ज्ञात करते समय विचार नहीं किया जाता है।
- 5.9 तुलन पत्र में अग्रिमों को एनपीए हेतु प्रावधान के निवल में वर्णित किया जाता है।
- 5.10 कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (एआरडीबी) को विशेष ग्रामीण आवास डिबेंचरों (एसआरएचडी) को अंशदान के माध्यम से उपलब्ध कराया गया पुनर्वित्त अग्रिमों की प्रकृति में माना जायेगा जो निवेशों के तौर पर वर्गीकृत है और ऋण एवं अग्रिमों के लिए लागू सामान्य विवेक सम्मत मानकों के अधीन है।

6. व्युत्पन्नी लेनदेन

- 6.1 ब्याज दर स्वैप जो ब्याज धारत आस्तियों और देयताओं का बचाव करते हैं, उनकी गणना प्रोद्भवन आधार पर की जाती है, आस्ति अथवा देयता के साथ निर्दिष्ट स्वैप को छोड़कर जिसे वित्तीय विवरण में बाजार मूल्य अथवा निम्नतम लागत में रखा जाता है।
- 6.2 स्वैप के समापन पर लाभ अथवा हानि की पहचान स्वैप की शेष संविदागत अवधि अथवा आस्तियों/देयताओं की शेष अवधि में से कम अवधि पर की जाती है।





7- स्थिर आस्तियां

7.1 स्थिर आस्तियां को संचित मूल्यह्रास घटाकर ऐतिहासिक लागत में प्रस्तुत किया जाता है।

7.2 आस्तियों पर मूल्यह्रास (भूमि सहित जहां मूल्य को पृथक नहीं किया जा सकता) आस्ति की अनुमानित अवधि पर आधारित सरल रेखा पद्धति पर प्रस्तुत किया जाता है। आस्तियों पर मूल्यह्रास निम्नलिखित दरों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है :

(क) पट्टाधीन भूमि	पट्टाधीन अवधि में
(ख) परिसर	
i) पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि और पट्टाधीन भूमि, जहां पट्टावधि 40 वर्ष से अधिक है, पर निर्मित	2.50%
ii) पट्टाधीन भूमि, जहां पट्टावधि 40 वर्ष से कम है,	पट्टाधीन अवधि में
(ग) फर्नीचर और जुड़नार	10.00%
(घ) कंप्यूटर और माइक्रोप्रोसेसर	33.33%
(ड.) मोटर वाहन	20.00%
(च) आफिस उपस्कर	20.00%
(छ) आवासीय सज्जा योजना के तहत लिया गया फर्नीचर	10.00%
(ज) आवासीय सज्जा योजना के तहत ली गई वैद्युत/इलैक्ट्रॉनिक वस्तुएं	20.00%

7.3 वैयक्तिक तौर पर 10,000/- रु. और उससे कम लागत वाली स्थिर आस्तियों का मूल्य परिवर्धन के वर्ष में पूरी तरह घटाया जाता है। (ग्रामीण आवास निधि के अन्तर्गत खरीदी गयी आस्तियों को छोड़कर)

7.4 आस्तियों में परिवर्धन पर मूल्यह्रास की गणना परिवर्धन की तारीख पर ध्यान दिए बिना पूरी अवधि के लिए की जाती है।

8. कर्मचारी लाभ

8.1 बैंक के पास भा.रि.बैंक द्वारा संचालित भविष्य निधि योजना है। निधि में अंशदान वास्तविक आधार पर किया जाता है।

8.2 कर्मचारी जिन्होंने बैंक की सेवाएं 1 अप्रैल, 2010 के बाद ग्रहण की हैं वे केन्द्र सरकार द्वारा 1 जनवरी, 2004 से प्रभावी तथा समय-समय पर संशोधित की जाने वाली परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधानानुसार नियंत्रित किया जाएगा जैसाकि केन्द्र सरकार के अधिकारियों पर भी लागू होता है।

8.3 उपदान, पेंशन, रुग्णता अवकाश, अवकाश नकदीकरण और अवकाश यात्रा रियायत के लिए देयता अवधि/वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित की जाती है।

9. आय पर कर

9.1 वर्तमान अवधि के लिए आय कर का निर्धारण कर योग्य आय और आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार संगणित कर ऋणों के आधार पर किया जाता है और यह मूल्यांकनों/अपीलों के प्रत्याशित परिणाम पर आधारित होता है।

9.2 समय के अंतराल के कारण हुए आस्थगित कर प्रभार अथवा ऋण, तुलन पत्र तारीख तक बनाई गई अथवा महत्वपूर्ण तौर पर अधिनियमित की गई, उन कर दरों का प्रयोग करते हुए उन्हें मान्यता दी जाती है। आईसीएआई द्वारा जारी एएस-22 की शर्तों के अनुसार, आस्थगित कर देयता हेतु प्रावधान प्रत्येक तुलन पत्र तारीख में समीक्षा के आधार पर किए जाते हैं और आस्थगित कर आस्तियों को मान्यता केवल तभी दी जाती है जब भविष्य में ऐसी आस्तियों की वसूली की वास्तविक निश्चितता हो। तदनुसार, आस्थगित कर देयताओं अथवा आस्तियों की समीक्षा वर्ष के दौरान विकास के आधार पर प्रत्येक तुलन पत्र तारीख पर की जाती है।

9.3 धन कर की गणना धन कर अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अनुसार की जाती है।



10. विदेशी मुद्रा लेनदेन

- 10.1 विदेशी मुद्रा में सभी आस्तियां और देयताएं, यूएसएआईडी उधार के अतिरिक्त, भारतीय रुपये में बदली जाती हैं जो तुलन पत्र तारीख में प्रचलित, भारतीय विदेशी विनिमय डीलर संघ (एफईडीएआई) द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों के समान हैं और परिणामस्वरूप आस्तियों और देयताओं पर लाभ अथवा हानि को 'विदेशी जमाओं और ऋणों के पुनर्मूल्यांकन से ज्ञात लाभ/हानि' शीर्ष के तहत लाभ एवं हानि लेखे में जमा अथवा नामे किया जाता है।
- 10.2 यूएसएआईडी उधार के संबंध में, 'यूएसएआईडी उधार हेतु भारत सरकार से वसूली योग्य राशि में विनिमय हानि अथवा लाभ को नामे अथवा जमा किया जाता है क्योंकि यूएसएआईडी उधार पर विनिमय हानि का वहन भारत सरकार द्वारा किया जाता है।
- 10.3 आय एवं व्यय की मर्दे लेनदेन की तारीख को प्रचलित विनिमय दरों पर परिवर्तित की जाती हैं।
- 10.4 विदेशी विनिमय वायदा संविदा तुलन पत्र तारीख के अनुसार बकाया और जो व्यापार हेतु अभीष्ट नहीं हैं, उनका मूल्य एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित समापन हाजिर (स्पॉट) दर के अनुसार आंका जाता है। ऐसी वायदा विनिमय संविदा के प्रारंभ में उत्पन्न प्रीमियम अथवा छूट संविदा की अवधि में व्यय अथवा आय के तौर पर परिशोधित की जाती है। पुनर्मूल्यांकन पर परिणामी लाभ/हानि को 'वायदा विनिमय संविदा लेखा के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ/हानि' शीर्ष के तहत लाभ और हानि लेखा में माना जाता है।
- 10.5 विदेशी विनिमय संविदा के कारण आकस्मिक देयताएं तुलन पत्र तारीख पर एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर प्रस्तुत की जाती हैं।

11. आस्तियों की हानि

हानि घाटे को तब स्वीकार किया जाता है जब किसी आस्ति की रख-रखाव लागत वसूली योग्य राशि से अधिक हो।


12. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां:

मूल्यांकन में अनुमान के महत्वपूर्ण अंश वाले प्रावधान तब मान्य होते हैं जब पुरानी घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान देयता हो, यह संभावना है कि संसाधनों का बहिर्गमन होगा और देयता की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों को न तो मान्यता प्राप्त होती है और न ही प्रकट किया जाता है। आकस्मिक देयताओं को तुलन पत्र में अनुसूचियों के माध्यम से प्रकट नहीं किया जाता और न ही उनके लिए व्यवस्था की जाती है।

(ख) टिप्पणियां

13. अचल आस्तियां

- 13.1 भारत पर्यावास केन्द्र, लोधी रोड, दिल्ली में स्थित वाणिज्यिक संपत्ति और जंगपुरा एक्सटेंशन, नई दिल्ली में स्थित आवासीय संपत्ति जिसका सकल मूल्य 23.99 करोड़ रु0 (अर्थात् अधिग्रहण मूल्य) है, में पंजीकरण की औपचारिकताएं चल रही हैं।
- 13.2 भारत पर्यावास केन्द्र (आईएचसी), लोधी रोड, नई दिल्ली में अधिग्रहित कार्यालय स्थान के संबंध में यर्थाथ लागत को आईएचसी द्वारा विभिन्न आर्बिट्रियॉ में विभाजित नहीं किया गया है। इस संबंध में भूमि और विकास कार्यालय, भारत सरकार, आईएचसी और संबंधित संस्थान (अर्थात् रा.आ.बैंक) के बीच अभी त्रिपक्षीय करार किया जाना है। इसलिए, आईएचसी को किए गए भुगतान के आधार पर बैंक द्वारा 14.85 करोड़ रुपयों की राशि में से परिसर (14.44 करोड़) तथा पट्टाकृत भूमि (0.41 करोड़ रु.) में पूंजीकृत की गई है।
- 13.3 वर्ष के दौरान, आईएचसी द्वारा उपलब्ध कराई गई पुष्टि के अनुसार, परिसर के अंतर्गत दिखाई गई 14.44 करोड़ की राशि को पट्टाकृत भूमि (5.45 करोड़ रु.) तथा परिसर (8.99 करोड़ रुपयों) में वर्गीकृत कर दी गई है। इसके परिणामस्वरूप संचयी हास के उत्क्रमण के रूप में आया तथा वर्ष के दौरान लाभ में 2.76 करोड़ रुपयों की राशि की वृद्धि हो गई।





14. विदेशी उधार

14.1 यूएसएआईडी के आवास गारंटी कार्यक्रम के अधीन, बैंक ने वर्ष 1990-91 में तीस वर्ष की अवधि के लिए अमरीकी पूंजी बाजार में 25 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण जुटाया था। यह ऋण अक्टूबर 2001 से प्रारंभ करते हुए चालीस बराबर अर्ध-वार्षिक किस्तों में चुकता करना है। दिनांक 30 जून, 2016 को यथा स्थिति 42.72 करोड़ रु. (पुनर्मूल्यांकन के बाद) का बकाया शेष "भारत से बाहर - अन्य स्रोतों से उधार" शीर्ष के अधीन दर्शाया गया है। भारत सरकार ने ऋण की गारंटी दी है और विनिमय हानि, यदि कोई हो, वहन करने की सहमति भी दी है।

भारत सरकार से वर्ष 1990 में प्राप्त पत्रानुसार सरकार किसी की पुनर्भगतान में होने वाली विनिमय हानि साथ ही प्लेसमेंट शुल्क, गारंटी शुल्क आदि जैसे होने वाले प्रभारों को भी वहन करेंगे। इसके अलावा, भारत सरकार इस ऋण के लिए राष्ट्रीय ब्याज दर पर रुपए के साथ गठबंधन करने को तैयार है। यदि विदेशी लेनदारी के ऋण भुगतान दायित्व में वृद्धि होती है तो बैंक विनिमय दर में परिवर्तन के कारण बैंक द्वारा भारत सरकार को ऋण भुगतान दायित्व में जो अंतर आएगा वह भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। पुनर्मुल्यांकन के कारण विनिमय हानि 29.84 करोड़ रुपये (मूलधन) तथा 0.52 करोड़ रुपये (मूलधन) को "अन्य संपत्तियों" के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा देय राशि के रूप में दर्शाया गया है। यथा 30 जून, 2016 के अनुसार उपरोक्त की दिशा में भारत सरकार से प्राप्य कुल राशि 58.80 करोड़ रु. है।

14.2 बैंक ने वर्ष 1997 और 2002 में क्रमशः 100 मिलियन अमरीकी डालर और 20 मिलियन अमरीकी डालर की दो किस्तों में एशियाई विकास बैंक से 120 मिलियन अमरीकी डालर (564 करोड़ रु. के समतुल्य, जिसका दिनांक 30 जून, 2016 को बकाया 329.53 करोड़ रुपये है) का उधार लिया था। इन ऋणों की गारंटी भारत सरकार द्वारा दी गई है। ये ऋण क्रमशः वर्ष 2022 और 2025 तक अर्धवार्षिक किस्तों में प्रतिदेय हैं।

ये डालर निधियां विदेश स्थित शाखाओं में बैंक ऑफ इंडिया (50 मिलियन यूएस डालर) केनरा बैंक (50 मिलियन यूएस डालर) तथा एक्विजम बैंक (20 मिलियन यूएस डालर) के साथ समझौतों के तहत रखी गई है। ये जमाएं अर्धवार्षिक किस्तों पर क्रमशः वर्ष 2022 और 2025 पर परिशोधित ऋणों के रूप में एशियन विकास बैंक के ऋण भुगतान के उपयोग हेतु रखी गई है। यूएस डालर के जमाओं के संदर्भ में, इन बैंकों ने रा.आ. बैंक द्वारा जारी विशिष्ट श्रेणी के 564 करोड़ रु0 (यथा 30 जून, 2016 को 270.70 करोड़ रु0 बकाया है) के बांड अभिदत्त किये हैं। ये विशिष्ट बांड अर्धवार्षिक किस्तों पर क्रमशः वर्ष 2022 एवं 2025 में प्रतिदेय हैं।

14.3 बैंक ने भारत में "ऊर्जा दक्ष नए रिहायशी आवास" के वित्त पोषण के लिये वर्ष 2010-11 में केएफडब्ल्यू, जर्मनी के साथ करार किया। जर्मनी फेडरल रिपब्लिक की सरकार और भारत सरकार के बीच वित्तीय सहयोग के तहत मई 2009 को करार पूरा हुआ। इस ऋण की गारंटी भारत सरकार द्वारा दी गई है।

कार्यक्रम के तहत कुल ऋण सीमा 50 मिलियन यूरो है। करार के तहत दो सीमाएं हैं यथा भाग क (30 जून, 2014 से शुरू होकर 18 छमाही किस्त में चुकौती-योग्य) के तहत 38 मिलियन यूरो और भाग ख (30 जून, 2021 से शुरू होकर 60 छमाही किस्तों में चुकौती-योग्य) के तहत 12 मिलियन यूरो है। बैंक ने 50 मिलियन यूरो (382.11 करोड़ रु0 के समतुल्य) की पूरी राशि आहरित कर ली और यथा तारीख 30 जून, 2016 को 39.45 मिलियन यूरो अर्थात 296.75 करोड़ रु0 शेष राशि है। मूलधन और ब्याज विनिमय जोखिम के खिलाफ हैज किया गया है।

14.4 जुलाई, 2011 में भारत-यूके दोनों देशों की सहमति से द्विपक्षीय विकास सहयोग भागीदारी के अंतर्गत रा.आ. बैंक ने देश के 8 निम्न आय वाले राज्यों में "तीव्र एवं सतत आर्थिक विकास हेतु किरायेती आवास बाजार बनाना" नामक परियोजना के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग, यू.के. के साथ सहयोग का करार किया है। कार्यक्रम के तहत डीएफआईडी कुल 50 मिलियन पाउंड की सहायता करेगा। ऋण जून, 2017 से प्रारंभ होकर आठ बराबर किस्तों में चुकाया जाना है। 30 जून, 2016 के अंत तक, बैंक ने डीएफआईडी से 29 मिलियन पाउंड (286.58 करोड़ रुपये के समतुल्य) की राशि आहरित की है। यथा 30 जून, 2016 को बकाया उधार 29 मिलियन यूरो, 263.60 रुपये के समतुल्य (पुनर्मुल्यांकन के पश्चात) रहा।



14.5 रा.आ.बैंक ने 14 अगस्त, 2013 को विश्व बैंक के साथ एक समझौता किया जिसके बाद 66.1 मिलियन डॉलर (100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समतुल्य) के विशेष आहरण के साथ निम्न आय आवास वित्त परियोजना हेतु 04 अक्टूबर, 2013 को भारत सरकार के साथ एक सहायक ऋण करार किया। इस ऋण व्यवस्था के तहत विश्व बैंक भारत सरकार को संवितरण करेगा और भारत सरकार इसके बदले रा.आ.बैंक को समतुल्य रूपया आगे उधार देगी। बैंक को उधार पर दी गई राशि, पूरी तरह से बैंक द्वारा चुकाई जाएगी और भुगतान की तारीखों, यदि कोई हो, को विनिमय दर विविधताओं के कारण उत्पन्न देयताओं सहित संपूर्ण देयताओं को पूरा करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। यदि कोई, कारण सहित, नियत दिनांक पर दर विविधताओं का आदान-प्रदान करने के लिए हो।

राष्ट्रीय आवास बैंक ने इस कार्यक्रम के तहत भारत सरकार के माध्यम से विश्व बैंक को अपना दावास प्रस्तुत कर दिया है और तदनुसार विश्व बैंक ने 213.08 करोड़ (22.96 मिलियन एसडीआर / 32.87 अमेरिकी डॉलर) के समतुल्य के पात्र दावों को निर्माचित कर दिया है। जिसमें से, 31 मार्च, 2016 तक बैंक ने 190 करोड़ रुपये प्राप्त कर लिए हैं तथा 23.08 करोड़ की शेष राशि बैंक की बही में भारत सरकार द्वारा देय राशि में दर्शाया गया है। 30 जून, 2016 तक बकाया ऋण 216.80 करोड़ रुपये (पुनर्मुल्यांकन के बाद) है। बैंक ने 32.87 मिलियन अमेरिकी डॉलर रक्षित कर ली है।

15. विदेशी जमा राशियों और उधारों/वायदा विनिमय संविदाओं का पुनर्मुल्यांकन

15.1 वर्ष 2015-16 (जुलाई-जून) के दौरान, बैंक को लाभ और हानि खाते में विदेशी जमा राशियों और उधारों के पुनर्मुल्यांकन पर 7.04 करोड़ रुपये का निवल लाभ हुआ जिसे "विदेशी जमा राशियों और उधारों के पुनर्मुल्यांकन पर लाभ/(हानि)" शीर्ष के तहत दर्शाया गया है।

15.2 एक्जिम बैंक से यूएसडी के अतिरिक्त अन्तर्प्रवाह के कारण फॉरेक्स जोखिम को पूरा करने के लिये, बैंक ने वायदा विनिमय संविदाएं कीं। 30 जून 2016 को समाप्त अवधि के दौरान 1.07 अमेरिकी डॉलर मिलियन के वायदा विनिमय संविदाओं को रद्द कर दिया गया। यथा 30 जून, 2016 को बैंक के पास 9.61 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल राशि की 16 अनुबंध बकाया हैं। यथा 30 जून, 2016 को 2.10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल राशि हैज नहीं है।

15.3 यथा 30 जून, 2016 को भारत में "ऊर्जा दक्ष नए रिहायशी आवास" के वित्तपोषण हेतु बैंक पर केएफडब्ल्यू, जर्मनी से 39.45 मिलियन यूरो का उधार बकाया है। बकाया राशि पूरी तरह से हैज है।


15.4 30 जून, 2016 की यथास्थिति के अनुसार, बैंक के पास देश के आठ निम्न आय वाले राज्यों में "त्वरित और सतत आर्थिक विकास हेतु किफायती आवास बाजार का निर्माण" नामक एक परियोजना डीएफआईडी, यूके से जीबीपी 29 मिलियन का बकाया उधार है। 29 मिलियन का सम्पूर्ण बकाया हैज है।

15.5 यथा 30 जून, 2016 तक बैंक ने "निम्न आय आवास वित्त" के अंतर्गत 22.96 मिलियन एसडीआर (32.87 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समतुल्य) (2.48 मिलियन एसडीआर भारत सरकार से देय) विश्व बैंक से बकाया राशि के रूप में दर्शाया है। बैंक ने 32.87 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि हैज कर ली है।

15.6 जुलाई 15 - जून 16 की अवधि के दौरान, बैंक ने संविदाओं की परिपक्वता पर 1.28 करोड़ रुपये का लाभ समायोजित करने के बाद 'वायदा विनिमय संविदाओं के पुनर्मुल्यांकन पर हानि/(लाभ)' शीर्ष के तहत लाभ एवं हानि लेखा में 10.81 करोड़ रुपये (निवल) की वायदा विनिमय संविदाओं पर लाभ दर्ज किया है।

16. कर्मचारियों के लाभ - एएस 15 (संशोधित 2005)

16.1 बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी संशोधित एएस-15 (संशोधित 2005) के अनुसार अपने स्थायी कर्मचारियों के लिये उपदान, अवकाश नकदीकरण, चिकित्सा, सेवा निवृत्ति लाभों, रुग्णता अवकाश, अवकाश यात्रा रियायत और पेंशन के लिये बीमांकिक आधार पर कर्मचारी लाभ हेतु अपनी देयता की व्यवस्था की है।





- 16.2 बैंक, अपने उन कर्मचारियों, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक से प्रतिनियुक्ति आधार पर बैंक में कार्य कर रहे, के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक को भविष्य निधि का अपना अंशदान हस्तांतरित कर रहा है। दिनांक 30 जून, 2016 को समाप्त वर्ष के दौरान, बैंक ने भविष्य निधि में अंशदान के लिए 0.06 करोड़ रु. अदा किया है और उसे "कर्मचारी के वेतन, भत्ते और सीमांत लाभ" शीर्ष के तहत लाभ और हानि लेखा में प्रभारित किया गया है।
- 16.3 राष्ट्रीय आवास बैंक (अधिकारी) पेंशन विनियम, 2003 के अनुसार, बैंक उन सभी अधिकारियों, जिन्होंने पेंशन का विकल्प दिया है, को शामिल करते हुए एक परिभाषित लाभ सेवानिवृत्ति योजना, पेंशन की व्यवस्था करता है। यह योजना कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति अथवा सेवा छोड़ने के समय सेवा विनियमों के अनुसार एक मासिक पेंशन भुगतान की व्यवस्था करती है। इस योजना का प्रबंधन एक पृथक न्यास द्वारा किया जाता है और उसके लिये देयता तारीख बैंक के मासिक अंशदान के अतिरिक्त वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मानी जाती है यथा 30 जून, 2016 बैंक ने कोष में 0.79 करोड़ का मासिक योगदान दिया है।
- 16.4 जिन अधिकारियों ने बैंक की सेवा 1 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद शुरू की उन पर 1 परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी जिसका संचालन केन्द्र सरकार के अधिकारियों के लिए 1 जनवरी, 2004 से लागू अंशदायी पेंशन योजना और समय-समय पर यथा संशोधित, के प्रावधानों के अनुसार होगा। वर्ष के दौरान इस योजना के तहत कर्मचारियों ने 0.28 करोड़ रु. का अंशदान किया है और बैंक ने भी इसी के समतुल्य राशि का अंशदान किया है।
- 16.5 परिभाषित लाभ दायित्व: यथा 30 जून, 2016 को कर्मचारियों को देय उपदान, अवकाश नकदीकरण, चिकित्सा सेवा निवृत्ति लाभ, रुग्णता अवकाश, अवकाश यात्रा रियायत और पेंशन। दायित्व जहां भी आवश्यक होगा सीमांकित मूल्यांकन पर लेखांकन
- क) बीमांकिक परिकलन में प्रयुक्त विधि : बीमांकिक ने मृत्यु और सेवा सहित योजना की देयताओं का निर्धारण करने के लिये प्रक्षेपित इकाई जमा विधि का प्रयोग किया है।
- ख) तुलन-पत्र तारीख में प्रधान बीमांकित मान्यताओं का प्रयोग किया गया है:

परिभाषित लाभ	उपदान	अवकाश नकदीकरण	चिकित्सा	रुग्णता अवकाश	अवकाश यात्रा रियायत	पेंशन
बट्टा दर	7.60% प्र.व.					
वेतन वृद्धि दर	10% प्र.व.	10% प्र.व.	लागू नहीं	10% प्र.व.	लागू नहीं	10% प्र.व.
योजना आस्तियों पर संभावित	लागू नहीं	8% प्र.व.				
मर्त्यता दर	इंडियन एश्योर्ड लाइव्स मॉर्टैलिटी (आईएएलएम) (2006-08) (संशोधित)					



ग) प्रत्येक में से निम्नलिखित के लिए अधिरोपित अवधि के दौरान परिभाषित लाभ दायित्व एवं प्रभावों के वर्तमान मूल्य के अथशेष एवं इतिशेष का मिलान:

(करोड़ ₹ में)

लाभ दायित्वों में परिवर्तन	उपदान	अवकाश नकदीकरण**	चिकित्सा	रुग्णता अवकाश**	अवकाश यात्रा रियायत**	पेंशन
वर्ष के प्रारंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	28,069,051	-	8,569,023	-	-	299,372,248
वर्तमान सेवा लागत	3,030,434	-	-	-	-	9,989,661
ब्याज लागत	2,081,906	-	629,542	-	-	21,681,379
पूर्व सेवा लागत	-	-	-	-	-	-
दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	23,960,776	-	795,740	-	-	32,206,119
प्रदत्त लाभ	(6,769,773)	-	(997,849)	-	-	(18,783,155)
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	50,372,394	-	8,996,457	-	-	344,466,251


घ) योजना आस्तियों का निवेश ब्यौरा:

बैंक ने 30 जून, 2016 की स्थिति के अनुसार देयता का निधियन नहीं किया है। इसीलिए पेंशन दायित्व के अतिरिक्त, जिसका प्रबंधन एक पृथक न्यास द्वारा किया जाता है, आस्तियों का कोई उचित मूल्य नहीं है।

ङ) लाभ तथा हानि विवरण में मान्य योजना संपत्ति राशि में परिवर्तन

(करोड़ ₹ में)

परिभाषित लाभ	उपदान	अवकाश नकदीकरण**	चिकित्सा	रुग्णता अवकाश**	अवकाश यात्रा रियायत**	पेंशन
वर्ष के प्रारंभ में योजना आस्ति का उचित मूल्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	295,480,724
योजना आस्तियों पर संभावित लाभ	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	23,638,458
बीमांकित लाभ/(हानि)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	8,372,333
प्रदत्त लाभ	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(18,783,155)
नियोक्ता का अंशदान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	6,879,910
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	315,588,270





वार्षिक रिपोर्ट 2015-16

च) तुलन पत्र में मान्य राशि

(करोड़ ₹ में)

परिभाषित लाभ	उपदान	अवकाश नकदीकरण**	चिकित्सा	रुग्णता अवकाश**	अवकाश यात्रा रियायत**	पेंशन
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	50,372,394	-	8,996,457	-	-	344,466,251
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	315,588,270
वित्त पोषित घाटे (सरप्लस)	50,372,394	-	8,996,457	-	-	28,877,981
अमान्य बीमांकिक लाभ/हानि	-	-	-	-	-	-
तुलन पत्र में मान्य निवल दायित्व / (आस्ति)	50,372,394	-	8,996,457	-	-	28,877,981

छ) लाभ और हानि लेखा विवरण में मान्य राशि

करोड़ ₹ में

परिभाषित लाभ	उपदान	अवकाश नकदीकरण**	चिकित्सा	रुग्णता अवकाश**	अवकाश यात्रा रियायत**	पेंशन
वर्तमान सेवा लागत	3,030,434	-	-	-	-	9,989,661
ब्याज लागत	2,081,906	-	629,542	-	-	21,681,379
पूर्व सेवा लागत	-	-	-	-	-	-
योजना आस्तियों पर संभावित लाभ	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(23,638,458)
बीमांकिक (लाभ)/हानि	23,960,776	-	795,740	-	-	23,833,786
व्यय/(आय)	29,073,116	-	1,425,282	-	-	31,866,368
पूर्व कर्मचारियों द्वारा अंशदायी राशि		-	-	-	-	-
लाभ और हानि लेखा विवरण में मान्य व्यय/(आय)	29,073,116	-	1,425,282	-	-	31,866,368

**इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इण्डिया द्वारा जारी लेखांकन मानक 15 (संशोधित) के अनुच्छेद 132 के अनुसार अन्य दीर्घकालिक लाभों के लिये किसी विशेष प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।



17. वर्ष 1991 – 92 का प्रतिभूति लेनदेन

- 17.1 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार बैंक को 236.78 करोड़ रुपयों की राशि भारतीय स्टेट बैंक (पूर्व में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र) से प्राप्त हुई। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने पर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष अदालत के निर्णय को पूर्णतया रद्द कर दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार राष्ट्रीय आवास बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक को 0.26 करोड़ रुपये की लागत के साथ-साथ 236.78 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया एवं अभिरक्षक, विशेष अदालत के पास ब्याज के साथ 94.20 करोड़ रुपये की वापसी के लिए अपना दावा दर्ज किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिरक्षण की रिपोर्ट को खारिज कर दिया तथा आदेश जारी किया कि “अभिरक्षण द्वारा यह रिपोर्ट फाइल करने का तथा उनके द्वारा रिपोर्ट में किए गए दावों पर राहत की इच्छा करने का कोई औचित्य नहीं है। यदि रा.आ. बैंक फ़ैसले में तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश में राहत चाहते हैं तो उन्हें अलग से आवेदन करने की स्वतंत्रता है।” बैंक द्वारा इस संबंध में सीधे विशेष अदालत में आवेदन दाखिल किया गया है।
- 17.2 रा.आ.बैंक और एसबीआई तथा रा.आ.बैंक और ग्रिंडलेज बैंक (अब स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ समामेलित) के बीच का विवादों इस समझ पर निपटारा हुआ था कि एसबीआई और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक द्वारा उनके पक्ष में विशेष न्यायालय में पारित बिक्री के अनुसार स्वर्गीय हर्षद मेहता की आस्तियों के कानूनी वारिसों से वसूल की जाने वाली किसी भी राशि की भागीदारी सहमत्य तरीके से रा.आ.बैंक के साथ की जाएगी और उसका हिसाब वास्तविक प्राप्ति पर रखा जाएगा।
- 17.3 30 अक्टूबर, 2002 को भारतीय स्टेट बैंक और राष्ट्रीय आवास बैंक के बीच हुए समझौते की शर्तों के अनुसार, विविध याचिका सं. 63/1992 में यदि कोई वसूली हो, तो उसका बंटवारा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा यथा निर्धारित अनुपात में भारतीय स्टेट बैंक और राष्ट्रीय आवास बैंक के बीच होना था। डिक्री की मूल राशि अर्थात् विविध याचिका सं. 63/1992 में 706.97 करोड़ रु० का पूरा भुगतान हो चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बटवारा की राशि का निर्धारण कर दिया है तथा भारतीय स्टेट बैंक को 706.97 करोड़ रुपयों की राशि का बटवारा बराबर अनुपात में खर्चों तथा मुकदमेबाजी की लागत को छोड़कर करने का दिशा-निर्देश दिया है। रा.आ.बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित राशि तथा उस पर ब्याज का भुगतान भारतीय स्टेट बैंक से नहीं प्राप्त हुआ है।
- 17.4 रा.आ.बैंक और एस.सी.बी के बीच करार के अनुसार, कथोक्त डिक्री में एससीबी के द्वारा निर्माचित राशि को शेयर करने करने के लिए भी रा.आ.बैंक को अधिकार दिया गया। यह राशि उसी अनुपात में बंटेगी जिस अनुपात में एससीबी के द्वारा राशि प्राप्ति के बाद रा.आ.बैंक और एससीबी के बीच 1645.87 करोड़ की राशि बंटी थी। 1995 के वाद सं. 28 में इसके के पक्ष में पारित डिक्री में 506.54 रु. के मूलधन राशि में से स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के पक्ष में परिरक्षक के द्वारा 345.76 करोड़ की राशि भी निर्माचित की गई। ये राशियां मूल प्राप्तियों पर गणना की जाएगी।


18. खंड सूचना

बैंक के परिचालनों में प्रमुख रूप से केवल एक खंड अर्थात् वित्तीय कार्यकलाप समाविष्ट है। इसलिए, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी “खंड सूचना” पर लेखाकन मानक (एएस-17) के अनुसार सूचित करने योग्य कोई पृथक खंड नहीं है।

19. संबद्ध पार्टी प्रकटीकरण

क) संबद्ध पक्षों की सूची

- प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारी : श्री मोहम्मद मुस्तफा एवं श्री श्रीराम कल्याणरामन
- इंडिया मॉर्टगेज गारंटी कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड (आईएमजीसी)





ख) संबद्ध पक्षों से लेनदेन

पार्टी का नाम	संबंध की प्रकृति	लेनदेन की प्रकृति	वर्ष के दौरान राशि का लेनदेन	यथा 30 जून, 2016 को बकाय
श्री श्रीराम कल्याणरामन (13.07.2015 से)	प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारी प्रबंध निदेशक तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी	पारिश्रमिक एवं लाभों सहित अनुलाभ	0.38 करोड़ रु०	शून्य
श्री मोहम्मद मुस्तफा (12.07.2015 तक)	प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारी— अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	पारिश्रमिक एवं लाभों सहित अनुलाभ	शून्य	शून्य
आईएमजीसी	शेयर पूंजी में पर्याप्त ब्याज	ईक्विटी पूंजी योगदान	5.70 करोड़ रु०	76.00 करोड़ रु०

*अन्य प्रतिपूर्ति छोड़कर

एएस-18 के "संबद्ध पक्ष प्रकटीकरण" के अर्थ के अनुसार क्योंकि बैंक राज्य नियंत्रित उद्यम है, अन्य राज्य नियंत्रित उद्यमों के साथ संबद्ध और ऐसे उद्यमों के साथ लेनदेन का ब्यौरा नहीं दिया गया है।

20. आयकर

निर्धारण वर्षों (एवाई) 2003 - 04 से 2006-07, 2008 - 09 और 2009 - 10 हेतु आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के तहत बैंक के दावे की अस्वीकृति के संबंध में आय कर विभाग द्वारा लगाए गए जुर्मानों के लिए 130.56 करोड़ रु० की अतिरिक्त मांग की गई, निर्धारण वर्ष 2003 - 04 हेतु 150.45 करोड़ रु० की व्यापार हानि की अस्वीकृति और निर्धारण वर्ष 2010 - 11 हेतु 91.05 करोड़ रु० की अतिरिक्त मांग जो अनिवार्य परिवर्धनों और अस्वीकृतियों के कारण थी, का भुगतान कर दिया गया है और उस पर विवाद जारी है।

प्रबंधन इसके द्वारा प्राप्त की गई कानूनी राय को ध्यान में रखकर यह आवश्यक नहीं समझता कि इस संबंध में कोई प्रावधान बनाया जाए।

21. आस्थगित कर

यथा 30 जून, 2015 को, बैंक ने 289.35 करोड़ रु० की निवल आस्थगित कर देयता (डीटीएल) दर्ज की है। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं की संरचना नीचे दी गई है :

(करोड़ ₹ में)

क्रम सं.	विवरण	30 जून, 2016	30 जून, 2015
आस्थगित कर आस्तियां:			
1	सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा सहायता के लिए	0.31	0.29
2	अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान	1.47	1.11
3	उपदान के लिए प्रावधान	1.74	0.97
4	अवकाश यात्रा रियायत के लिए प्रावधान	0.49	0.34
5	परिभाषित योगदान पेंशन योजना	0.02	0.09
कुल आस्थगित कर आस्तियां (क)		4.03	2.80
आस्थगित कर देयताएं			
1	मूल्यहास	5.97	3.41
2	आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अधीन विशेष आरक्षित निधि	287.41	217.75
कुल आस्थगित कर देयताएं (ख)		293.38	221.16
निवल आस्थगित कर देयता (ख-ग)		289.35	218.36



22. गृह ऋण लेखा योजना

- 22.1 रा.आ.बैंक द्वारा पूरे देश में दिनांक 1 जुलाई, 1989 से गृह ऋण लेखा योजना (एचएलएएस) प्रारंभ की गई थी और इसे अनुसूचित बैंकों और आवास वित्त कंपनियों के माध्यम से प्रचालित किया गया था। एचएलएएस दिनांक 01 मार्च, 2004 से समाप्त कर दी गई है।
- 22.2 रा.आ.बैंक द्वारा प्राप्त की गई सूचना के अनुसार बैंकों/आ.वि. कंपनियों के अधीन 2.03 करोड़ रु0 की जमा राशियां धारित हैं और उक्त तुलन पत्र में दुतरफा प्रविष्टि के तौर पर दर्शायी गई हैं।
- 22.3 निजी क्षेत्र में आवास कंपनी, इंडिया हाउसिंग फाइनेंस एंड डेवलपमेंट लिमिटेड, जो एचएलएएस के अधीन जमा राशियां जुटाने के लिये प्रतिभागी आवास वित्त कंपनी (एचएफसी) में से एक था, को उसके द्वारा सामना की गई गंभीर वित्तीय समस्याओं के कारण दिनांक 01.10.1994 से रा.आ.बैंक द्वारा एचएलएएस के अधीन नये खाते नहीं खोलने / नई जमा राशियां स्वीकार नहीं करने का सुझाव दिया था। योजना के अधीन रा.आ.बैंक के प्रदान होने के कारण वह खाताधारकों को उनके बकाया का भुगतान करने की देयता पूरी करने के लिए बाध्य था। बैंक ने एचएलएएस के अधीन आईएचएफडी के सत्यापन योग्य दावेदारों के विरुद्ध 0.49 करोड़ रु0 करोड़ की प्रारंभिक देयता का निर्धारण किया और वर्ष 2004 – 05 में समान राशि का प्रावधान किया। अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार, दिनांक 30 जून, 2016 तक 0.27 करोड़ रु0 की वापसी के दावों का भुगतान किया गया और शेष 0.22 करोड़ रु0 की राशि उस तारीख की यथा स्थिति देयता के रूप में मौजूद थी।

23. अन्य व्यय


लाभ और हानि लेखा में प्रदर्शित अन्य व्यय के आंकड़े निम्नानुसार हैं:

(करोड़ ₹ में)

विवरण	2015-16	2014-15
1. मरम्मत और अनुरक्षण	2.48	1.76
2. अनुसंधान और विकास	0.03	0.00
3. सेवा कर व्यय	0.61	0.43
4. पूर्वावधि व्यय	0.04	0.06
5. वाहन व्यय	0.95	0.51
6. व्यावसायिक शुल्क	0.29	0.36
7. सम्मेलन व्यय	0.27	0.02
8. आतिथ्य व्यय	0.02	0.04
9. सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी सेवाओं पर व्यय	1.68	1.48
10. बाहर से ली गई सेवाओं के लिए भुगतान	2.58	1.77
11. सुरक्षा सेवा व्यय	1.05	1.06
12. अन्य	5.50	4.69
कुल	15.50	12.18

24. निवेश उतार – चढ़ाव आरक्षित निधि खाता

वित्तीय संस्थानों के लिए निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन एवं प्रचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार, किसी वर्ष में बिक्री वर्ग की उपलब्धता में मूल्यहास के खाते में प्रावधान बनाया जाना आवश्यक है, उसे लाभ हानि खाते के नामे किया जाना चाहिए एवं समतुल्य राशि (करों का निवल) अथवा निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि (आईएफआर) खाते में उपलब्ध शेष जो भी कम हो उसे निवेश उतार चढ़ाव आरक्षित निधि खाते से लाभ हानि खाते में अंतरित किया जाएगा। बिक्री वर्ग हेतु उपलब्ध में मूल्यहास के कारण बनाये गये प्रासंगिक प्रावधानों में किसी वर्ष में अपेक्षित राशि से अधिक पाये जाते हैं तो अतिरिक्त राशि को लाभ हानि खाते में जमा की जाती है एवं समतुल्य राशि (करों का निवल, यदि कोई है) को निवेश उतार – चढ़ाव आरक्षित निधि खाते में विनियोजित किया जाता है। वर्ष के दौरान आईएफआर को राशि का स्थानान्तरण नहीं किया गया तथा 30 जून, 2016 तक 20.08 करोड़ रुपयों का शेष बकाया है।





25. आस्तियों की हानि

प्रबंधन की राय में, लेखांकन मानक 28 – आस्तियों की हानि के अनुसार बैंक की किसी स्थायी परिसंपत्ति की कोई हानि नहीं हुई है।

26. निवेश का वर्गीकरण

26.1 जैसा वर्णित है, निवेश को "व्यापार के लिए धारित", "बिक्री के लिए धारित" और "परिपक्वता के लिए धारित" श्रेणियों में निम्नांकित ब्यौरे के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है :

(करोड़ ₹ में)

निवेश की श्रेणियां	निवेश	30 जून, 2016 को यथास्थिति	30 जून, 2015 को यथास्थिति
परिपक्वता के लिए धारित (एचटीएम)	क) भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	55.75	56.15
	ख) गौण बॉण्ड	5.00	15.00
	उप-जोड़	60.75	71.15
बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)	क) भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	161.29	0.00
	ख) राजकोशीय बिल	2,585.28	2,531.00
	ग) आवास वित्त संस्थानों के शेयर	24.51	19.52
	घ) अन्य संस्थानों के शेयर #	77.00	71.30
	ड) भवन सामग्री कंपनी	0.53	0.53
	च) म्यूचुअल फंड	0.00	250.00
	उप-जोड़	2,848.61	2,872.35
	सकल निवेश	2,909.36	2,943.50
घटाएं :	मूल्यहास	0.53	0.53
	निवल निवेश	2,908.83	2,942.97

अन्य संस्थानों के शेयरों में निवेश प्रदर्शित करता है कि इंडिया मॉर्टगेज गारंटी कोरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड (आईएमजीसी) की ईक्विटी पूंजी में 12.02.2016 को 5.70 करोड़ ₹ का निवेश किया गया।

26.2 उपरोक्त के अतिरिक्त, बैंक ने एआरडीबी के विशेष ग्रामीण आवास डिबेंचरों के लिए भी अभिदान दिया है और यथा 30 जून, 2016 को बकाया अभिदान शून्य करोड़ (पिछले वर्ष 8.03 करोड़ ₹.) है।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुवर्ती, कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों को इन एजेंसियों के द्वारा विशेष ग्रामीण आवास डिबेंचरों (एसआरएचडी) के लिए अभिदान के माध्यम से उपलब्ध कराया गया पुनर्वित्त, निम्नलिखित के अनुसार जारी किया जाए:

- क) निवेश के तौर पर वर्गीकृत और अनुसूची – x में 'स्टॉक, शेयर, बांड, डिबेंचर और अन्य संस्थानों की प्रतिभूतियां शीर्ष के तहत प्रदर्शित, जो यहां तक अनुसूची – xi में 'पुनर्वित्त' के एक भाग के तौर पर दर्शाया गया था।
- ख) उक्त पर अर्जित निवेश लाभ और हानि लेखा में 'ऋण एवं अग्रिम पर प्राप्त ब्याज' के एक भाग के तौर पर दर्शाया गया है, उन्हें 'संभावित अग्रिमों' के तौर पर समझा जाए।
- ग) आय की पहचान, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण, पूंजी की पर्याप्तता और अनुपातों की गणना के उद्देश्य हेतु संभावित अग्रिम आदि।



27. आकस्मिक देयता

लेखांकन मानक एएस – 29 में यथापेक्षित आकस्मिक देयता में घट – बढ़ निम्नानुसार है :
(करोड़ ₹ में)

विवरण	30 जून, 2016	30 जून, 2015
01 जुलाई को यथास्थिति अथशेष	32.08	54.10
अवधि के दौरान वृद्धि	31.55	0.06
वर्ष के दौरान कमी	0.00	(22.08)
यथा 30 जून को इतिशेष	63.63	32.08

28. ग्रामीण आवास निधि

वर्ष 2008 – 09 के लिए बजट पेश करते समय माननीय वित्त मंत्री द्वारा ग्रामीण आवास निधि के गठन की घोषणा के अनुसार, ग्रामीण आवास निधि को स्थापित किया गया। यह निधि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उनके प्राथमिकता क्षेत्र ऋण बाध्यता को प्राप्त नहीं कर पाने हेतु सहयोग के तौर पर स्थापित की गई। राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा ग्रामीण आवास क्षेत्र में इसके पुनर्वित्त प्रचालनों को बढ़ाने के लिए निधि का गठन किया गया। 30 जून, 2016 तक बैंक ने इस निधि के तहत कुल 26,778.18 करोड़ ₹ की राशि प्राप्त की है इस कोष के अंतर्गत तथा 30 जून, 2016 तक बकाया शेष 25,017.00 करोड़ रुपए है। उक्त को अनुसूची-V (जमाएं) में "शहरी आवास निधि के अंतर्गत बैंकों से जमाएं" के अंतर्गत दर्शाया गया है।

29. शहरी आवास निधि

वर्ष 2013 – 14 के दौरान, भारतीय रिजर्व बैंक के आबंटन के अनुसार 2000 करोड़ ₹ की राशि के साथ अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के योगदान से राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ इसके संसाधनों में वृद्धि करने एवं ऋण उपलब्धता में सुधार लाने के लिए शहरी आवास निधि स्थापित की गयी थी। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक के आवंटनानुसार, वर्ष 2014-15 के लिए 4000 करोड़ रुपये का शहरी आवास कोष की स्थापना की गई। यह निधि शहरी आवास निधि के लिए पुनर्वित्त कार्यक्रमलाप को बढ़ाने में सहायक होगी तथा शहरी क्षेत्रों में रहने वाले कम आय वाले खण्ड में आने वाले लोगों के लिए उनकी आवंटन की जरूरत पूरा करने में भी सहायक होगी। 30 जून, 2016 तक, बैंक ने 6000 करोड़ रुपयों की राशि प्राप्त की है तथा उक्त को अनुसूची V –(जमाएं) में "शहरी आवास निधि" के अंतर्गत बैंकों से जमाएं" के अंतर्गत दर्शाया गया है।

30. जीरो कूपन बॉण्ड

वर्ष 2008 – 09 में, बैंक ने 453.39 करोड़ ₹ के बट्टा मूल्य सहित 1,050 करोड़ ₹ के अंकित मूल्य के शून्य (जीरो) कूपन बॉण्ड (जेडसीबी) जारी किए थे। ये बॉण्ड दस वर्ष की अवधि हेतु जारी किए गए थे। बट्टे को बॉण्ड की अवधि में शोधित किया गया है। 30 जून 2016 को समाप्त वर्ष के दौरान 59.79 करोड़ ₹ की बट्टा राशि शोधित की गई है। यथा 30 जून, 2016 को बट्टा अशोधित शेष 152.62 करोड़ ₹ है (यथा 30 जून 2015 को 212.41 करोड़ ₹)।

31. ऋण एवं अग्रिम


51,823.07 करोड़ ₹. (सकल) के कुल मुख्य बकाया ऋणों और अग्रिमों में से 13,364.49 करोड़ राशि के ऋण एवं अग्रिम कर्ज बहियों पर प्रभार, सरकारी गारंटी, बैंक गारंटी, अचल परिसंपत्तियों पर साम्यिक बंधक, चल परिसंपत्तियों का दृष्टिबंधक और बैंक जमाओं पर धारणाधिकार के द्वारा रक्षित है। 38,458.58 करोड़ राशि के ऋण एवं अग्रिम अप्रतिभूकृत हैं जिसमें से 14,443.19 करोड़ नकारात्मक धारणाधिकार के अंतर्गत कवर है।

32. कर मुक्त बॉण्ड

राष्ट्रीय आवास बैंक ने कर मुक्त बॉण्ड जारी कर, उसपर प्रीमियम को हटाकर 4,640.13 करोड़ ₹ (2012-13 में 640.13 करोड़ ₹. और 2013-14 में 4,000 करोड़ ₹.) की कुल राशि संग्रहित की है। ये बॉण्ड रा.आ.बैंक के खास बही कर्जों पर समगति मात्रा अस्थिर प्रथम प्रभार के तरीके से रक्षित हैं। 30 जून, 2016 की यथा स्थिति के अनुसार कर मुक्त बॉण्ड हेतु प्रतिभूति के रूप में दिए दृष्टिबंधक आस्तियों का मूल्य 5,208.82 करोड़ रुपए था।

33. सेबी (सूचीबद्ध दायित्व तथा आवश्यक प्रकटीकरण) नियम, 2015 के अंतर्गत प्रकटीकरण

- क. क्रेडिट रेटिंग – एएए/क्रिसिल द्वारा स्थिर रेटिंग, ए1+आईसीआरए द्वारा
- ख. उपलब्ध संपत्ति कवर – 100%





वार्षिक रिपोर्ट 2015-16

- ग. ऋण इक्विटी अनुपात – 8.20 गुना
घ. ऋण सेवा कवर अनुपात – 1.69 गुना
ड. ब्याज सेवा कवर अनुपात – 1.43 गुना
च. निवल संपत्ति – 6,180 करोड़ रुपए
छ. कर पश्चात निवल लाभ – 792 करोड़
ज. प्रति शेयर आय – लागू नहीं
झ. गैर परिवर्तनीय दिसंबर के लिए देय ब्याज हेतु पूर्व की अंतिम तिथियां तथा उनका भुगतान किया गया अथवा नहीं भुगतान किए गए ब्याज का विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र.स.	बॉण्ड का नाम.	आबंटन तारीख	ब्याज दर	राशि	अंतिम ब्याज भुगतान तिथि
1.	8.05% एसएस पीएस बॉण्ड 1997-98	31-मार्च-98	11.12%	43,50,00,000.00	10- जून -16
2.	8.05% एसएस पीएस बॉण्ड 1998-99	10-फरवरी-99	11.12%	64,10,00,000.00	10- जून -16
3.	12.10% एसएस पीएस बॉण्ड 1999-00	16-दिसंबर-99	9.79%	94,60,00,000.00	10- जून -16
4.	9.75% एसएस पीएस बॉण्ड (एकजिम बीके-II)	28-मार्च-02	9.45%	68,50,00,000.00	10- मार्च -16
5.	जेडसीबी सुमेरू – 24.12.2018	24-दिसंबर-08	8.65%	645,06,43,160.00	लागू नहीं
6.	जेडसीबी सुमेरू – 31.03.2019	31-मार्च-09	9.03%	252,31,44,747.00	लागू नहीं
7.	7.19% एनएचबी कर मुक्त बॉण्ड 2022 एनएचबी कर मुक्त श्रृंखला -I	14-दिसंबर-12	7.19%	126,00,00,000.00	14- दिसंबर -15
8.	7.17% एनएचबी कर मुक्त बॉण्ड 2023 श्रृंखला -II	1-जनवरी-13	7.17%	110,00,00,000.00	1- जनवरी -16
9.	6.87% एनएचबी कर मुक्त बॉण्ड 2023 श्रृंखला -III	6-फरवरी-13	6.87%	125,00,00,000.00	6- फरवरी -16
10.	6.89% एनएचबी कर मुक्त बॉण्ड 2023 श्रृंखला IV	22-मार्च-13	6.89%	82,90,00,000.00	22- मार्च -16
11.	6.82% एनएचबी कर मुक्त बॉण्ड सार्वजनिक इश्यू 2012-13	26-मार्च-13	6.82%	196,23,30,000.00	26- मार्च -16
12.	8.01% एनएचबी कर मुक्त बॉण्ड 2023 श्रृंखला -V	30-अगस्त-13	8.01%	17,00,00,000.00	30- अगस्त -15
13.	8.46% एनएचबी कर मुक्त बॉण्ड 2028 श्रृंखला -V	30-अगस्त-13	8.46%	883,00,00,000.00	30- अगस्त -15
14.	एनएचबी कर मुक्त बॉण्ड 2014 श्रृंखला -I	13-जनवरी-14	8.26% to 9.01 %	2100,00,00,000.00	13- जनवरी -16
15.	एनएचबी कर मुक्त बॉण्ड 2014 श्रृंखला -II	24-अगस्त-14	8.25% to 8.93%	1000,00,00,000.00	28- मार्च -16
16.	8.20% एनएचबी बॉण्ड	18-फरवरी-15	8.20%	375,00,00,000.00	18- फरवरी -16
17.	8% एनएचबी बॉण्ड	10-अप्रैल-15	8.00%	500,00,00,000.00	11- अप्रैल -16
18.	8.24% एनएचबी बॉण्ड	8-अगस्त-16	8.24%	1000,00,00,000.00	लागू नहीं
19.	7.92% एनएचबी बॉण्ड	21-अगस्त-16	7.92%	1850,00,00,000.00	लागू नहीं
20.	7.56% एनएचबी बॉण्ड	20-अप्रैल-16	7.56%	1000,00,00,000.00	लागू नहीं
			कुल	10,533,21,17,907	

सभी बॉण्ड नियत दिनांक पर सेवित कर दिया गया है।



34. डिबेंचर न्यासी

29 अक्टूबर, 2013 के सेबी के परिपत्र के अनुसार राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा जारी विविध बॉण्ड हेतु डिबेंचर न्यासी (यों) का संपर्क विवरण नीचे दिए अनुसार है—

कर—मुक्त बॉण्ड हेतु डिबेंचर न्यासी—
अनुपालन अधिकारी
आईएल एण्ड एफएस ट्रस्ट कंपनी लि.
द आईएल एण्ड एफएस फाइनेंसियल सेंटर
प्लॉट सं. सी-22, जी ब्लॉक,
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स
बांद्रा (पू.), मुंबई 400051
फोन: 91 22 2659 3612
फैक्स: 91 22 2653 3297
ईमेल: itcl@iflindia.com
वेब: www.itclindia.com

अन्य बॉण्ड हेतु डिबेंचर न्यासी—
अनुपालन अधिकारी
आईडीबीआई ट्रस्टशिप सर्विसेज लिमिटेड
एशियन बिल्डिंग, भूतल
17. आर.कमानी मार्ग बलार्ड एस्टेट
मुंबई महाराष्ट्र - 400001
भारत
फोन: 91 022 40807000
फैक्स: 91 022 66311776
ईमेल: itsl@idbitrustee.com
वेब: www.idbitrustee.com


35. सामान्य निधि के साथ विशेष निधि का समेकन

35.1 स्वैच्छिक जमा (प्रतिरक्षा और छूट) अधिनियम, 1991 राष्ट्रीय आवास बैंक के पास स्वैच्छिक जमा करने वाले व्यक्तियों को प्रत्यक्ष कर की कतिपय प्रतिरक्षा और छूट तथा ऐसी राशियों के संबंध में प्रत्यक्ष करों से छूट प्रदान करने के उद्देश्य से पारित किया गया था। स्वैच्छिक जमा स्कीम के अधीन संग्रहित राशि विशेष रूप से गंदी बस्ती की सफाई और गरीबों के लिए निम्न लागत वाले आवास के वित्तपोषण के प्रयोजनार्थ एक विशेष निधि में रखना अपेक्षित है। राष्ट्रीय आवास बैंक (गंदी बस्ती सुधार और निम्न लागत आवास निधि) विनियम, 1993 के अनुसार दिनांक 30 जून को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा और उस तारीख को तुलन पत्र विशेष निधि के संबंध में प्रत्येक वर्ष तैयार किया जाना और राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 40 (1) के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों के द्वारा उसे लेखा परीक्षित कराना अपेक्षित है।

35.2 तदनुसार, राष्ट्रीय आवास बैंक (गंदी बस्ती विकास और निम्न लागत आवास निधि) विनियम, 1993 के प्रावधानों के अनुसार विशेष निधि का लाभ और हानि लेखा और तुलन पत्र तैयार किया गया है तथा यह इन वित्तीय विवरणों के अनुबंध के रूप में संलग्न है। विशेष निधि में रखा शेष बैंक के समेकित तुलनपत्र में "प्रारक्षित तथा सरप्लस" शीर्ष के तहत समाविष्ट है। विशेष निधि की विभिन्न आस्तियों और देयताओं को भी संबंधित शीर्षों के तहत समेकित तुलनपत्र में समूहबद्ध किया गया है।

36. पुनः समूहीकरण

जहां भी आवश्यक हुआ पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के आंकड़ों से तुलनीय बनाने के लिए पुनः समूहबद्ध किया गया है।





37. दिनांक 30 जून, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण

(करोड़ ₹ में)

विवरण	2015-16	2014-15
क) प्रचालन कार्यकलापों से रोकड़ प्रवाह		
लाभ और हानि लेखा के अनुसार शुद्ध लाभ	791.85	746.68
निम्नलिखित के लिए समायोजन:		
कर के लिए प्रावधान	366.89	358.00
धन कर के लिए प्रावधान	0.00	0.10
आस्थगित कर के लिए प्रावधान	70.98	57.05
स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्यहास	1.75	3.59
निवेशों पर मूल्यहास और परिशोधन व्यय	0.41	0.30
मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	35.89	18.10
अनर्जक परिसंपत्तियों/पुनर्गठित लेखा के लिए प्रावधान	(28.60)	6.03
वायदा विनिमय संविदाओं के पुनर्मूल्यांकन पर हानि/(लाभ)	11.96	(13.70)
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (vii) (सी) के तहत डूबंत ऋण हेतु प्रावधान	55.80	54.50
स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री पर (लाभ)/हानि	(0.13)	(0.01)
विदेशी जमा एवं उधारों के पुनर्मूल्यांकन पर (लाभ)/हानि	(5.86)	(53.30)
पुनरांकन के लिए अब प्रावधान अपेक्षित नहीं है	(0.80)	(0.47)
निवेशों से आय वायदा विदेशी मुद्रा संविदाएं	16.38	6.08
लाभ निवेशों से आय	(205.07)	(226.96)
म्यूचुअल फंड की खरीद और बिक्री पर	(44.12)	(9.08)
आवास वित्त कंपनियों की इक्विटी पर लाभांश	(1.67)	(1.37)
निवेश के बिक्री पर लाभ	(0.36)	(1.16)
(कार्यशील पूंजी परिवर्तन के पूर्व प्रचालन लाभ)	1,065.30	944.38
कार्यशील पूंजी के लिए समायोजन		
बैंकों के पास जमा में (वृद्धि)/कमी	(118.40)	201.07
ऋण और अग्रिम में (वृद्धि)/कमी	(8,806.77)	(4,811.69)
अन्य परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	424.39	281.73
वर्तमान देयताओं में वृद्धि / (कमी)	(171.48)	(400.67)
अदा किए गए कर के पूर्व प्रचालन कार्यकलापों से निवल रोकड़	(7,606.96)	(3,785.18)
घटाएं: अदा किया गया आय कर	(368.00)	(417.08)
असाधारण मदों के पूर्व प्रचालन कार्यकलापों से निवल रोकड़ प्रवाह	(7,974.96)	(4,202.26)
असाधारण मदें	0.00	0.00
असाधारण मदों के बाद प्रचालन कार्यकलापों से निवल रोकड़ प्रवाह (क)	(7,974.96)	(4,202.26)




ख) असाधारण मदों के पूर्व निवेश कार्यकलापों से रोकड़ प्रवाह		
स्थायी परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	(7.50)	(2.10)
निवेश में (वृद्धि)/कमी	41.76	(470.31)
निवेश से आय	205.07	226.96
म्यूचुअल फंड की खरीद और बिक्री पर लाभ	44.12	9.08
आवास वित्त कंपनियों की इक्विटी पर लाभांश	1.67	1.37
निवेश के बिक्री पर लाभ	0.36	1.16
असाधारण मदों के पूर्व निवेश कार्यकलापों से सृजित निवल रोकड़	285.48	(233.84)
असाधारण मदें	0.00	0.00
असाधारण मदों के बाद निवेश कार्यकलापों से सृजित निवल रोकड़ (ख)	285.48	(233.84)
ग) वित्तपोषण कार्यकलापों से रोकड़ प्रवाह		
शेयर पूंजी में वृद्धि	1,000.00	0.00
कर्मचारी कल्याण निधि के अधीन निवल आय	2.13	2.00
बांडों और डिबेंचरों में वृद्धि / (कमी)	1,703.76	(2,344.72)
जमा राशियों में वृद्धि / (कमी)	2,243.58	10,476.29
उधारों में वृद्धि / (कमी)	2,862.37	(3,732.32)
वित्तपोषण कार्यकलापों से सृजित निवल रोकड़ (ग)	7,811.84	4,401.25
रोकड़ और रोकड़ समतुल्य में निवल वृद्धि (क+ख+ग)	122.36	(34.85)
वर्ष के प्रारंभ में रोकड़ और रोकड़ समतुल्य	130.76	165.61
वर्ष के अंत में रोकड़ और रोकड़ समतुल्य	253.12	130.76
रोकड़ और रोकड़ समतुल्य हेतु अनुसूची		
विवरण	2015-16	2014-15
भारतीय रिजर्व बैंक में शेष	0.03	0.08
बैंक के चालू खाता में शेष	253.09	130.68
रोकड़ और रोकड़ समतुल्य	253.12	130.76

38. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अतिरिक्त प्रकटन

38.1 पूंजी:

विवरण	30.06.2016	30.06.2015
क. (i) जोखिम परिसंपत्ति अनुपात(सीआरएआर) हेतु	18.52%	15.75%
(ii) मुख्य सीआरएआर	17.27%	14.50%
(iii) पूरक सीआरएआर	1.25%	1.25%

ख. स्तर-2 पूंजी के रूप में जुटाया और बकाया गौण ऋण की राशि शून्य (पिछले वर्ष: शून्य)
ग. जोखिम भारित परिसंपत्तियां:





वार्षिक रिपोर्ट 2015-16

(करोड़ ₹ में)

विवरण	30.06.2016	30.06.2015
(i) तुलन पत्र मदों पर	35555.14	30198.67
(ii) तुलन पत्र मदों से अलग	226.49	93.37

घ. तुलन-पत्र की तारीख को शेषधारिता पैटर्न:
बैंक की पूंजी पूर्णतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अभिदत्त है

38.2 परिसंपत्ति गुणवत्ता और ऋण संकेन्द्रण:

च. निवल एनपीए निवल ऋण और अग्रिम की तुलना में प्रतिशतता: 0.00% (पिछला वर्ष 0.32%)

छ. निर्धारित परिसंपत्ति वर्गीकरण श्रेणियों के अधीन निवल एनपीए की राशि और प्रतिशतता:

(करोड़ ₹ में)

विवरण	30.06.2016		30.06.2015	
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
उप-मानक	0.00	0.00%	33.84	23.44%
संदेहास्पद	0.00	0.00%	110.53	76.56%
हानि	0.00	0.00%	0.00	0.00%
कुल	0.00	0%	144.37	100%

ज. वर्ष के दौरान किए प्रावधान की राशि:

(करोड़ ₹ में)

विवरण	30.06.2016	30.06.2015
- मानक परिसंपत्तियां	35.89	18.10
- आय कर अधिनियम, 1961 की धारा(1)(vii क) के अधीन अशोध्य ऋण	55.80	54.50
- अनुपयोज्य आस्तियां	(28.60)	6.03
- निवेश	0.41	0.30
- धन कर	0.00	0.10
- आय कर	366.89	358.00
- आस्थगित कर	70.98	57.05

झ. निवल एनपीए राशि :

(करोड़ ₹ में)

विवरण	2015-16	2014-15
अथ शेष	144.37	111.23
वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	0.00	33.84
वर्ष के दौरान कटौती	144.37	0.70
अंत शेष	0.00	144.37



ज. पूंजीगत निधियों के प्रतिशत और कुल परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में ऋण एक्सपोजर:

विवरण	30.06.2016		30.06.2015	
	पूंजी निधि का प्रतिशत	कुल अस्तियों का प्रतिशत	पूंजी निधि का प्रतिशत	कुल अस्तियों का प्रतिशत
- एकमात्र सबसे बड़ा ऋणी	67.89%	7.59%	73.39%	6.97%
- एकमात्र सबसे बड़ा ऋणी समूह	108.16%	2.09%	97.20%	9.22%
- 10 सबसे बड़े एकल ऋणी	507.29%	56.73%	557.85%	52.94%
- 10 सबसे बड़े ऋणी समूह \$	438.41%	49.3%	478.80%	45.44%

\$ रा.बा.बैंक के पास केवल आठ ऋणी समूह हैं

ट. कुल ऋण परिसंपत्तियों की प्रतिशत के रूप में पांच सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र को ऋण उद्भासन: लागू नहीं

38.3 चलनिधि:

ठ. रुपया परिसंपत्तियों और देयताओं का परिपक्वता पैटर्न

ड. विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों और देयताओं का परिपक्वता पैटर्न


(करोड़ ₹ में)

मद	1 वर्ष से कम अथवा समान	1 वर्ष से अधिक 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक 7 वर्ष तक	7 वर्ष से अधिक	कुल
रुपया परिसंपत्तियां	17,039.09	18,110.01	12,644.16	4,790.64	6,288.58	58,872.48
विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां	48.23	106.60	121.80	78.76	34.07	389.46
कुल	17,087.32	18,216.61	12,765.96	4,869.40	6,322.65	59,261.94
रुपया देयताएं	14,291.99	7,582.36	9,694.77	15,212.62	11,330.80	58,112.54
विदेशी मुद्रा देयताएं	117.47	316.66	305.56	132.99	276.72	1,149.40
कुल	14,409.46	7,899.02	10,000.33	15,345.61	11,607.52	59,261.94

पिछला वर्ष

(करोड़ ₹ में)

मद	1 वर्ष से कम अथवा समान	1 वर्ष से अधिक 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक 7 वर्ष तक	7 वर्ष से अधिक	कुल
रुपया परिसंपत्तियां	14,250.71	13,849.92	11,969.24	4,771.66	5,033.44	49,874.97
विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां	42.55	94.02	107.39	122.74	42.92	409.62
कुल	14,293.26	13,943.94	12,076.63	4,894.40	5,076.36	50,284.59
रुपया देयताएं	9,403.79	5,715.17	8,054.75	16,107.72	10,040.01	49,321.44
विदेशी मुद्रा देयताएं	141.82	233.37	268.78	190.62	128.56	963.15
कुल	9,545.61	5,948.54	8,323.53	16,298.34	10,168.57	50,284.59





वार्षिक रिपोर्ट 2015-16

38.4 प्रचालन परिणाम:

विवरण	2015-16	2014-15
ढ. औसत कार्यशील निधियों की प्रतिशतता के रूप में ब्याज आय	7.76%	8.12%
ण. औसत कार्यशील निधियों की प्रतिशतता के रूप में ब्याज रहित आय	0.10%	0.04%
त. औसत कार्यशील निधियों की प्रतिशतता के रूप में प्रचालन लाभ	2.43%	2.47%
थ. औसत परिसंपत्तियों पर अभिलाभ	1.48%	1.58%
द. प्रति कर्मचारी निवल लाभ (करोड़ रुपए में)	7.47	7.39

38.5 प्रावधानों में घट-बढ़ :

I. अनर्जक परिसंपत्तियों (ऋण परिसंपत्तियों) के लिए प्रावधान

(करोड़ ₹ में)

विवरण	2015-16	2014-15
जोड़ें: वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में अथशेष	79.60	73.57
घटाएं: वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	0.00	6.03
अधिशेष प्रावधान को बट्टे खाते डालना	28.67	0.00
वर्ष की समाप्ति पर अंतशेष	50.93	79.60

II. निवेश में मूल्यहास हेतु प्रावधान

(करोड़ ₹ में)

विवरण	2015-16	2014-15
जोड़ें: वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में अथशेष	0.53	0.53
i) वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	0.00	0.00
ii) वर्ष के दौरान निवेश घट-बढ़ रिजर्व लेखा से विनियोजन, यदि कोई है	0.00	0.00
घटाएं: i) वर्ष के दौरान बट्टे खाते डालना	0.00	0.00
ii) निवेश घट-बढ़ रिजर्व लेखा में विनियोजन, यदि कोई हो	0.00	0.00
वित्त वर्ष की समाप्ति पर अंतशेष	0.53	0.53

38.6 पुनर्गठित लेखा:

(करोड़ ₹ में)

विवरण	2015-16	2014-15
क) ऋण परिसंपत्तियों की कुल राशि	46.50	181.05
अवमानक परिसंपत्तियां	0.00	0.00
संदिग्ध परिसंपत्तियां	46.50	181.05




38.7 पुनर्गठित लेखा का विवरण:

(करोड़ ₹ में)

क्र.सं.	पुनर्गठन का प्रकार आस्ति वर्गीकरण विवरण	सीडीआर तंत्र के तहत			एसएसई ऋण पुनर्गठन तंत्र के तहत			अन्य			कुल					
		मानक	अव-मानक	कुल	मानक	अव-मानक	कुल	मानक	अव-मानक	कुल	मानक	अव-मानक	कुल			
1	वित्त वर्ष की 01 जुलाई को पुनर्गठित लेखा (प्रारंभिक आंकड़े)							0	0	4	0	0	4	0	0	4
	उधारकर्ताओं की संख्या															
	बकाया राशि							0	0	181.05	0	0	181.05	0	0	181.05
	उस पर प्रबंधन							0	0	72.41	0	0	72.41	0	0	72.41
2	वर्ष के दौरान नया पुनर्गठन							0	1	0	0	0	1	0	0	1
	उधारकर्ताओं की संख्या															
	बकाया राशि							0	37.50	0	0	37.50	0	37.5	0	37.5
	उस पर प्रबंधन							0	5.63	0	0	5.63	0	5.63	0	5.63
3	वित्त वर्ष के दौरान पुनर्गठित मानक श्रेणी का उन्मथन															
	उधारकर्ताओं की संख्या															
	बकाया राशि															
	उस पर प्रबंधन															
4	पुनर्गठित मानक अग्रिम निम्नलिखित वित्त वर्ष के समाप्त पर उच्चतर प्रावध. नीकरण और / अथवा अतिरिक्त जोखिम भार उल्लिखित करना बंद कर दिया है और इसीलिए आगे वित्त वर्ष के शुरु में पुनर्गठित मानक अग्रिम के तौर पर दिखाये जाने															
	उधारकर्ताओं की संख्या															
	बकाया राशि															
	उस पर प्रबंधन															
5	वित्त वर्ष के दौरान पुनर्गठित लेखा का नीचे की ओर उन्मथन							0	(1)	1	0	0	(1)	1	0	0
	उधारकर्ताओं की संख्या															
	बकाया राशि							0	(35.64)	35.64	0	0	(35.64)	35.64	0	0
	उस पर प्रबंधन							0	(5.19)	144.28	0	139.09	(5.19)	144.28	0	139.09
6	वित्त वर्ष के दौरान पुनर्गठित लेखा को बट्टे खाते डालना							0	0	(1)	0	(1)	0	0	0	(1)
	उधारकर्ताओं की संख्या															
	बकाया राशि							0	(1.86)	(170.19)	0	(172.05)	0	(1.86)	(170.19)	0
	उस पर प्रबंधन							0	(0.44)	(170.19)	0	(170.63)	0	(0.44)	(170.19)	0
7	वित्त वर्ष की 30 जून को पुनर्गठित लेखा (अंतिम आंकड़े)							0	0	4	0	4	0	0	0	4
	उधारकर्ताओं की संख्या															
	बकाया राशि							0	0.00	46.50	0.00	46.50	0	0	0	46.50
	उस पर प्रबंधन							0	-	46.50	-	46.50	0	0	0	46.50

* वरसूली के माध्यम से मौजूदा पुनर्गठित लेखाओं से कटौती प्रदर्शित करता है।





वार्षिक रिपोर्ट 2015-16

38.8 प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्गठन कंपनी को बेची गई वित्तीय परिसंपत्तियां:

(करोड़ ₹ में)

विवरण	2015-16	2014-15
i) लेखा संख्या	0	0
ii) एससी/आरसी को बेचे गए लेखा का कुल मूल्य (निवल प्रावधान)	0.00	0.00
iii) कुल मूल्य	0.00	0.00
iv) अंतरित लेखाओं के संबंध में वसूली गई अतिरिक्त राशि	0.00	0.00
v) निवल बही मूल्य पर कुल लाभ/हानि	0.00	0.00

38.9 वायदा दर करार और ब्याज दर स्वैप:

(करोड़ ₹ में)

विवरण	2015-16	2014-15
क) स्वैप करारों की आनुमानिक मूल राशि	लागू नहीं	लागू नहीं
ख) स्वैप की प्रकृति और शर्तें	लागू नहीं	लागू नहीं
ग) हानियों की मात्रा यदि प्रतिपक्ष करार के तहत अपने दायित्व को पूरा करने में विफल रहते हैं	लागू नहीं	लागू नहीं
घ) स्वैप करने पर संगठन द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक	लागू नहीं	लागू नहीं
ङ) स्वैप से उत्पन्न ऋण जोखिम का संकेंद्रण	लागू नहीं	लागू नहीं
च) कुल स्वैप खाता का "उचित" मूल्य	लागू नहीं	लागू नहीं

38.10 ब्याज दर व्युत्पन्न (डेरिवेटिव):

(करोड़ ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	2015-16	2014-15
1	वर्ष के दौरान लिए गए विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्नियों के मीमांसात्मक मूल राशि	शून्य	शून्य
2	30 जून की यथास्थिति के अनुसार विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्नी बकाया के मीमांसात्मक मूल राशि	शून्य	शून्य
3	विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्नी बकाया के मीमांसात्मक मूल राशि और उच्चप्रभावी नहीं	शून्य	शून्य
4	विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्नी बकाया की बाजार-दर-बाजार मूल्य और उच्चप्रभावी नहीं	शून्य	शून्य



38.11 गैर-सरकारी ऋण प्रतिभूतियों में निवेश:

क. किए गए निवेशों के संबंध में निर्गमकर्ता श्रेणियां

वर्तमान वर्ष

(करोड़ ₹ में)


क्र. सं.	निर्गमकर्ता	राशि	निम्न की राशि			
			प्राइवेट प्लेसमेंट के द्वारा किया गया निवेश	द्वारा किया गया निवेश श्रेणी से कम वाली प्रतिभूतियां	धारित 'दर रहित' प्रतिभूतियां	'असूचीबद्ध प्रतिभूतियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	वित्तीय संस्थाएं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	बैंक	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
4	प्राइवेट कारपोरेट	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	सहायक/संयुक्त उपक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	मूल्यहास के लिए धारित प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00

पिछला वर्ष

(करोड़ ₹ में)

क्र.सं.	निर्गमकर्ता	राशि	निम्न की राशि			
			प्राइवेट प्लेसमेंट के द्वारा किया गया निवेश	द्वारा किया गया निवेश श्रेणी से कम वाली प्रतिभूतियां	धारित 'दर रहित' प्रतिभूतियां	'असूचीबद्ध प्रतिभूतियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	वित्तीय संस्थाएं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	बैंक	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
4	प्राइवेट कारपोरेट	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	सहायक/संयुक्त उपक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	अन्य	8.03	0.00	0.00	8.03	8.03
7	मूल्यहास के लिए धारित प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	23.03	15.00	0.00	8.03	8.03

टिप्पणी: शून्यकरोड़ (8.03 करोड़-पिछले वर्ष) के एआरडीबी के विशेष ग्रामीण आवास डिबेंचर के लिए अभिदान, जो संबंधित अग्रिमों की प्रकृति में है, को निवेशों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और 'अन्य संस्थानों के शेयर तहत' दर्शाया गया है।





ख. अनर्जक निवेश

विवरण	2015-16	2014-15
अथशेष	0.53	0.53
वर्ष के दौरान वृद्धियां	0.00	0.00
वर्ष के दौरान कमियां	0.00	0.00
अंतशेष	0.53	0.53
धारित कुल प्रावधान	0.53	0.53

38.12 समेकित वित्तीय विवरणियां: रा.आ. बैंक की कोई सहायक कंपनी नहीं है

38.13 व्युत्पन्नो (डेरिवेटिव) में जोखिम उद्भासन पर प्रकटन:

क) गुणात्मक प्रकटन:

- बैंक के पास निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित व्युत्पन्न की नीति है, जो बैंक के व्यावसायिक लक्ष्यों के अनुरूप व्युत्पन्न उत्पादोंके प्रयोग की अनुमति देती है। नीति ने बहुत वरिष्ठ स्तर पर ही स्वैप में प्रवेश के लिए शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं।
- प्रतिपक्ष उद्भासन सीमाएं प्रत्येक प्रतिपक्ष के लिए निर्धारित समग्र सीमाओं के तहत हैं। स्वैप के ऋण समतुल्य की संगणना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथानिर्धारित चालू उद्भासन विधि के अनुसार की जाती है।
- बैंक के पास आवश्यक संरचना है, जहां कार्य सुपरिभाषित हैं अर्थात फ्रंट ऑफिस, बैंक आफिस और मिड आफिस।
- स्वैप की स्थिति की निरंतर निगरानी की जाती है। एएलसीओ साप्ताहिक आधार पर स्थिति की समीक्षा करते हैं; बकाया स्थिति के मूल्यांकनों की मासिक आधार पर समीक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, निदेशक मंडल को स्वैप के मूल्यांकन सहित तिमाही आधार पर स्थिति से अवगत कराया जाता है।
- बैंक अपनी परिसंपत्तियों/ देयताओं की प्रतिरक्षा तथा लागत कम करने के लिए प्रमुख रूप से वित्तीय व्युत्पन्न लेन-देनों का प्रयोग करता है। बैंक इस समय ब्याज दर जोखिमों के प्रबंधन के लिए केवल प्लेन वैनिला ओवर-दिकाउंटर (ओटीसी) ब्याज दर और मुद्रा व्युत्पन्नो में कार्रवाई करता है। बैंक ऐसे बेंचमार्क का प्रयोग करेगा, जहां मूल्यनिर्धारण पारदर्शी है और जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमत्य है।
- स्वैप पर ब्याज के विनिमय का हिसाब प्रोद्भवन आधार पर रखा जाता है।



ख) मात्रात्मक प्रकटन:

(करोड़ ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	मुद्रा व्युत्पन्न		ब्याज दर व्युत्पन्न	
		2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
1	व्युत्पन्न (आनुमानिक मूल राशि)				
	क) प्रतिरक्षण के लिए	878.02	684.90	0.00	0.00
	ख) व्यापार के लिए	0.00	0.00	0.00	0.00
2	बाजार की स्थिति को चिन्हित				
	क) परिसंपत्ति (+)	(14.12)	(13.00)	0.00	0.00
	ख) देयताएं (-)	(8.80)	12.40	0.00	0.00
3	ऋण उद्भासन	63.35	31.86	0.00	0.00
4	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन कासंभावित प्रभाव (100* पीवी 01)				
	क) प्रतिरक्षण व्युत्पन्नो पर	28.82	0.00	0.00	0.00
	ख) व्यापार व्युत्पन्नो पर	0.00	0.00	0.00	0.00
5	वर्ष के दौरान देखा गया 100 'पीवी 01 का अधिकतम और न्यूनतम				
	क) प्रतिरक्षण पर				
	- अधिकतम	28.82	0.00	0.00	0.00
	- न्यूनतम	12.87	0.00	0.00	0.00
	ख) व्यापार पर				
	- अधिकतम	0.00	0.00	0.00	0.00
	- न्यूनतम	0.00	0.00	0.00	0.00


38.14 उद्भासन, जहां वित्तीय निवेश वर्ष के दौरान विवेकसम्मत उद्भासन सीमा से अधिक हो गई थी: शून्य (पिछला वर्ष-शून्य)

38.15 अतिरिक्त प्रकटीकरण

I. अस्थाई प्रावधान

(करोड़ ₹ में)

विवरण	2015-16	2014-15
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में अथशेष	0.00	0.00
जोड़ें: वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	0.00	0.00
घटाएं: लेखांकन वर्ष के दौरान किए गए आहरण द्वारा कमी की राशि	0.00	0.00
वर्ष की समाप्ति पर अंतशेष	0.00	0.00





वार्षिक रिपोर्ट 2015-16

II. शिकायतें

क ग्राहक शिकायतें

(करोड़ ₹ में)

विवरण	2015-16	2014-15
(क) वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	1	0
(ख) वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	136	31
(ग) वर्ष के दौरान निवारित शिकायतों की संख्या	136	30
(घ) वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	1	1

ख बैंकिंग लोकपाल के द्वारा पारित पुरस्कार: लागू नहीं

III. बैंकों के द्वारा जारी चुकौती आश्वासन पत्र: लागू नहीं

IV. प्रावधान कवरेज अनुपात 100.00% (पिछले वर्ष 35.54%)

V. बैंकबीमा कारोबार: लागू नहीं

VI. जमाराशियों, अग्रिमों, उद्भासनों और एनपीए का संकेंद्रण

(करोड़ ₹ में)

	2015-16	2014-15
1. जमाराशियों का संकेंद्रण (सार्वजनिक)		
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियां	50.26	38.23
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का कुल जमाराशियों में प्रतिशत	19.79%	15.33%
2. अग्रिमों का संकेंद्रण		
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियां	44957.56	36972.08
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का कुल जमाराशियों में प्रतिशत	83.84%	82.48%
3. उद्भासन का संकेंद्रण		
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं/ग्राहकों का कुल उद्भासन	46,774.77	37706.34
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं/ग्राहकों के उद्भासन का जमाकर्ताओं/ग्राहकों कुल उद्भासन में प्रतिशत	82.83%	79.73%
4. एनपीए का संकेंद्रण		
शीर्ष चार एनपीए लेखाओं का कुल उद्भासन	46.50	221.92

VII. क्षेत्र-वार एनपीए:

(करोड़ ₹ में)

क्षेत्र	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों/एनपीए की प्रतिशत	
	2015-16	2014-15
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियां	शून्य	शून्य
2. उद्योग (माइक्रो और लघु, मध्यम और बड़ा)	शून्य	शून्य
3. सेवाएं	शून्य	शून्य
4. वैयक्तिक ऋण	शून्य	शून्य

नोट: 30.06.2016 को बैंक का आवासीय क्षेत्र एवं एनपीए की ओर कुल उद्भासन 50.93 करोड़ रु. था।
(पिछला वर्ष— 223.96 करोड़ रु.)



VIII. एनपीए की घट-बढ़

(करोड़ ₹ में)

विवरण	2015-16	2014-15
सकल एनएपी (अथशेष)	223.96	184.79
वर्ष के दौरान शामिल (नया एनपीए)	0.00	39.81
उप-जोड़ (क)	223.96	224.60
घटाएं:		
(i) उन्नयन	0.00	0.00
(ii) वसूलियां (उन्नयित लेखा से की गई वसूलियां छोड़कर)	173.03	0.64
(iii) बट्टे खाते डालना	0.00	0.00
उप-जोड़ (ख)	173.03	0.64
सकल एनपीए (इतिशेष) (क-ख)	50.93	223.96

IX. तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टेखाते डालना

(करोड़ ₹ में)

विवरण	2015-16	2014-15
1 जुलाई की यथा स्थिति के अनुसार तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टेखाता लेखाओं का अथशेष	0.00	0.00
जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टा खाता डालना	0.00	0.00
उप जोड़ (क)	0.00	0.00
घटाएं: वर्ष के दौरान पिछले तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाता डालना से वसूलियां (ख)	0.00	0.00
30 जून की यथास्थिति के अनुसार इतिशेष (क-ख)	0.00	0.00

X. विदेशों में परिसंपत्तियां, एनपीए और राजस्व


(करोड़ ₹ में)

विवरण	2015-16	2014-15
कुल परिसंपत्तियां	शून्य	शून्य
कुल एनपीए	शून्य	शून्य
कुल राजस्व	शून्य	शून्य

XI. तुलन पत्र से इतर प्रायोजित एसपीवी (जिन्हें लेखाकरण मानदंडों के अनुसार समेकित किया जाना अपेक्षित है)

(करोड़ ₹ में)

एसपीवी प्रायोजक का नाम	
घरेलू	विदेश
शून्य	शून्य





- XII. अपरिशोधित पेंशन एवं उपदान देयता : शून्य (पिछला वर्ष-शून्य):
XIII. प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण : लागू नहीं
XIV. ऋण चूक स्वैप: लागू नहीं
38.16 वर्ष के लिए ग्राहकों की प्राप्त, निपटाई गई एवं लंबित शिकायतें : शून्य (पिछले वर्ष:शून्य)
अनुसूची I से XV लेखा का अभिन्न हिस्सा है।
अनुसूची I से XV पर पहचान के लिए हस्ताक्षर

अमित सिन्हा
सहायक महाप्रबंधक

के. चक्रवर्ती
महाप्रबंधक

आर. एस. गर्ग
कार्यपालक निदेशक

श्रीराम कल्याणरामन
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

निदेशकगण

डॉ. उर्जित आर. पटेल

पंकज जैन

राजीव रंजन मिश्रा

मलय श्रीवास्तव

सदाकांत

हमारी सम तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस.एन. नन्दा एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 0006885एन

(एस. एन. नन्दा)

पार्टनर

सदस्यता सं. 005909

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2016



राष्ट्रीय आवास बैंक

वार्षिक लेखा 2015-16

(जुलाई, 2015 से जून, 2016)
(विशेष निधि)



वार्षिक रिपोर्ट 2015-16

(गंदी बस्ती सुधार
तुलन-पत्र

पिछला वर्ष ₹ करोड़ में	देयताएं		चालू वर्ष ₹ करोड़ में
61.82	1. विशेष निधि (गंदी बस्ती विकास और अल्प लागत आवास निधि)		61.82
47.74	2. आरक्षित निधि (रिजर्व) :		
3.00	(i) आयकर अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि	49.24	
279.47	(ii) निवेश घट-बढ़ रिजर्व	3.00	
	(iii) आरक्षित निधि - वीडिएस	296.85	349.09
0.00	3. लाभ और हानि लेखा:		
16.78	पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष	0.00	
16.78	जोड़: लाभ और हानि लेखा में अंतरित लाभ	17.38	
	घटाएं: आरक्षित निधि में अंतरित-वीडीएस	17.38	0.00
88.34	4. चालू देयताएं और प्रावधान		
0.19	(i) आय कर के लिए प्रावधान	98.05	
14.31	(ii) मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	0.50	
	(iii) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (vii)क (ग) के अधीन अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	15.91	
50.00	(iv) अन्य	50.00	164.46
15.18	5. आस्थगित कर देयता		15.70
560.05	कुल		591.07

लाभ और हानि लेखा

पिछला वर्ष ₹ करोड़. में	व्यय	चालू वर्ष ₹ करोड़ में
(1.11)	1 मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	0.31
(0.03)	2. अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	0.41
1.50	3. आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1);अपपक(ग के अधीन अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	1.60
0.40	4. आस्थगित कर	0.52
9.00	5. आय कर के लिए प्रावधान	9.71
18.78	6. अग्रणीत लाभ का शेष	18.88
28.54	कुल	31.43
2.00	7. आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(अपप कद्ध के अनुसार विशेष रिजर्व को अंतरण	1.50
16.78	8. तुलनपत्र में अग्रणीत शेष	17.38
18.78	कुल	18.88

अमित सिन्हा
सहायक महाप्रबंधक

के. चक्रवर्ती
महाप्रबंधक

आर.एस.गर्ग
कार्यपालक निदेशक

श्रीराम कल्याणरामन

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

निदेशकगण

डॉ. उर्जित आर. पटेल

पंकज जैन

राजीव रंजन मिश्रा

मलय श्रीवास्तव

सदाकांत

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2016



और अल्प लागत आवास निधि)
यथा 30 जून, 2016 के अनुसार

पिछला वर्ष ₹ करोड़ में	आस्तियां	चालू वर्ष ₹ करोड़ में
0.04	1. रोकड़ और बैंक शेष:	
	(i) चालू खाता	0.04
0.00	(ii) बैंकों में सावधि जमा	0.00
	2. निवेश: (लागत या बाजार मूल्य पर जो भी कम हो):	
269.02	राजकोषीय बिल	214.22
	3. ऋण और अग्रिम:	
49.63	प्रत्यक्ष ऋण	126.37
0.31	घटाएं: अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	0.73
	4. अन्य आस्तियां:	
0.01	(i) बैंक जमाराशियों पर प्राप्य ब्याज	0.01
18.72	(ii) निवेशों पर प्राप्य ब्याज	9.38
94.06	(iii) अग्रिम कर और टीडीएस	94.07
128.88	(iv) सामान्य निधि से वसूली योग्य राशि	147.71
560.05	कुल	591.07

दिनांक 30 जून, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए

पिछला वर्ष ₹ करोड़ में	आय	चालू वर्ष ₹ करोड़ में
	1. ऋणों और अग्रिमों तथा बैंक जमा राशियों पर ब्याज:	
3.96	(i) ऋण और अग्रिम	7.85
3.02	(ii) बैंक जमाराशि	0.00
	2. निवेशों से आय	23.58
21.56	3. मानक आस्तियों के लिए अतिरिक्त प्रावधान	@
0.00		
28.54	कुल	31.43
18.78	4. कम किए गए लाभ का शेष	18.88
18.78	कुल	18.88

@ 0.50 लाख रु. से कम राशि

लेखे का भाग होने वाली टिप्पणियां :


- विशेष निधि का तुलनपत्र तथा लाभ हानि लेखा राष्ट्रीय आवास बैंक (मलिन बस्ती विकास और निम्न लागत आवास निधि) विनिमय, 1993 के उपबंधों के अनुसार तैयार किया गया है।
- राष्ट्रीय आवास बैंक (मलिन बस्ती विकास और निम्न लागत आवास निधि) राष्ट्रीय आवास बैंक स्वैच्छिक जमा स्कीम (वीडीएस) के अनुसार स्वैच्छिक रूप से किसी भी व्यक्ति द्वारा जमा की गई राशि का 40 प्रतिशत प्रदर्शित करता है।
- बैंक, स्टाफ व्यय और अन्य परिचालन व्यय, विशेष निधि खाते से प्रभारित नहीं करता है।

हमारी सम तिथि संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
एस.एन.नंदा एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं.000685एन

(एस.एन.नंदा)

पार्टनर

सदस्यता सं. 005909





भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी के साथ राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी



डॉ. उर्जित आर. पटेल को भारतीय रिजर्व के गर्वनर के रूप में उनकी नियुक्ति पर बधाई



प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं कार्यपालक निदेशकगण




श्रीराम कल्याणरामन, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी



आर.एस.गर्ग, कार्यपालक निदेशक



डॉ. संजीव शर्मा, कार्यपालक निदेशक





बैंक के वरिष्ठ अधिकारीगण



अमलेन्द्र प्रसाद सक्सेना, महाप्रबंधक



वै. राजन, महाप्रबंधक



के. चक्रवर्ती, महाप्रबंधक



डॉ. ए.के. सिंह, महाप्रबंधक एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी



प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशकगण एवं राष्ट्रीय आवास बैंक के वरिष्ठ कार्यकारी




प्रमुख समारोह



बैंक की हिंदी गृह पत्रिका आवास भारती हेतु भारतीय रिजर्व बैंक राजभाषा शील्ड की प्राप्ति



आवास वित्त कंपनियों के मुख्य अधिकारियों के साथ वित्तीय आसूचना एकक-भारत की बैठक



विश्व पर्यावास दिवस, 2015 के अवसर पर आवास भारती के विशेषांक का लोकार्पण




राष्ट्रीय आवास बैंक को "ग्रिड्स" हेतु फिन्नोविटी 2016 पुरस्कार की प्राप्ति



'सबके लिए आवास' 2016 पर राष्ट्रीय सम्मेलन



राष्ट्रीय आवास बैंक को राजभाषा टॉलिक पुरस्कार की प्राप्ति





पीएमएवाई-सीएलएसएस कार्यशाला



गुवाहाटी में पीएमएवाई-सीएलएसएस पर क्षेत्रीय कार्यशाला



चेन्नै में पीएमएवाई-सीएलएसएस पर क्षेत्रीय कार्यशाला



भोपाल में पीएमएवाई-सीएलएसएस पर क्षेत्रीय कार्यशाला



हैदराबाद में पीएमएवाई-सीएलएसएस पर क्षेत्रीय कार्यशाला



लखनऊ में पीएमएवाई-सीएलएसएस पर क्षेत्रीय कार्यशाला



पटना में पीएमएवाई-सीएलएसएस पर क्षेत्रीय कार्यशाला



श्रीनगर में पीएमएवाई-सीएलएसएस पर क्षेत्रीय कार्यशाला



त्रिवेंद्रम में पीएमएवाई-सीएलएसएस पर क्षेत्रीय कार्यशाला



राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा आयोजित किए गए कौशल विकास कार्यक्रम



04 जून, 2016 — सागर




31 अक्टूबर, 2015 — गुवाहाटी





13-14 जून, 2016 — लोनावला



17 जून, 2016 — कोझिकोड







कोर 5-ए, तृतीय-पंचम तल, भारत पर्यावास केन्द्र,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
टेली: 011-24649031-35, फ़ैक्स: 011-24646988, 24649041
वेबसाइट: <http://www.nhb.org.in>



**राष्ट्रीय
आवास बैंक**
**NATIONAL
HOUSING BANK**

(Wholly owned by Reserve Bank of India)
(भारतीय रिजर्व बैंक के सम्पूर्ण स्वामित्व में)

Core 5-A, India Habitat Centre,
3rd-5th floor, Lodhi Road, New Delhi - 110003
Tel: 011-24649031-35, Fax: 011-24646988, 24649041
Website : <http://www.nhb.org.in>